GL H 954.8404
HYD
126167
LBSNAA

राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी
cademy of Administration
मसूरी
MUSSOORIE
पुस्तकालय
LIBRARY

अवाप्ति संख्या
Accession No. 20663
वर्ग संख्या
Class No. H 954.8404
पुस्तक संख्या
Book No. आन्ध्र



अजंता शृंगार का दृश्य

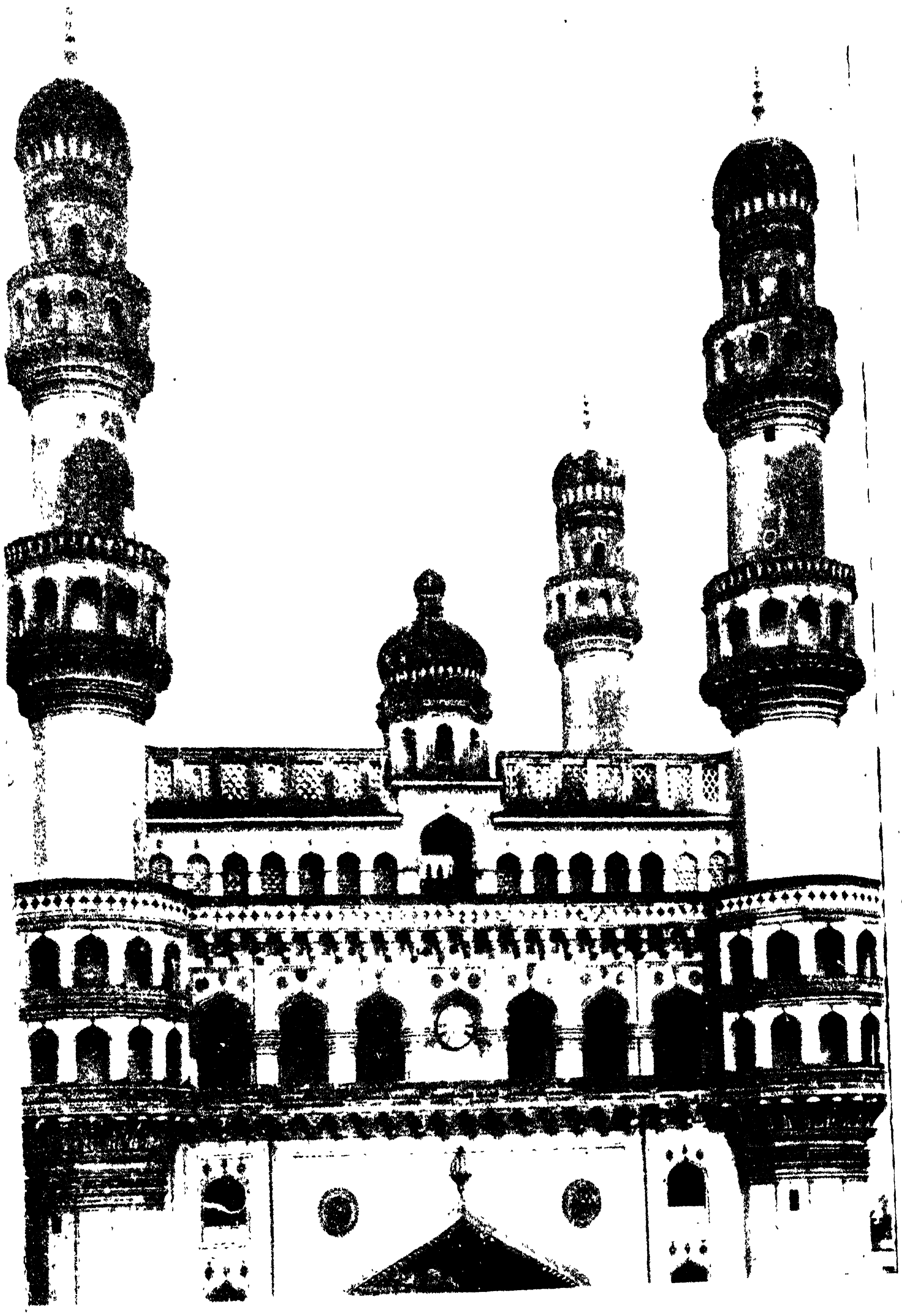
The
DOON SCHOOL
LIBRARY

CLASS No. Hin

BOOK No. 9751

DEHRA DUN

सत्यमेव जयते



चार मीनार का एक नया, सुन्दर दृश्य ।

हैदराबाद का पुनरुत्थान

स्वतन्त्रता के पहले छः मास

(१८ सितम्बर, १९४८ — १९ मार्च, १९४९)

हैदराबाद गवर्नमेंट के लिये सूचना-विभाग के डाइरेक्टर द्वारा प्रकाशित;

हिन्दी-अनुवादक — डा० आर्येन्द्र शर्मा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद।

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण, अगस्त १९४९

हैदराबाद में मुद्रित

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

ज़िले

परिशिष्ट

चित्र

गवर्नमेंट के मेम्बर

(१८ सितम्बर, १९४८–१७ मार्च, १९४९)

हिज़ एक्सेलेंसी मेजर जनरल चौधरी, मिलिटरी - गवर्नर

माननीय श्री० बखले, आई. सी. एस., प्रधान - सिविल - शासक

माननीय श्री० प्रधान, आई. सी. एस.. अतिरिक्त प्रधान - सिविल - शासक

माननीय नवाब ज़ैन यार जंग बहादुर

माननीय राजा ढुंढिराज बहादुर

माननीय राजसेवाप्रसक्त श्री० शेषाद्रि (६ फ़रवरी, १९४९ से)

माननीय श्री० श्रीनिवास राव (१३ अप्रैल, १९४९ से)

माननीय श्री० कृष्ण राव (१३ अप्रैल, १९४९ से)

आग से बाहर

आज हैदराबाद में नवाबशाही जल कर राख हो चुकी है, और उस राख में से एक नया, साम्प्रदायिकता-रहित, प्रजातन्त्रात्मक राज्य अंकुरित हो रहा है।

१३ सितम्बर सन १९४८ का दिन इतिहास अमर रहेगा। इस दिन, सूर्योदय के साथ ही साथ, हिन्द सरकार की सेनायें हैदराबाद रियासत के अन्दर घुस गई। उन्हें हैदराबाद की जनता न जाने कब से पुकार रही थी। रियासत के अन्दर आने पर उन्होंने देखा कि समस्त जनता शंका और भय से व्याकुल है, और उसे लाभ तथा सुविधा पहुंचाने वाले सारे काम बन्द पड़े हैं।

आज छः महीने के बाद, रियासत में नया जीवन लहरें मार रहा है, और उसकी एक करोड़ सत्तर लाख जनता निःशंकता तथा स्वतन्त्रता की वायु में सांस ले

सकती है। हैदराबाद की जनता चाहती है कि यहाँ प्रजातन्त्र-शासन स्थापित हो, जनमत के द्वारा रियासत के भविष्य का निर्णय हो, और राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में स्वच्छन्द-शासिता का क्रमशः अन्त हो। जनता अपनी इस इच्छा को स्पष्ट शब्दों में अनेक बार घोषित कर चुकी है। आज उसकी यह इच्छा पूरी होने का अवसर आ गया है।

परिस्थिति में यह परिवर्तन किस प्रकार किया गया?

परिवर्तन कैसे किया गया

१८ सितम्बर सन् १९४८ की सन्ध्या को जब भारतीय सैनिकों ने सिकन्दराबाद में प्रवेश किया, तब उन्हें यहाँ कई तरह के लोग मिले। एक और तो मुस्लिम जनता थी, जिसका आत्म-विश्वास, उसकी शक्ति और अधिकार के एकाएक लुप्त हो जाने से, इस समय शून्य पर पहुंच चुका था। दूसरी ओर थी हिन्दू जनता, जिसका आत्म-विश्वास और उत्साह, पहले की निराशाओं और असफलताओं के बाद, इस समय सीमाओं को तोड़ कर फूट पड़ना चाह रहा था। इनके अतिरिक्त सभी समुदायों में रहने वाले गुंडों का दल भी था, जो कुछ गड़बड़ होते ही अपना काम बनाने की ताक में था। रियासत के प्रत्येक शहर में हिन्द से, बल्कि पाकिस्तान से भी आये हुए मुस्लिम बड़ी संख्या में भरे हुए थे, जिन्हें हैदराबाद की पिछली गवर्नमेंट ने यहां आने के लिए "निमन्त्रित" किया था। नगरों में हैदराबाद के वे मुस्लिम भी जमा थे, जो इस डर से अपने-अपने गांव छोड़ कर भाग आये थे कि रज़ाकारों द्वारा सताये गये लोग अब उनसे बदला लेंगे। इन सबके अतिरिक्त हैदराबाद रियासत में रहने वाले वे हिन्दू भी थे, जो रज़ाकारों के अत्याचारों से बचने के लिए आस-पास के प्रान्तों में चले गये थे, और अब अपने-अपने घरों को लौट रहे थे।

इन सब जन-समुदायों की जो दशा थी और इन की जो भावनायें थीं, उनसे कैसी भयानक और विस्फोटक परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसका अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है। साथ ही एक बड़ी भारी कठिनता यह भी सामने थी कि रियासत का शासन-प्रबन्ध लगभग उखड़ चुका था। अधिकतर जिलों के बड़े-बड़े सिविल और पुलिस अधिकारी अपने-अपने पद और कर्तव्य छोड़ कर भाग गये थे। निज़ाम ने १७ सितम्बर १९४८ को जो तथाकथित 'परामर्शदाताओं की समिति' केन्द्र में नियुक्त की थी, वह भी कुछ सफल नहीं हो रही थी। संक्षेप में, हैदराबाद की शान्ति एक कच्चे धागे के सहारे लटकी हुई थी।

शान्ति और व्यवस्था की रक्षा

स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थिति में, नई गवर्नमेंट का सबसे पहला और सबसे आवश्यक काम क़ायदे-क़ानून और व्यवस्था को फिर से स्थापित करना तथा उनकी रक्षा करना ही था। और यह तभी हो सकता था, जब पूरी रियासत के शासन-प्रबन्ध को नये सिरे से संघटित किया जाय, और उसे आवश्यकतानुसार दृढ़ बनाया जाय। दूसरा आवश्यक काम उन शरणार्थियों का समुचित प्रबन्ध करना और उन्हें अपनी-अपनी जगह पर फिर से बसाना था, जो हज़ारों, बल्कि लाखों की संख्या में शहरों में जमा हो गये थे, और जिनमें हिन्दू और मुसलमान दोनों ही सम्प्रदायों के लोग थे। इस काम में सफलता मिलना तभी सम्भव हो सकता था, जब यह दोनों जातियां फिर से एक-दूसरी के साथ मिल-जुल कर रहने और एक-दूसरी पर विश्वास करने के लिये तैयार हो जायें। और इस साम्प्रदायिक मेलजोल और शान्ति को पुनः स्थापित करने के लिए यह आवश्यक था कि पिछले दिनों में फैलाये हुए साम्प्रदायिक विद्वेष को दूर करने के उपाय किये जायें और जनता के सब समुदायों में परस्पर प्रेम-भाव उत्पन्न किया जाय। एक और बड़ी समस्या पैसे की थी। पिछली गवर्नमेंट ने रियासत का रुपया इस बुरी तरह से बहाया था कि



प्रधान मन्त्री का भाषण दिसम्बर १९४८ में हैदराबाद पधारने के अवसर पर पं. जवाहरलाल नेहरू ऐतिहासिक फतेहमैदान में एक सार्वजनिक सभा में भाषण दे रहे हैं

पूरी रियासत खोखली हो चुकी थी। इसलिये नई गवर्नमेंट का तीसरा काम रियासत की आर्थिक दशा को ठीक करना था। अन्त में, नई गवर्नमेंट को इसका भी प्रबन्ध करना था कि हैदराबाद की जनता को अपने भविष्य – अर्थात् हैदराबाद की शासन-व्यवस्था और हैदराबाद तथा भारत के पारस्परिक सम्बन्ध – के निर्णय करने का अवसर मिले।

कानून और व्यवस्था की रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट ने गुंडों और लूट-मार करनेवालों के विरुद्ध कठोर उपायों से काम लिया—वे गुंडे किसी भी जाति या सम्प्रदाय के क्यों न हों। सब जानते हैं कि डाक्टरी चीर-फाड़ भी छुरी से की जाती है, और हत्या भी—फिर भी यह दोनों एक ही चीजें नहीं हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने किसी ग़ैर-मुस्लिम को यह अवसर नहीं दिया कि वह मुसलमों से बदला ले। इस बारे में ऐसी कठोरता से काम लिया गया कि हैदराबाद और सिकन्दराबाद दोनों शहरों में एक महीने के अन्दर ही कर्फ्यू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रही, और कुछ ज़िलों में तो इसके भी पहले कर्फ्यू उठा लिया गया। कितनी ही बार हमारे सैनिकों ने ही लूट के सामान का बहुत सा भाग असल मालिकों को दिला दिया। किन्तु गवर्नमेंट ने इतने से ही सन्तुष्ट न रहकर एक जांच कमेटी बनाई, जिसके अधिकांश मेम्बर ग़ैर-सरकारी थे, और जिसका काम यह था कि लूट-मार, घरों में आग लगाने और इसी तरह के दूसरे उपद्रवों के बारे में जो शिकायतें हों, उनकी पूरी जांच करे। इस तरह के उपद्रव करने वालों पर मुक़दमे चलाने और उन्हें सजायें देने के लिये खास 'ट्रिब्यूनल्स' बनाये गये। इनके फ़ैसलों के बारे में हाईकोर्ट में अपील भी की जा सकती है। गवर्नमेंट ने इसी समय यह आदेश भी जारी किया कि आम जनता के पास जो भी हथियार हों, वे सब के सब अधिकारियों के पास जमा कर दिये जायें। सब तरह की नियम-विरुद्ध संस्थायें और संघटन, जिनमें रज़ाकार संघटन भी शामिल था, और जो वास्तव में प्राइवेट सेनाओं के रूप में थे, तोड़ दिये गये।

उपद्रवों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जो कुछ किया, उसमें रज़ाकारों और ग़ैर-रज़ाकारों में कोई भेद नहीं किया गया। रज़ाकार-संघटन के केवल नेताओं को ही गिरफ्तार किया गया, और जिन पर कोई अपराध निश्चित रूप से नहीं लगाया जा सकता था, उन्हें छोड़ दिया गया।

मिलिटरी गवर्नर ने तमाम सिविल कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे अपनी-अपनी ड्यूटी पर वापस जायें। पिछली गवर्नमेंट रज़ाकार-संघटन के साथ ऐसी घुल-मिल गई थी कि एक को दूसरे से अलग करना असम्भव हो गया था। इस गवर्नमेंट पर से जनता का विश्वास उठ चुका था। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि ज़िलों की और केन्द्र की जो शासन-व्यवस्था मौजूद थी उसे सँभालने के लिये, मालगुज़ारी, पुलिस और मेडिकल विभागों के कुछ चुने हुए अधिकारी भारतीय प्रान्तों से बुलाये जायें और यथोचित स्थानों पर नियुक्त कर दिये जायें।

नये मन्त्रि-मण्डल का निर्माण

'परामर्श-दाताओं की समिति' पहले दिन ही तोड़ दी गई थी, यद्यपि उसके सदस्य, अपनी वैयक्तिक हैसियत से, मिलिटरी गवर्नर को परामर्श देने का काम बाद में भी करते रहे। किन्तु १७ अक्टूबर को यह व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई और एक नया मन्त्रि-मण्डल बनाया गया, जिसके प्रधान मिलिटरी गवर्नर थे और जिसके सदस्यों में भारतीय सिविल सर्विस के दो उच्च अधिकारी, हैदराबाद रियासत का एक रिटायर्ड मुस्लिम अधिकारी और रियासत का एक हिन्दू अधिकारी थे।

पिछली गवर्नमेंट के शासन-काल में बहुत से सरकारी कर्मचारियों ने, सरकारी नियमों के विरुद्ध, राजनीति में भाग लिया था; और बहुतों के बारे में यह

भी कहा जा रहा था कि उन्होंने तरह-तरह के अत्याचार किये हैं या कराये हैं, रिश्वतें ली हैं, और सरकारी रुपया हज़म किया है, या बरबाद किया है। स्पष्ट है कि इस तरह के संदिग्ध लोगों को सरकारी नौकरियों से अलग करना आवश्यक था। किन्तु इन लोगों को अलग करते समय इस बात की पूरी-पूरी सावधानी रक्खी गई कि किसी निरपराध को हानि न पहुँचने पाये, जिसका परिणाम यह हुआ कि लगभग ४००० सरकारी पदाधिकारियों में से १०० से कुछ कम ही लोगों को अलग किया गया। इन अलग किये गये लोगों में से भी किसी पर अन्याय तो नहीं हुआ, इसकी कई बार जांच करने का पूरा प्रबन्ध किया गया। जांच करने का काम प्रधान रूप से पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कर्नल एम. ए. रहमान – हैदराबाद सरकार के एक मुसलिम अफ़सर – को सौंपा गया, और इनके सुझाव देने पर ही किसी को नौकरी से अलग करने पर विचार किया गया। इसके बाद भी एक और सुविधा यह दी गई कि जिस अधिकारी को गवर्नमेंट नौकरी से अलग कर दे, वह मिलिटरी गवर्नर से इस बारे में अपील कर सकता था।

नई गवर्नमेंट के यह सब काम इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण थे कि गवर्नमेंट किसी जाति या सम्प्रदाय के साथ किसी भी तरह का पक्षपात नहीं कर रही है, और वह सब तरह के अन्याय और अत्याचार को निर्मूल करने पर तुली हुई है – अन्याय और अत्याचार करनेवाला कोई भी क्यों न हो। मिलिटरी गवर्नर ने इस बात को बार-बार कहा, और ज़ोर देकर कहा, कि नई गवर्नमेंट मतों और सम्प्रदायों को कोई महत्त्व नहीं देती, सबको समान दृष्टि से देखती है, और जो कुछ करती है, पूरी जनता की भलाई के लिये करती है। लोग अकसर समझते हैं कि जिस बात से हिन्दुओं को लाभ पहुँचे, उससे मुसलिमों को हानि होगी, और जिससे मुसलिमों को लाभ होता हो, उससे हिन्दुओं को अवश्य हानि पहुँचेगी। मिलिटरी गवर्नर ने बताया कि लोगों की यह धारणा ग़लत है। गवर्नमेंट इस सिद्धान्त को मानती है कि हिन्दुओं और मुसलिमों के हानि-लाभ एक ही हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की जनता उसी दशा में सुख और उन्नति की ओर बढ़ सकती है, जब भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के लोग भाई-भाई की तरह मिल-जुल कर रहें। मिलिटरी गवर्नर ने अन्त में कहा, "हम भारत-सरकार के सेवक हैं, इसलिए हम मत या सम्प्रदाय के आधार पर किसी तरह का भेद-भाव नहीं मानते।"

नई गवर्नमेंट की इस साम्प्रदायिकता-रहित नीति का परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही समय में वह मुसलिम जनता, जो हिन्दुओं द्वारा बदला लिए जाने की सम्भावना से त्रस्त थी, अपनी आशंकाओं को भूल गई और अपने आप को सुरक्षित समझ कर शान्ति से रहने लगी।

थोड़े ही समय में पूर्ण शान्ति

इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने हैदराबाद के अस्त-व्यस्त जीवन को फिर से साधारण दशा में लाने का प्रयत्न बराबर जारी रक्खा। हैदराबाद में पेट्रोल की बहुत कमी थी, और पब्लिक बसों का चलना बन्द था। इसलिए पेट्रोल तुरन्त मंगाया गया और बसें फिर से चलने लगीं। लायक अली मन्त्रि-मण्डल ने तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगाकर हैदराबाद से भारत में और भारत से हैदराबाद में बहुत-सी चीज़ों का आना-जाना बन्द कर दिया था। गवर्नमेंट ने यह प्रतिबन्ध हटा दिये, और व्यापार का सिलसिला फिर जारी कर दिया। जीवन की आवश्यक वस्तुओं से भरी हुई मालगाड़ियां रेलवे-लाइनों पर फिर से दौड़ने लगीं। अन्न, मिल-मशीनों, सीमेंट और अन्य आवश्यक पदार्थों से भरे हुए दो सौ डिब्बे प्रतिदिन हैदराबाद में आने लगे। इसके साथ ही, आर्थिक गड़बड़ों को सुधारने का काम भी कई अनुभवी लोगों को सौंपा गया और वे इस समस्या को सुलझाने में जुट गये।

इस प्रकार अशान्ति, अस्थिरता और भय आप ही आप दूर हो गये, अस्त-व्यस्त दशा के बदले

व्यवस्था स्थापित हुई, और शीघ्र ही हैदराबाद में उस उथल-पुथल का चिन्ह तक शेष नहीं रहा, जो थोड़े ही दिन पहले यहां मच चुकी थी। अब हैदराबाद की सड़कों पर आतंक फैलाने वाले रज़ाकारों का घूमना-फिरना बन्द था — उनकी शक्ति का पूरा दमन किया जा चुका था, और उनकी राजनैतिक सत्ता नष्ट हो चुकी थी। रियासत की राजधानी में भी वही शान्ति और शिष्टता का वातावरण फिर से उत्पन्न हो गया, जो कुछ वर्ष पूर्व यहाँ मौजूद था। यह कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं कि भारत-सरकार के केवल २३४ अधिकारियों ने और सेना ने, आकार में फ्रांस की बराबरी करने वाली इस रियासत की शासन-व्यवस्था को, इतने थोड़े समय में सँभाल दिया और यहां फिर से पूर्ण शान्ति स्थापित कर दी।

—:—:—

रक्तपात के बिना क्रान्ति

इस प्रकार बहुत ही थोड़े समय में 'मिलिटरी गवर्नमेंट' ने हैदराबाद की जनता को एक बड़ी महत्त्वपूर्ण आज़ादी – आतंक से आज़ादी – दिला दी। और यह आज़ादी हैदराबाद नगर तक ही सीमित नहीं रही। मिलिटरी गवर्नर ने हैदराबाद के प्रत्येक ज़िले का दौरा किया, जहां उन्होंने आम लोगों से मिल कर उनके दुख-सुख की बातें पूछी, और उनके सब तरह के कष्टों को दूर करने तथा उनको सब तरह की सुविधाएं पहुंचाने का प्रबन्ध किया। सभी जगह जनता ने मिलिटरी गवर्नर का अभूत-पूर्व स्वागत किया। हिन्दू और मुसलिम दोनों ही ने हज़ारों की संख्या में एकत्रित हो कर उनके प्रति अपना आदर प्रदर्शित किया, और उन्हें अपना रक्षक तथा मुक्तिदाता मान कर उनके

आगमन पर हर्षोत्सव मनाया। इन लोगों ने ग़रीब होते हुए भी, मिलिटरी गवर्नर के प्रति अपना प्रेम और आदर प्रदर्शित करने के लिये तरह-तरह की भेंटें दिये बिना नहीं माना। किसी ने गहने दिये, तो किसी ने नारियल ही चढाये। एक ने अपने हाथ की बनाई हुई कोई चीज भेंट की, तो दूसरा थोड़े से पैसे ही दे गया। बाद मे इन सब भेंट की चीज़ों को इन्हीं लोगों की भलाई के कामों में लगा दिया गया। इस प्रकार हैदराबाद के सीधे-सादे, भोले-भाले ग्राम लोगों ने, बिना किसी के सिखाये पढाये या कहे-सुने, यह स्पष्ट रूप मे बता दिया कि वे रियासत की नई व्यवस्था मे पूर्णतया सन्तुष्ट और प्रसन्न हैं।

गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों के प्रति और जनता के प्रति जो नीति बरती थी, उसमें साम्प्रदायिकता अथवा पक्षपात नाम को भी न था। इसका परिणाम यह हुआ कि रियासत भर में साम्प्रदायिक विद्वेष का अन्त हो गया और लोगों में पहले जैसा प्रेम भाव फिर से स्थापित हो गया। हिन्दू और मुसलिम दोनों के त्योहार शान्ति में मनाये जाने लगे। पुजारी, मुल्ला, पादरी आदि अपने-अपने धार्मिक कृत्यों को निर्विघ्न रूप से करने लगे। मसजिदों, मन्दिरों और गिरजाघरों को जो सहायता गवर्नमेंट की ओर से पहले से स्वीकृत थी, वह भी ज्यों की त्यों जारी रही।

इस प्रकार गवर्नमेंट के प्रयत्न से अलग-अलग सम्प्रदायों के लोगों में एक दूसरे के लिये जो सदभावना फिर से उत्पन्न हो गई थी, उसका एक सुन्दर उदाहरण निम्नलिखित घटना से मिलता है। गुलबर्गा में लिंगायत सम्प्रदाय के पूज्य सन्त शरण बसप्पा का प्रसिद्ध मन्दिर है। पिछले नव्वे वर्षो से गुलबर्गा ज़िले के हिन्दुओं और मुसलिमों में इस मन्दिर पर कलश चढाने के बारे में झगड़ा होता आ रहा था। हिन्दू कलश चढ़ाना चाहते थे, और मुसलिम इसका घोर विरोध करते थे; और इस झगड़े के कारण दोनों सम्प्रदायों में पारस्परिक विद्वेष उत्पन्न हो गया था। किन्तु अब, हिन्दुओं के प्रति अपनी हार्दिक सद्भावना का प्रकाशन करने के लिये, गुलबर्गा ज़िले की मुसलिम जनता ने अपनी ही इच्छा से, गवर्नमेंट से यह प्रस्ताव किया कि मन्दिर पर कलश चढ़ाने की आज्ञा दे दी जाय। गवर्नमेंट ने यह बात मान ली, और मन्दिर के शिखर पर कलश चढ़ा दिया गया। इस प्रकार नव्वे वर्ष पुराना यह झगड़ा समाप्त हो गया और गुलबर्गा ज़िले के हिन्दुओं और मुसलिमों का पारस्परिक विद्वेष प्रेम के रूप में बदल गया।

शासन-व्यवस्था का नया संघटन

किन्तु, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, गवर्नमेंट के सामने एक बड़ा आवश्यक काम यह भी था कि हैदराबाद की समूची शासन-व्यवस्था को नये सिरे से संघटित किया जाय और उसमें नया जीवन डाला जाय। यह काम सरल नहीं था, क्योंकि, यद्यपि यहां की पिछली शासन-व्यवस्था कहने के लिये 'आधुनिक' थी, फिर भी वह पुराने ढंग की नवाबशाही का ही एक भाग थी। सेक्रेटेरियट की व्यवस्था ऐसी बिगड़ी हुई थी कि उसे जड़ से सुधारना आवश्यक था। सिविल-विभागों में सारा काम बड़े "आराम" के साथ किया जाता था, जिसके कारण यह विभाग शिथिल और निर्जीव से हो गये थे। इसलिये गवर्नमेंट ने इन सब की यथोचित व्यवस्था करने का काम हाथ मे लिया, जिससे सब कार्य नियमित रूप से, और ठीक समय पर, होने लगें। अनावश्यक विभागों को बन्द कर दिया गया, और अन्य बहुत से विभागों में मौलिक सुधार करके उन्हें ऐसा बना दिया गया कि वे उतने ही अच्छे ढंग से काम करने लगे, जितने भारतीय प्रान्तों के सेक्रेटेरियट करते हैं। इस सम्बन्ध में विशेष रूपसे यह सुधार किये गये:— 'फ़ाइल—बाज़ी' बहुत कम कर दी गई; सब काम नियमित रूप से और बिना देर के होने लगे; अनावश्यक व्यय रोक दिये गये; और सरकारी दफ्तरों का वातावरण

ऐसा बना दिया गया कि साधारण लोगों को भी उनसे काम पड़ने पर कोई असुविधा न हो। गवर्नमेंट ने यह नीति भी निर्धारित कर दी कि सरकारी नौकरियों में स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर ही अवसर दिया जाय—यदि वे आवश्यक योग्यता रखती हों।

पुलिस-कार्यवाही के बाद गवर्नमेंट के पास ऐसे बहुत से लोगों की अर्ज़ियां आईं, जिन्होंने पिछले शासन-काल में अपनी-अपनी नौकरियां छोड़ दी थीं, या जिन्हें ज़बरदस्ती रिटायर्ड कर दिया गया था, या जिन का पद गिरा दिया गया था, या जिनकी तरक्की रोक दी गई थी—और यह सब केवल इसलिये, कि यह लोग एक खास जाति या सम्प्रदाय के थे। इन लोगों के बारे में जांच करने और गवर्नमेंट को यथावश्यक सुझाव देने के लिये एक कमेटी बना दी गई।

हैदराबाद रियासत में मुस्लिमों की अपेक्षा गैर मुस्लिमों की संख्या कहीं अधिक है, फिर भी यहां की अधिकांश सरकारी नौकरियां मुस्लिमों के ही हाथ में थी, इसलिये गवर्नमेंट ने निश्चय किया कि, जहां तक सम्भव हो, सभी सरकारी नौकरियों पर जो नियुक्तियां की जायें, वे खुली प्रतियोगिता के ही आधार पर की जायें और उनमें किसी की जाति या सम्प्रदाय का कोई विचार न किया जाय। साथ ही गवर्नमेंट ने इस पर भी विशेष ध्यान दिया कि नियुक्तियों के विषय में किसी प्रकार का पक्षपात न होने देने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन की शक्ति और अधिकारों को बढ़ा दिया जाय। पिछली गवर्नमेंट के शासन-काल में पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई परवाह नहीं की जाती थी, और केवल उन लोगों को नियुक्त किया जाता था, या तरक्की दी जाती थी, जो उस गवर्नमेंट को प्रसन्न रखते थे। मिलिटरी गवर्नमेंट ने तमाम सरकारी नौकरों की, उनके पद, वेतन और सर्विस के आधार पर, सूचियां तैयार कराई, जिससे किसी के साथ पक्षपात या अन्याय न किया जा सके।

इन सब सुधारों का यह प्रभाव हुआ कि सरकारी कर्मचारियों के मन से अस्थिरता और आशंका दूर हो गई और वे अपने-अपने पदों को फिर सुरक्षित समझने लगे।

सेना और पुलिस की दशा पर भी ध्यान देना आवश्यक था। सभी जानते हैं कि यह दोनों विभाग पिछले कई महीनों से इस ढंग से चलाये जा रहे थे, जैसे हैदराबाद में युद्ध हो रहा हो। इस ढंग को अब नहीं रक्खा जा सकता था।

१ सितम्बर १९४८ को हैदराबाद सेना की संख्या १७,८७० थी—और सम्भवतः इससे भी अधिक संख्या रक्खी जाने की आशा थी। किन्तु रियासत न तो इतनी बड़ी सेना का व्यय उठा सकती है, और न यह सेना आवश्यक ही है। इसलिये यह निश्चय किया गया कि उसकी संख्या को घटा कर १०,६१४ कर दिया जाय, और यह काम क्रमशः इतने समय में किया जाय कि इसी बीच में सेना से अलग किये हुए लोगों की जीविका आदि का उचित प्रबन्ध भी किया जा सके। सेना में साम्प्रदायिक अनुपात को ठीक करने के लिये अब गैर-मुस्लिमों की भरती भी बराबर की जा रही है। हैदराबाद सेना का भविष्य बहुत कुछ हैदराबाद रियासत के भविष्य पर, और पूरे भारत-राष्ट्र की सेनाओं के भविष्य पर निर्भर है।

जनवरी १९४८ से सितम्बर १९४८ तक के काल में हैदराबाद पुलिस-दल की संख्या १७,००० से ३५,००० पर पहुंच गई थी। इनमें से बहुत से लोग भारतीय सेना के हैदराबाद में घुसते ही अपनी-अपनी ड्यूटी छोड़ कर भाग गये, और इस प्रकार पुलिस-दल की संख्या आप ही आप बहुत कुछ कम हो गई। फिर भी प्रत्येक ज़िले में आवश्यकतानुसार पुलिस की संख्या को नियत कर दिया गया। अनावश्यक

पुलिस को कम करने और ग़ैर मुस्लिमों को पुलिस में भरती करने का काम जारी है।

आर्थिक दशा में सुधार

पिछली गवर्नमेंट ने काल्पनिक युद्ध की तैयारियों में इतना रुपया बहाया था कि रियासत लगभग बरबाद हो चुकी थी। सेना और पुलिस पर पांच करोड़ रुपया फूंक दिया गया था; दो करोड़ से भी अधिक के अस्त्र-शस्त्र खरीद डाले गये थे; भारत से लाये हुए तथा-कथित मुस्लिम 'शरणार्थियों' पर डेढ़ करोड़ रुपया व्यय हुआ था; और पचास लाख से ऊपर रुपया प्रोपैगेंडा में तथा इत्तिहाद पार्टी के कट्टर-पंथी नेताओं, रज़ाकारों और उनके अनुगामी कुछ हरिजन-नेताओं की सहायता में दे दिया गया था। इसके अतिरिक्त हैदराबाद गवर्नमेंट का चार करोड़ रुपया, जो विदेशों के बैंकों में था, कुछ व्यक्तियों के नाम जमा कर दिया गया था। इस सब अपव्यय का परिणाम यह हुआ था कि सन १९४८-४९ के बजट में आठ करोड़ रुपये की कमी पड़ रही थी – यद्यपि पिछले अर्थ-मन्त्री ने, कई गुप्त व्ययों को छिपा कर, इस कमी को केवल तीन करोड़ बनाया था। और यह आठ करोड़ की कमी उस तेरह करोड़ की कमी के अतिरिक्त थी जो सन् १९४७-४८ में पड़ चुकी थी। नक़दी की हालत यह थी कि जब मिलिटरी गवर्नर ने शासन का काम अपने हाथ में लिया तो ख़ज़ाने को बिलकुल ख़ाली पाया।

इस प्रकार नई गवर्नमेंट के सामने एक बड़ी भारी समस्या यह थी कि कुल चौबीस करोड़ रुपये के बजट में यह आठ करोड़ रुपये की जो कमी पड़ रही थी, उसका क्या उपाय किया जाय। इसका समाधान अन्त में यही करना पड़ा कि पूरा बजट नये सिरे से बनाया गया और उसमें से तमाम आवश्यक मदों को निकाल दिया गया, या उनकी रक़में बहुत-कुछ कम कर दी गई। साधारण जनता पर नये टैक्स बिना लगाये और राष्ट्र-निर्माण के कार्यों को बिना रोके, और अनेक नये, असाधारण कामों के व्यय बढ़ाये जाने पर भी, इस आठ करोड़ की कमी को घटा कर डेढ़ करोड़ रुपये पर ले आया गया। बजट में जो नये व्यय बढ़ाये गये, उनमें से मुख्य-मुख्य यह थे :— सिविल शासक-दल के लिये एक करोड़ बीस लाख, चुनाव की तैयारियों के लिये चौंतीस लाख, खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में सरकारी सहायता के लिये साठ लाख, और सेना तथा पुलिस से अलग किये हुए लोगों के प्रबन्ध के लिये एक करोड़। इसके साथ ही साथ रिजर्व खाते में आवश्यक रुपया जमा करने का काम भी प्रारम्भ कर दिया गया।

मुद्रा-स्फीति (Inflation) को रोकने के लिये आम कम्पनियों पर यह बन्धन लगाया गया कि वे किसी आर्थिक वर्ष में अपनी प्राप्त पूंजी पर जो वार्षिक मुनाफ़ा बांटें, वह या तो छः प्रतिशत के अन्दर हो और या पिछले वर्षों के औसत मुनाफ़े के बराबर हो — इन दोनों में से जो अधिक हो, वही दिया जाय।

गवर्नमेंट के अतिथि-सत्कार-विभाग (आसेरा) का व्यय भी क्रमशः कम किया जा रहा है, और इसलिये यह विभाग अब गवर्नमेंट पर भार-रूप नहीं रहा है।

अधिकारियों ने उन औद्योगिक फ़र्मों की स्थिति की जांच कराई, जिनमें गवर्नमेंट का रुपया फँसा हुआ था। पिछली गवर्नमेंट ने तरह-तरह के उद्योग-धंधों में बड़ी-बड़ी रक़में हिस्सों (शेयरों) या ऋण के रूप में लगा रक्खी थीं, किन्तु उन उद्योग-धंधों पर गवर्नमेंट का कोई नियन्त्रण या अधिकार नहीं था। नई गवर्नमेंट ने इस विषय में दृढ़ता से काम लिया और इन औद्योगिक फ़र्मों से यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें भविष्य में किसी तरह की आर्थिक सहायता तभी दी जायगी जब वे अपनी व्यवस्था ठीक कर लें और अपना

प्रबन्ध गवर्नमेंट को सौंप दें। साथ ही इसका भी पूरा ध्यान रक्खा गया कि उद्योग-धंधों के समुचित विकास और विस्तार में कोई रुकावट न पड़ने पाये। औद्योगिक फर्मों के प्रतिनिधियों के साथ इस प्रबन्ध के विषय में भी विचार किया गया कि इन कामों में गवर्नमेंट का जो रुपया लगा हुआ है, उसके बदले में गवर्नमेंट को इन पर पर्याप्त नियन्त्रण रखने का अधिकार मिले, और साथ ही उसे मुनाफ़े का उचित अंश भी दिया जाय।

शरणार्थियों का प्रबन्ध

गवर्नमेंट और जनता दोनों का एक प्रधान कर्तव्य उन हिन्दुओं और मुस्लिमों को आवश्यक सहायता पहुंचाना तथा उन्हें फिर से बसाना भी था, जो पुलिस-कार्यवाही से पहले और उसके बाद के दिनों में, हज़ारों की संख्या में आश्रय-हीन और जीविका-हीन हो गये थे। इन बेचारों को बिना किसी अपराध के ही अपना घर-द्वार छोड़ कर भागना पड़ा था, और अब घोर आर्थिक सङ्कट तथा शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने पड़ रहे थे। इनको फिर से बसाने तथा इनकी जीविका का प्रबन्ध करने के लिये गवर्नमेंट ने न तो रुपया उठाने में कोई कसर की और न प्रयत्न करने में। दुर्भाग्य और विपत्ति साम्प्रदायिक भेद-भावों को नहीं मानते। विपत्तियां हिन्दू और मुस्लिम दोनों पर समान रूप से आई थीं। गवर्नमेंट ने सहायता भी दोनों को समान रूप से ही दी, और इस विषय में किसी तरह का भेद-भाव नहीं होने दिया।

शरणार्थियों की समस्या एक मनुष्यता की समस्या है, और इसे तभी सुलझाया जा सकता है, जब सभी ओर से सहायता मिले—गवर्नमेंट की ओर से भी, और जनता की ओर से भी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने ग़ैर-सरकारी लोगों से शरणार्थियों के लिये सहायता मांगी, और उन लोगों ने भी इसे अपना कर्तव्य समझ कर अपनी शक्ति भर सहायता दी, और गवर्नमेंट का हाथ बंटाया। मिलिटरी गवर्नर ने अपनी ओर से ही इस ओर विशेष ध्यान दिया, और अपने नाम से एक सहायता-फ़ंड खुलवाया। स्वयं शरणार्थियों ने भी, विपत्तियों का धक्का खा कर होश में आ चुकने के बाद, अपने आप को बहुत-कुछ संभाला। अपने पिछले लड़ाई-झगड़ों को भूल-भाल कर हिन्दू और मुस्लिम दोनों सम्प्रदायों के शरणार्थियों ने मिल-जुल कर, साथ-साथ मेहनत की, साथ-साथ हानि-लाभ उठाया और साथ-साथ अपनी सब की दशा सुधारने का प्रयत्न किया।

इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में शरणार्थियों की समस्या उतनी विकट नहीं रह गई जितनी प्रारम्भ में थी, और कुछ महीनों के बाद तो यह समस्या लगभग सुलझ ही गई। भारत के अन्य प्रान्तों से आये हुए मुस्लिमों को अपने-अपने घरों को वापस भेज दिया गया। जो हिन्दू विपत्ति के दिनों में रियासत छोड़ कर भाग गये थे, वे अपने-अपने घर लौट आये और अपने-अपने कामों पर लग गये। और इसी तरह जो मुस्लिम परिवर्तन के दिनों में विपत्तियों में पड़ गये थे, उनको भी आश्रय और जीविका देने का उचित प्रबन्ध कर दिया गया।

"कम्यूनिस्टों" का आतङ्क

जिन दिनों यह सब काम किये जा रहे थे, उन्हीं दिनों हैदराबाद के तेलंगाना प्रदेश में, विशेष कर नलगुंडा और वरंगल के ज़िलों में, एक दूसरा ही उत्पात बढ़ता जा रहा था। इस उत्पात को यदि बढ़ने दिया जाता, तो हैदराबाद की जनता को फिर उन्हीं कष्टों और विपत्तियों का सामना करना पड़ता, जिनका रज़ाकारों के दिनों में करना पड़ा था। इस उत्पात को यों आम तौर पर "कम्यूनिज्म" का नाम दिया जाता है। किन्तु इन "कम्यूनिस्ट" ज़िलों में जो कुछ होता रहा

है, उसे यदि कोई राजनैतिक सिद्धान्तों की लड़ाई समझे, तो यह उसकी बड़ी भारी भूल होगी। हैदराबाद के इन, अपने-आप को "कम्यूनिस्ट" कहने वाले, समाज के शत्रुओं का एक ही "सिद्धान्त" है, और वह है, गड़बड़ के दिनों का लाभ उठा कर अपना मतलब पूरा करना। केवल मार्क्स-वाद की दो-चार थोथी बातें याद कर लेने और शस्त्रों के द्वारा उत्तेजना फैलाने भर से एक डाकुओं का दल 'मज़दूरों और किसानों का मुक्तिदाता' नहीं बन सकता। तेलंगाना के यह "कम्यूनिस्ट" केवल एक ज़िले में २०० व्यक्तियों की हत्या कर चुके हैं, और एक करोड़ की लागत का ३७,००० मन अन्न लूट चुके हैं, या नष्ट कर चुके हैं। क्या इन करतूतों को कोई 'समाज-सेवा' कह सकता है?

इन स्वयं-नियुक्त उत्पाती "रक्षकों" से तेलंगाने के ग़रीब किसानों को बचाना गवर्नमेंट का कर्तव्य था। मानी हुई बात है कि यह काम किसी तरह भी सरल न था, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने इन लोगों के बारे में न तो कोई ठीक-ठीक विवरण रक्खा था, और न इनका हाल-चाल जानने और पता लगाने की कोई व्यवस्था की थी। इसके अतिरिक्त, रियासत की पुलिस के बारे में यह भी नहीं कहा जा सकता था कि वह इस मामले में वास्तविक उत्साह के साथ आगे बढ़कर काम करेगी, क्योंकि पिछले दिनों में पुलिस के बहुत से लोगों ने किसानों पर तरह-तरह के अत्याचार किये थे, और अब पुलिस-वालों को किसानों के क्रोध का डर था। इसलिये, इसका विश्वास नहीं था कि "कम्यूनिस्टों" के दमन का काम केवल रियासत की पुलिस सफलता के साथ कर सकेगी। बल्कि इस बात के कई प्रमाण मिल चुके थे कि "कम्यूनिस्ट" गुंडों को पिस्तौलें, स्टेन-गनें, राइफ़लें और 'भर-मार' बन्दूकें, सस्ते दामों में, पुलिस के लोगों से ही मिले थे। इसलिये यह निश्चय किया गया कि बाहर के प्रान्तों से स्पेशल, सशस्त्र पुलिस बुलाई जाय और उसे सेना के साथ मिल कर काम करने के लिये तेलंगाने के इन ज़िलों में भेजा जाय।

इन सब दलों की संघटित सहायता से गुंडों को ढूंढ-ढूंढ कर पकड़ने का काम प्रारम्भ किया गया। जहां-तहां पुलिस की चौकियां बना दी गईं। उपद्रवकारियों का हाल-चाल जानने और उनका पता रखने का काम भी ठीक ढंग से किया जाने लगा। "कम्यूनिस्टों" के झूठे प्रोपेगेंडा के विरुद्ध प्रचार किया गया। हैदराबाद के पड़ोसी मद्रास प्रान्त के अधिकारियों के साथ समय-समय पर परामर्श करके संघटित और सम्मिलित कार्यवाही का प्रबन्ध किया गया।

यह सब काम गुंडों के उपद्रवों को रोकने के लिए थे। इनके साथ ही कई रचनात्मक कार्य – तरह तरह के, उन्नति और लाभ पहुंचाने वाले सुधार आदि – भी प्रारम्भ किये गये, जिनका पूरा विवरण नीचे दिया गया है।

"कम्यूनिस्ट" गुंडों के विरुद्ध गवर्नमेंट ने जो कुछ किया, उस में आशा के अनुसार सफलता भी मिली है। पहले की अपेक्षा परिस्थिति बहुत-कुछ सुधर चुकी है। चार हज़ार "कम्यूनिस्ट" और उनके बहुत से नेता हवालात में हैं और कुछ भागते हुए या लड़ते हुए मारे भी गए हैं। बहुत बड़े परिमाण में शस्त्र और गोले-बारूद भी बरामद किये गये हैं। इन लोगों के जो गुप्त पत्र आदि पकड़े गये हैं, उनसे पता चलता है कि अब यह गुंडे भयभीत होकर जहां-तहां छिपते फिर रहे हैं।

फिर भी यह कहना और समझना व्यर्थ है कि हैदराबाद की "कम्यूनिस्ट" समस्या हल हो चुकी है। रियासत की पिछले दसियों वर्षों की आर्थिक दशा तथा ग़रीबों और अमीरों के बीच का आकाश-पाताल का अन्तर, यह दो वास्तविकतायें थीं, जिनके आधार पर कम्यूनिज़्म—या जिसे कम्यूनिज़्म का नाम दिया गया था, वह आन्दोलन – यहां फल-फूल सकता था, और सचमुच फला-फूला। स्पष्ट है कि इतने वर्षों के संचित

प्रभाव को एक दिन में मिटाना असम्भव था। मिलिटरी गवर्नर ने हैदराबाद में "कम्यूनिस्ट" करतूतों के चार्ट की तुलना बुखार के चार्ट से की है, जिसकी लाइन कभी ऊपर चढ़ती है, कभी नीचे उतर आती है। किन्तु गवर्नमेंट को अपने प्रयत्नों में एक हद तक सफलता मिली अवश्य है। "कम्यूनिस्टों" को मिटाया नहीं जा सका है, किन्तु उनके ज़हर के दाँत उखाड़ लिये गये हैं। उनके बहुत से नेता पकड़े जा चुके हैं। अपनी छिन्न-भिन्न शक्ति को फिर से संघटित करना उनके लिये बहुत कठिन है — और यदि वे ऐसा कर भी सकें, तो इसमें अभी समय लगेगा। उनके किले की इतनी दीवारें गिर चुकी हैं, कि उन्हें फिर से खड़ा करना लगभग असम्भव है। वह दिन दूर नहीं है जब सेना और पुलिस की संघटित शक्ति इन उपद्रवियों को सदा के लिये शान्त कर देगी। हैदराबाद की गवर्नमेंट को विश्वास है कि यह काम बहुत शीघ्र पूरा किया जा सकेगा, तथा तेलंगाने के किसान सुख और शान्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

अनेक महत्त्व-पूर्ण सुधार

ऊपर बताये हुए सारे काम ऐसे थे, जिन्हें निरोधात्मक सुधार — अथवा उपद्रवों को रोकने वाले उपाय — कहा जा सकता है। किन्तु इसी बीच में नई गवर्नमेंट "मिलिटरी गवर्नमेंट" नहीं रह गई थी — वह अब संरक्षक (निगरानी करने वाली) गवर्नमेंट बन गई थी, जिसका काम भविष्य की जनता-गवर्नमेंट के लिये रास्ता साफ़ करना था। इसमें "मिलिटरी-पन" केवल इतना ही रह गया था कि यह एक सैनिक की अध्यक्षता में काम कर रही थी। किन्तु न तो वह सैनिक, और न उसके अधीन अन्य सैनिक, हैदराबाद में विजेताओं के रूप में आये थे। वे तो यहां की जनता को विपत्तियों और संकटों से छुटकारा दिलाने आये थे। और यह बात भी मानी हुई है कि "मिलिटरी गवर्नमेंट" के शासन में मिलिटरी की प्रसिद्ध कठोरता का कहीं पता भी न था। यह वास्तव में संरक्षक गवर्नमेंट थी। संरक्षक गवर्नमेंट, साधारण संरक्षकों की तरह प्रतीक्षा में चुपचाप बैठी हुई समय नहीं काटती रही, अपितु उसने ऐसे अनेक बड़े-बड़े और गतिशील सुधारों का काम हाथ में लिया, जिसका लक्ष्य हैदराबाद की जनता के प्रत्येक वर्ग को सुखी और समृद्ध बनाना था।

लगभग सबसे पहला और एक नया युग उपस्थित करने वाला सुधार निजाम की निजी जमीनों का — सर्फ़े-ख़ास का — ले लेना था। इन ज़मीनों का क्षेत्रफल ८००० वर्गमील है, जो ट्रावनकोर रियासत के बराबर है, भोपाल रियासत से बड़ा है, और भूतपूर्व बड़ोदा रियासत से कुछ ही कम है। सर्फ़े-ख़ास का विलीन हो जाना हैदराबाद के इतिहास की एक बड़ी महत्त्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा न केवल रियासत का एक बड़ा भारी प्रदेश आधुनिक शासन-व्यवस्था में आ गया, बल्कि नवाबशाही के "अन्त का प्रारम्भ" भी प्रत्यक्ष हो गया। रियासत के अधिपति ने इस बात को समझा, और स्वयं कहा भी, कि "अब समय बदल गया है" और इसलिये वे तीन करोड़ रुपये वार्षिक की मालगुज़ारी का अधिकार छोड़ कर नवाबशाही का अन्त करने के काम में अग्रगामी बने। उनके इस प्रकार आगे बढ़ने का आम जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।

जागीरों का प्रबन्ध

सर्फ़े-ख़ास का प्रबन्ध गवर्नमेंट के हाथ में आ जाना एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन था। इसके बाद गवर्नमेंट ने जनता की भलाई के लिये अन्य बड़ी-बड़ी प्राइवेट जायदादों — जागीरों, पैगाओं और संस्थानों — का शासन भी अपने हाथ में लेने का विचार करना प्रारम्भ किया। गवर्नमेंट को आशा थी कि इन जायदादों के स्वामी भी माननीय निजाम के पद-चिह्नों पर चलेंगे, और इतिहास में अपना नाम किसानों के रक्षकों के रूप में छोड़ जायेंगे, उनके भक्षकों के रूप में नहीं। इसलिये गवर्न-

मेंट ने जागीरों के शासन-सम्बन्धी नियमों का एक मसविदा तैयार किया और उस पर जागीर-दारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार किया।

इन नियमों की मुख्य-मुख्य बातें यह हैं – जागीरों का शासन उसी ढंग पर हो, जिस पर गवर्नमेंट द्वारा शासित प्रदेशों में होता है; जागीरों से वसूल किये हुए लगान का एक निश्चित भाग शासन-व्यय के लिये काट लिया जाय, और एक निश्चित भाग ही जागीरदारों को दिया जाय; और जागीरदारों का यह भाग क्रमशः घटाया जा कर रियासत की मालगुज़ारी में मिला दिया जाय।

जिस सिद्धान्त के आधार पर यह नियम बनाये गये थे, उसे सबने स्वीकार कर लिया है, और अब, इनके ब्योरेवार विधानों के बारे में जो आलोचनायें की गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, तथा भारत-सरकार के रियासत-विभाग से परामर्श करने के बाद, इन्हें एक निश्चित रूप दिया जा रहा है। यह नियम कुछ दिनों में स्वीकृत हो जायेंगे, और इस प्रकार दलित-वर्ग की दशा सुधारने का कार्य बहुत-कुछ आगे बढ़ जायगा।

किसानों से सम्बन्धित अन्य सुधार

किसानों से सम्बन्ध रखने वाले अन्य अनेक सुधारों की योजनायें भी संरक्षक गवर्नमेंट के सामने हैं। रियासत में काश्तकारी के जो .कानून चल रहे हैं, उन्हें बदल कर पड़ोसी प्रान्तों में प्रचलित .कानूनों के ढंग पर लाना आवश्यक है। जागीरों के दो हज़ार गांवों की पैमायश और बन्दोबस्त करना, तथा एक पूरा और सही 'अधिकार-विवरण' तैयार करना भी आवश्यक है। साथ ही, देशमुख आदि बीच के एजेंटों की समस्या को भी, विशेषकर तेलंगाना प्रदेश के विषय में, विवेक और साहस के साथ सुलझाना आवश्यक है।

इसी बीच में गवर्नमेंट ने किसानों के कष्ट कम करने के लिये कई काम किये हैं। कृषक-प्रजा को अपनी असुविधाओं और आवश्यकताओं की बात अधिकारियों तक पहुंचाने में कोई कठिनता न हो, और प्रजा तथा तहसील के अधिकारी एक-दूसरे के सम्पर्क में आयें, इस उद्देश्य से अर्ज़ियाँ वसूल करने और उनका निर्णय करने के बारे में कुछ नियम बना दिये गये हैं। इन नियमों के अनुसार प्रत्येक तहसील के अधिकारी का कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन कुछ निश्चित घंटे किसानों की अर्ज़ियाँ स्वयं बैठकर सुनने के लिये दें। अधिकारियों के लिये यह भी आवश्यक है कि वे एक ऐसा रजिस्टर रक्खें जिसमें उनके पास आई हुई सब अर्ज़ियों का ब्योरा लिखा जाय। साथ ही, अर्ज़ी देने वाले को एक निश्चित फ़ार्म पर अर्ज़ी से वसूल होने की रसीद दिये जाने का नियम भी बनाया गया है। अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे अर्ज़ियों पर विचार तथा निर्णय करने में अनावश्यक देर न होने दें, और प्रति मास जितनी अर्ज़ियां वसूल हुई हों और जिन पर विचार किया गया हो, उनका पूरा विवरण कलेक्टर के पास तथा मालगुज़ारी सेक्रेटेरियट में भेजें।

पिछली गड़बड़ के दिनों में जिन ज़मीनों में खेती नहीं की जा सकी थी, या जिनकी तैयार फ़सलों को काट कर घर नहीं लाया जा सका था, उनका लगान माफ़ कर दिया गया है। इन माफ़ियों की रक़म लगभग सत्रह लाख रुपया है। साथ ही, देहात के जिन पटेल, मुखिया आदि लोगों को मालगुज़ारी का कुछ प्रतिशत अंश दिया जाता था, उनको वह पूरे का पूरा, पुराने हिसाब के अनुसार ही, दिया गया है।

पिछली गवर्नमेंट ने यह नियम बना रक्खा था कि जिन 'सूखी' ज़मीनों की सिंचाई सन १३१७ फ़सली (१९०८ ई०) से पहले बनाये हुए कुँओं से की जाती हो, उनका लगान 'गीली' ज़मीनों के हिसाब से (ऊँची दर से) लिया जायगा। यह अनुचित नियम हटा दिया गया है, और अब सभी 'सूखी' ज़मीनों पर – चाहे

हैदराबाद का

उनकी सिंचाई १९०८ से पहले बनाये हुए कुँओं से होती हो, चाहे बाद के बनाये हुए कुंओं से – जो लगान लिया जाता है, वह 'खुश्की' ज़मीनों के हिसाब से (नीची दर से) ही लिया जाता है।

मज़दूर जांच कमेटी

किसानों की दशा सुधारने के लिये उपर्युक्त काम करने के साथ-साथ, उनके शहरी भाइयों को भी गवर्नमेंट नहीं भूली। मज़दूर-समस्याओं को शान्ति के साथ सुलझाया गया, और मज़दूरों के साथ सद्भावना-पूर्ण सम्बन्ध स्थापित किया गया। मज़दूर-दल के अधिकारों और लाभों की रक्षा के लिये गवर्नमेंट का 'श्रमजीवी विभाग' नये सिरे से संघटित किया गया। गवर्नमेंट अच्छी तरह समझती है कि रियासत की व्यवस्था में श्रमिक वर्ग का स्थान अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण है, और यह चाहती है कि श्रमिकों से उचित रीति से काम लिया जाय और उसका उन्हें उचित पारिश्रमिक भी दिया जाय। इसीलिये मज़दूरों के विषय में पूरी जाँच का प्रबन्ध गवर्नमेंट ने किया है।

हरिजनों की हित-रक्षा

गवर्नमेंट की दृष्टि में समाज के सब सम्प्रदाय, जातियाँ और वर्ग एक बराबर हैं। इसी सिद्धान्त के अनुसार यह विधान बनाने का निर्णय किया गया कि हरिजनों पर, उनकी जाति के कारण, किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाना ग़ैर-कानूनी है। हैदराबाद की संरक्षक गवर्नमेंट ने जनता में भी साम्प्रदायिक और वर्ग-गत भेद-भाव को न मानने की जो भावना उत्पन्न की, उसका परिणाम यह हुआ कि माहुर का श्री दत्तात्रेय का सुप्रसिद्ध मन्दिर हरिजनों के लिये खोल दिया गया। यह मन्दिर अब तक कट्टर-पन्थियों का दुर्ग माना जाता था। गवर्नमेंट ने हरिजनों की हित-रक्षा के लिये एक कमेटी भी बनाई, जिसका कर्तव्य हरिजनों से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों का उचित संघटन करना तथा गवर्नमेंट और हरिजन-वर्ग के बीच सम्बन्ध-सूत्र का काम करना है। एक करोड़ रुपये के हरिजन ट्रस्ट फंड में से उचित कार्यों के लिये सहायता भी दी गई।

लोक-तन्त्र शासन की ओर

भारत के प्रधान मन्त्री यह घोषणा कर चुके हैं कि हैदराबाद के भविष्य का निर्णय हैदराबाद की जनता की इच्छानुसार ही किया जायगा। इस घोषणा को कार्यरूप में परिणत करने लिये गवर्नमेंट ने विधान-परिषद् के चुनाव की तैयारी प्रारम्भ कर दी है। नलगुंडा ज़िले के कुछ भाग को छोड़ कर शेष सब ज़िलों में गांवों, कस्बों और शहरों के घरों को गिना जा चुका है और इन पर नम्बर डाले जा चुके है। चुनाव में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को वोट देने का अधिकार रहेगा। इन वोट देने वालों की सूची भी तैयार की जा रही है। संरक्षक गवर्नमेंट का लक्ष्य हैदराबाद को सदा के लिए अपने अधिकार में रखना नहीं है, और वह तभी तक शासन का काम संभालेगी जब तक, भारत के उप-प्रधान मन्त्री के शब्दों में, "लोक-तन्त्र शासन स्थापित करने के अनुकूल परिस्थिति" उत्पन्न न हो। तरह-तरह के टेढे प्रश्न और कठिन समस्यायें, जैसे अन्यत्र सामने आते हैं, वैसे ही हैदराबाद में भी हैं. इन प्रश्नों और समस्याओं को सुलझाने के लिये नई गवर्नमेंट ने अनेक दृढ़ प्रयत्न और उपाय किये हैं। रियासत की परिस्थिति कहां तक गवर्नमेंट के वश में है, इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है कि भारत के प्रधान मन्त्री और उप-प्रधान मन्त्री के यहाँ आने के ऐतिहासिक अवसरों पर किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होने पाई।

हैदराबाद में शान्ति और व्यवस्था को फिर से स्थापित करना और हज़ारों शरणार्थियों को फिर से

बसाना तथा जीविका देना कोई सरल काम नहीं थे। किन्तु इनसे भी कठिन काम था मुसलिमों के मन में अपने-आप को सुरक्षित समझने की भावना उत्पन्न करना। गवर्नमेंट ने इस काम को भी पूरी सफलता के साथ किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि गवर्नमेंट को समस्त जनता का पूर्ण सहयोग और अनुगमन मिला और अब भी बराबर मिल रहा है। प्रधान मन्त्री के आगमन के अवसर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने यह घोषणा की कि भविष्य में यूनिवर्सिटी की शिक्षा का माध्यम उर्दू के स्थान पर हिन्दुस्तानी रहेगा। (यूनिवर्सिटी की स्थापना उर्दू के लिये ही की गई थी)। यह घोषणा करते हुए, यूनिवर्सिटी ने जिस रूप में और जिस ढंग से प्रधान मन्त्री का सम्मान किया, वह इस बात का स्पष्ट द्योतक था कि हैदराबाद सभी बातों में भारत-संघ से सहयोग करने और उसका एक अंश बन-कर रहने का हृदय से इच्छुक है, और अपनी इस इच्छा को कार्यरूप में परिणत करने को भी तैयार है।

किन्तु संरक्षक गवर्नमेंट का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। पिछली गवर्नमेंट जो समस्यायें वसीयत में छोड़ गई है, वे ऐसी विकट हैं कि उन्हें पूरी तरह से सुलझाने में अभी कुछ समय लगेगा। जो रियासत कई पीढ़ियों से केवल नवाबशाही शासन में रही हो, और जिस पर पिछले वर्षों में भारत तथा अन्य देशों में होने वाली वेगशील घटनाओं का भी कोई प्रभाव न पड़ा हो, उसे छः महीनों के स्वल्प काल में सहसा परिवर्तित कर देना सम्भव नहीं है। किन्तु यहां की सारी व्यवस्था को नये सिरे से संघटित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और साथ ही लोक-तन्त्र शासन स्थापित करने के लिये जिस प्रकार के योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है, उनका भी अनुसन्धान करने की चेष्टा की जा रही है।

यह सब कुछ करते हुए भी, भारत के प्रधान मन्त्री के आदेशानुसार, संरक्षक गवर्नमेंट ने हैदराबाद की नागरिक या ग्रामीण जनता के सामान्य, दैनिक जीवन में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं किया है, और वह पहले ही की तरह चल रहा है। संरक्षक गवर्नमेंट अपने-आप को "उपयोगी और विश्वासपात्र सेवक" सिद्ध कर चुकी है, और उप-प्रधान मन्त्री से यह शाबाशी पा चुकी है कि वह "बदलती हुई व्यवस्था और नई परिस्थिति की सब मांगों को ठीक तरह से पूरा कर रही है, और जो अनेक कठिनाइयां उसके सामने आ रही हैं, उन्हें व्यवस्था और चतुरता के साथ सुलझा रही है।"

इस "व्यवस्था और चतुरता" से काम करने का ही यह फल है कि आज हैदराबाद का वातावरण आशा-पूर्ण बन गया है।

——::——



सिक्क भेंट- हवाई अड्डे पर माननीय निज़ाम भारत के उप-प्रधान मन्त्री का स्वागत कर रहे हैं।

पीडितों की सहायता

भारत से आये हुए शासक-दल को हैदराबाद में जिन अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनमें सबसे पहली और तात्कालिक समस्या उन लोगों की थी, जो हज़ारों की संख्या में अपने-अपने घर छोड़ कर निर्वासितों का जीवन बिता रहे थे। इन में तीन श्रेणियों के लोग थे : (१) भारत-संघ के वे मुसलिम जिन्हें रियासत की पिछली गवर्नमेंट ने, यहां की मुसलिम जन-संख्या को बढ़ाने के लिये, स्वयं बुलाया था; (२) रियासत के वे हिन्दू जो रज़ाकारों से बचने के लिये पड़ोस के प्रान्तों में चले गये थे, और अब लौट रहे थे; (३) रियासत के भीतरी भागों के निवासी वे मुसलिम जो, पुलिस कार्यवाही के दिनों में और उसके बाद, इस कारण से शहरों में भाग आये थे कि रज़ाकारों द्वारा सताये गये लोग अब उनसे

बदला लेने पर तुले हुए थे, या केवल इसलिये कि वे त्रस्त और शंकित थे।

इन समस्याओं को सुलझाने के लिये गवर्नमेंट के 'शरणार्थी साहाय्य-विभाग' को परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार बिलकुल नये सिरे से संघटित किया गया। पिछली गवर्नमेंट ने यह विभाग भारत-संघ से यहां आये हुए मुसलिमों की सहायता के लिये खोला था। भारत से आये हुए मुसलिमों में से अधिकांश अपने-अपने घरों को लौट जाने को उत्सुक थे, क्योंकि वहां सब व्यवस्था ठीक थी। इसलिये इन लोगों को वापस जाने के लिये सब तरह की सुविधायें – मार्ग-व्यय आदि – दी गई। इन लोगों को लाखों रुपये का कपड़ा भी बाँटा गया। हैदराबाद में बाहर से लगभग साढ़े-सात लाख मुसलिम आये थे। इनमें से अब केवल कुछ हज़ार यहाँ रह गये हैं। यह सब किसी न किसी जीविका से लगे हुए हैं, और इनके बच्चे शहर के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इन्हें हैदराबाद में रहने की आज्ञा दे दी गई है।

लायक अली गवर्नमेंट के दिनों में लगभग पांच लाख हिन्दुओं को रियासत छोड़ कर शोलापुर, बेजवाडा, पंढरपुर, पूना, बीजापुर, नागपुर इत्यादि स्थानों को चला जाना पड़ा था। इन्हें भी गवर्नमेंट ने हैदराबाद वापस आने और अपने-अपने स्थानों पर फिर बस जाने के लिए सब तरह की सुविधायें दीं।

जिलों के जो मुसलिम देहात से शहरों में भाग आये थे, उनके लिये कैम्पों का प्रबन्ध किया गया। उन्हें खाना मुफ्त दिया गया और लाखों रुपये का कपड़ा मुफ्त बाँट दिया गया। जब ज़िलों की दशा ठीक हो गई और इन मुसलिमों के अपने-अपने घर लौट जाने के लिये उपयुक्त समय आ गया, तो इन्हें भी वापस जाने के लिये सब तरह की सहायता दी गई। इन लोगों के केवल मार्ग-व्यय के लिये २०,००० रुपया तक ख़र्च करने की आज्ञा दी गई। इनका पहला जत्था १५ जनवरी १९४९ को हैदराबाद से बिदर गया, और वहां इनके भोजन तथा निवास आदि का मुफ्त प्रबन्ध तब तक बराबर किया गया, जब तक यह अपने-अपने गांवों को न चले गये। यह ढंग बहुत सफल सिद्ध हुआ और इसी प्रकार के अन्य बहुत से जत्थे ज़िलों को वापस भेज दिये गये। बहुत से लोग अपना प्रबन्ध स्वयं करके भी चले गये।

एक करोड़ रुपये की मूल-योजना

पिछली गवर्नमेंट के शासन-काल में सताये गये हिन्दू, और प्रतिक्रिया के दिनों में विपद्-ग्रस्त हुए मुसलिम, इन दोनों श्रेणियों के पीडितों को सहायता देने तथा उन्हें फिर से बसाने के लिये गवर्नमेंट ने बहुत थोड़े समय में एक विस्तृत योजना तैयार की, और इस सम्बन्ध में जितना भी रुपया व्यय हो उसकी चिन्ता न करते हुए योजना को आगे बढ़ाया। इस योजना पर एक करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया, जिसमें से ५०,००,००० रुपया किसानों तथा गांवों के छोटे-छोटे दुकान-दारों और व्यापारियों को ऋण देने के लिये रक्खा गया। शेष में से यह काम किये गये – निर्धनों के लिये निवास, अन्न, कपड़ा और चिकित्सा आदि का मुफ्त प्रबन्ध; अनाथों को, विशेष रूप से अनाथ स्त्रियों को, जीविका देने के लिये घरेलू उद्योगों की व्यवस्था; पेंशनें और वज़ीफे; जलाये या गिराये हुए मकानों को फिर से बनवाने का प्रबन्ध; तथा इसी तरह के अन्य अनेक प्रबन्ध जो इन पीडितों को अपने पैरों पर खड़ा होने में सहायता दें।

योजना के एक करोड़ रुपये का व्यय इस प्रकार विभक्त किया गया था :–

खेती के लिये तक़ावी तथा अन्य कामों के लिये ऋण	५०,००,०००

विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिये पेंशनें तथा वज़ीफ़े	२४,००,०००
मकानों को फिर से बनवाने के लिये इमारती लकड़ी	४,००,०००
घरेलू उद्योगों की व्यवस्था	५,००,०००
तात्कालिक सहायता के लिये सिविल शासकों को सौंपी हुई रक़म	२,६०,०००
मुफ़्त कपड़ा बांटने के लिये	१,७५,०००

इसके अतिरिक्त, अनाथ लड़कों के लिये छात्र-वृत्तियों का; निराजीवियों को जीविका देने के लिये जगह-जगह कुंए खुदवाने, सड़कें बनवाने तथा अन्य सहायता पहुँचाने वाले कामों का; और उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं, तथा सस्ते मूल्य पर अन्न की बिक्री का भी यथोचित प्रबन्ध किया गया। साथ ही लगभग १७,००,००० रु. का लगान भी माफ़ कर दिया गया; किन्तु देहात के जिन अवैतनिक अधिकारियों को लगान की वसूली के लिये कुछ प्रतिशत अंश दिया जाता था, उनकी जीविका का यह साधन नहीं छीना गया, और उन्हें प्रतिशत अंश के बदले में मासिक भत्ता दिये जाने का प्रबन्ध किया गया।

तक़ावी के ५०,००,००० रु. में से ३१,३०,००० रु. की रक़म विभिन्न ज़िलों में इस प्रकार बांटी जाचुकी है:-

नांदेड	६,००,०००
बिदर	६,००,५००
गुलबर्गा	४,५०,०००
नलगुंडा	४,००,०००
उस्मानाबाद	२,४०,०००
परभनी	२,००,०००
आदिलाबाद	१,५०,०००
वरंगल	१,००,०००
औरंगाबाद	५०,०००
बीड	२५,०००
निज़ामाबाद	१५,०००

तक़ावी देने का लक्ष्य शरणार्थियों – अथवा आश्रय-हीन लोगों – को सहायता देने का था, जिससे वे अपने खेती-बारी के औज़ार, पशु, बीज के लिये अन्न तथा खेती की अन्य आवश्यक वस्तुएं ख़रीद सकें, अपने मकानों को फिर से बना सकें और अगली फ़सल कटने तक अपने खाने-पीने की व्यवस्था कर सकें। किसानों को दिये हुए इस ऋण पर किसी तरह का ब्याज नहीं लगाया गया।

ऋण द्वारा सहायता केवल किसानों ही को नहीं दी गई। देहात में बहुत से छोटे-मोटे व्यापारी, दूकानदार, कारीगर, फेरीवाले, और वैद्य-हकीम भी थे, जो देहात की जनता के लिये उतना ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे, जितना अन्न देने वाले किसान अथवा दूध के पशुओं की देख-भाल करने वाले ग्वाले। इसलिये ऋण पाने वालों की सूची में इन लोगों को भी रक्खा गया। हां, इन लोगों से ३ १/८ प्रतिशत ब्याज अवश्य लिया गया, किन्तु वह भी एक वर्ष तक के लिये माफ़ कर दिया गया।

यह ऋण ग़ैर-दीवानी प्रदेशों (जागीरों, संस्थानों और पैगाओं) के निवासियों को भी दिया जा सकता था।

उपर्युक्त योजना का पूरा उद्देश्य तभी सिद्ध हो सकता था, जब सहायता न केवल पर्याप्त मात्रा में दी जाय, अपितु शीघ्र से शीघ्र दी जाय। पीड़ितों को कपड़े, आश्रय, अन्न और नक़द पैसे की तात्कालिक सहायता देना आवश्यक था। इसलिये प्रत्येक सिविल शासक को दस या बीस हज़ार की रक़म सौंप दी गई, जिसे वे आवश्यकतानुसार तात्कालिक सहायता में व्यय कर सकते थे।

सस्ते दामों पर अन्न बेचने वाली, और ठीक दामों पर अन्य वस्तुएं बेचने वाली दूकानें खुलवा दी गईं, और अतिरिक्त-लाभ पर लगाये हुए टैक्स के फ़ंड में से डेढ़ लाख रुपये के कम्बल ख़रीद कर ग़रीबों को बांट दिये गये।

शरणार्थियों के रहने का प्रबन्ध करना भी एक बड़ी भारी समस्या थी। झोंपड़ियां बनाने के लिये नारियल और ताड़ के पत्तों का मुफ्त प्रबन्ध किया गया। मकान बनाने के लिये सरकारी जंगलों की लकड़ी काम में लाई गई। टीन की चद्दरों की बड़ी आवश्यकता थी, और इनका मिलना कठिन था। गवर्नमेंट ने विशेष प्रयत्न करके हज़ारों टीन की चद्दरें मंगवाई और मकान बनवाने वालों में बंटवाईं।

पुलिस कार्यवाही के पहले और बाद की गड़बड़ों में (और पुलिस कार्यवाही के दिनों में भी) हिन्दू और मुसलिम दोनों वर्गों के अनेक परिवार, जीविका उपार्जन करने वाले पुरुषों के न रहने से, अनाथ हो गये थे। गवर्नमेंट ने इन्हें भी सहायता पहुंचाई और विधवाओं के लिये पेंशनें तथा छोटे बच्चों के लिये वज़ीफ़े नियत कर दिये। पढ़ने वाले बच्चों के लिये छात्रवृत्तियां भी दी गईं। इसके अतिरिक्त, इन अनाथ विद्यार्थियों को पुस्तकें, कापियां, क़लमें आदि भी गवर्नमेंट की ओर से मुफ्त बांटी गईं।

अनाथ स्त्रियों की सहायता

जन-नाश का सबसे भयङ्कर और दुःखद परिणाम स्त्रियों को भोगना पड़ता है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, गड़बड़ के दिनों में हज़ारों युवती और वृद्धा स्त्रियाँ अपने पालन पोषण करने वालों के न रहने से, असहाय और अनाथ हो गई थीं। इनके तथा इनके बच्चों के पालन-पोषण का प्रबन्ध करने के लिये गवर्नमेंट की ओर से उदारता-पूर्वक पेंशनें और वज़ीफ़े दिये गये। किन्तु किसी को यह आश्वासन भी नहीं दिया गया कि गवर्नमेंट इन सब लोगों को सदा के लिये अपाहिज मान कर उनके लिये बैसाखियां बना-बना कर देती रहेगी, और उन्हें अपने पैरों आप खड़े होने को कभी न कहेगी। गवर्नमेंट ने अपना यह कर्तव्य समझा कि इन अनाथ स्त्रियों को केवल दान के पैसों पर आश्रित न रहने दिया जाय, प्रत्युत छोटे-मोटे घरेलू उद्योग-धंधों की एक ऐसी योजना बना दी जाय जिसके द्वारा यह स्त्रियां स्वयं पैसा पैदा कर सकें। इस काम के लिये केवल ऐसे उद्योगों को लिया गया, जिनसे अधिकांश लोग परिचित थे, और जिन्हें बिना अधिक व्यय के, सफलता के साथ चलाया जा सकता था। इनमें से मुख्य-मुख्य यह थे—चरखा कातना, हाथ की सिलाई, निवाड़, चटाइयां और आसन बुनना, बटन तैयार करना और पापड़ बनाना।

किन्तु इन स्त्रियों की समस्या केवल आर्थिक ही नहीं, सामाजिक भी थी। यह आशा कैसे की जा सकती थी कि यह सब स्त्रियां अपने पूरे जीवनों को चरखा कातने और पापड़ बनाने में बिता देंगी? इनमें से बहुत सी स्त्रियां—विधवा भी और अविवाहित भी—कम आयु की थीं, जिनके सामने अभी पूरा जीवन पड़ा था और जो, अपनी रुचि होने पर, विवाह करके और नये घर बना कर एक नया जीवन प्रारम्भ कर सकती थीं। इस स्त्रियों को नया जीवन प्रारम्भ करने में सहायता देने के लिये गवर्नमेंट ने, मिलिटरी गवर्नर के शरणार्थी-सहायता-फंड में से, १५०) से २००) तक की "विवाह-भेंट" दिये जाने की व्यवस्था की।

कुछ स्त्रियों को गुंडे भगा ले गये थे। उनको जब छुड़ा कर लाया गया तो कहीं-कहीं ऐसा भी हुआ कि समाज ने इन्हें घृणा की दृष्टि से देखा और माता-पिता या संरक्षक इन्हें फिर से स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। इस प्रकार की स्त्रियों को शरण देने के लिये और उनकी देख-भाल करने के लिये हैदराबाद शहर में एक संरक्षण-गृह खोल दिया गया।

ग़ैर-सरकारी सहायता

निर्वासितों को फिर से बसाने की समस्या इतनी बड़ी थी कि उसे सुलझाने के लिये उन सब व्यक्तियों की उदारता-पूर्ण आर्थिक सहायता तथा सहयोग आवश्यक था, जो मनुष्यता के नाम पर दुखियों का कष्ट दूर करना चाहते थे, या हैदराबाद को सुखी और समृद्ध देखना चाहते थे। इसलिये मिलिटरी गवर्नर ने अपनी ओर से हैदराबाद की जनता से अपील की कि वह इन अभागे किन्तु निर्दोष लोगों की सहायता के लिये आगे आये। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को पिछली साम्प्रदायिक भावनायें भुला कर, उनका पाप धोने के लिये, इस शुभ कार्य में सहायता देना उचित है। यह काम जाति और सम्प्रदाय की सीमाओं से परे है। पीडित व्यक्ति किस सम्प्रदाय का है, अथवा उस पर विपत्ति किस कारण से आई, इन बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिये।

भारत के प्रधान-मन्त्री उन लोगों में से थे, जिन्होंने सबसे पहले इस अपील के उत्तर में कुछ किया। प्रधान-मन्त्री ने मिलिटरी गवर्नर के शरणार्थी-सहायता-फंड के लिये ४०,००० रुपये का दान दिया। अब तक इस फंड में पांच लाख रुपये जमा हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, इस विकट और तात्कालिक समस्या को सुलझाने के लिये गवर्नमेंट ने जनता से व्यवस्थित रूप में सहयोग लेना भी उचित समझा, क्योंकि इस काम का सम्बन्ध जनता से ही था। इसलिये शरणार्थी-साहाय्य-विभाग को परामर्श तथा उसके प्रयत्नों में सहायता देने के लिये गवर्नमेंट ने एक केन्द्रीय शरणार्थी-साहाय्य-समिति हैदराबाद में, तथा एक-एक उपसमिति प्रत्येक ज़िले में स्थापित की। इन समितियों में सभी तरह के ग़ैर-सरकारी लोग पर्याप्त संख्या में रक्खे गये।

केन्द्रीय समिति का अध्यक्ष शरणार्थी-साहाय्य-विभाग के मिनिस्टर को बनाया गया। समिति का काम, साधारणतया, शरणार्थियों को सहायता देने तथा उन्हें फिर से बसाने के विषय में अध्यक्ष को परामर्श देना, और, वह सहायता किस प्रकार से दी जाय, यह बताना था। केन्द्रीय समिति के परामर्श के द्वारा अध्यक्ष को उन लोगों की सूची बनाने में सहायता मिलती थी, जिन्हें तकावी, मुफ्त कपड़ा, अन्न तथा अन्य सुविधायें देना आवश्यक था। समिति इन वस्तुओं को बांटने में भी अध्यक्ष की सहायता करती थी। साथ ही उसका काम यह भी था कि ज़िलों के जो लोग अभी तक शहरों में रुके पड़े थे, उन्हें अपने-अपने घरों को वापस जाने पर राज़ी करे, तथा वहां पहुंच जाने पर उनकी उचित व्यवस्था करे। ज़िले की उप-समितियों के काम की रिपोर्ट अध्यक्ष को देना भी केन्द्रीय समिति का ही काम था।

इस समिति के ग़ैर-सरकारी सदस्य ज़िले-ज़िले में दौरा करते थे, लोगों से मिलते-जुलते और बात-चीत करते थे, उन्हें तसल्ली और उत्साह देते थे, और विभिन्न सम्प्रदायों में मेल-जोल बढ़ाने के लिये प्रयत्न करते थे। इन सदस्यों के पीडितों से बार-बार मिलते-जुलते रहने का परिणाम यह हुआ कि देहात के लोगों में शान्ति और विश्वास की भावना फिर से उत्पन्न हो गई। निर्वासितों को अपने-अपने घर वापस पहुंचाने में भी इन सदस्यों से बहुत सहायता मिली।

समिति ने शरणार्थी-सहायता-फंड के लिये रुपया जमा करने तथा उसका उचित उपयोग करने में भी सहायता दी।

गवर्नमेंट की बनाई हुई योजनायें इस समिति के सामने रक्खी जाती थीं और उन पर समिति जो परामर्श देती थी, उसे यथासम्भव कार्य रूप में परिणत किया जाता था। समिति का प्रारम्भ एक छोटी सी, केवल परामर्श देने वाली, सभा के रूप में

हुआ था, किन्तु उसके किये हुए कार्य इतने उपयोगी सिद्ध हुए कि बाद में उसका महत्त्व भी बढ़ा और उसके सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई और अन्त में उसे कई शासनाधिकार भी दे दिये गये।

अधिकारियों के प्रयत्न

शरणार्थियों की समस्या ऐसी थी कि उसे एक नये ही ढंग से, मनुष्यता के दृष्टिकोण से, सुलझाना आवश्यक था। इसलिये शरणार्थी-साहाय्य-विभाग के मिनिस्टर तथा मन्त्री ने बड़े उत्साह के साथ आम जनता से स्वयं ही मिलना-जुलना प्रारम्भ किया। उन्होंने ऐसे प्रत्येक जिले में दूर-दूर तक दौरे किये, जहां कुछ गड़बड़ हुई थी, और वहां पहुंच कर गांव वालों को सान्त्वना और आश्वासन दिया। आपत्ति-काल में नियम और विधान की चिन्ता नहीं की जाती। मिनिस्टर और मन्त्री ने अपने दौरे के अवसर पर जहां आवश्यक समझा, वहां, 'लाल फीते' की परवाह किये बिना, तात्कालिक सहायता के लिये रुपया दे दिया। एक गांव में मन्त्री को एक ऐसी हरिजन लड़की का पता चला, जिसे गुंडों ने घोर शारीरिक क्षति पहुंचाई थी, और जो अब मृत्यु-शय्या पर पड़ी हुई थी। यह ज्ञात होने पर कि पेनिसिलिन के इंजेक्शन दिये जाने पर इस लड़की की जान बचने की आशा की जा सकती है, मन्त्री ने उसी रात को हैदराबाद से पेनिसिलिन मंगा दी।

इस प्रकार जहां शरणार्थियों को सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह की सहायता पहुंचाई जा रही थी, वहां साथ ही साथ, समाज को हानि पहुंचाने वाले व्यक्तियों का दृढ़ता के साथ दमन, और शान्ति तथा व्यवस्था की रक्षा का काम भी किया जा रहा था। सिविल शासक इन व्यक्तियों को ढूंढ निकालने में जी-जान से लगे हुए थे, और अपराधियों को दण्ड देने तथा निर्दोषों की रक्षा करने की व्यवस्था कर रहे थे। बहुत सा लूट का माल बरामद करके असल मालिकों को दे दिया गया, और यातायात के साधनों तथा अन्य सुविधाओं का यथोचित प्रबंध किया गया। इस प्रकार जनता के मन में फिर से विश्वास जागृत हुआ और परिस्थिति शीघ्रता से ठीक होने लगी।

व्यापार की सुविधा

पिछली गवर्नमेंट की दुराग्रह-पूर्ण नीति के कारण हैदराबाद और भारत-संघ के न केवल राजनैतिक, अपितु आर्थिक सम्बन्ध भी बहुत कुछ बिगड़ गये थे, जिसका परिणाम यह हुआ था कि रियासत को भारी आर्थिक हानि पहुंच रही थी। व्यापार-वाणिज्य पर एक के बाद दूसरे प्रतिबन्ध लगाये जा रहे थे, जिसके कारण रुपये और माल का आना-जाना दिनों-दिन कठिन होता जा रहा था, और व्यापार तथा उद्योग के काम लगभग बन्द होने पर आ गये थे।

संरक्षक गवर्नमेंट ने रियासत की आर्थिक दशा को सुधारना आवश्यक समझ कर, पिछली गवर्नमेंट द्वारा लगाये हुए सब प्रतिबन्धों को तुरन्त हटा दिया और व्यापार के मार्ग खोल दिये।

रियासत में भारतीय सिक्के का चलन रोकने वाला आर्डिनेंस तथा विदेशी-विनिमय पर लगाये हुए नियन्त्रण उठा लिए गये;

निर्यात की वस्तुओं को हैदराबाद स्टेट बैंक के द्वारा—जटिलता के साथ—भेजे जाने का नियम हटा दिया गया;

हैदराबाद से बाहर भेजी जाने वाली मुख्य वस्तुओं—रुई और बिनौले—के निर्यात पर लगाये हुए प्रतिबन्ध दूर कर दिये गये।

रेलों का आना-जाना फिर से चालू किया गया और सब तरह के सामान—अन्न, मिल-मशीनरी, सीमेंट तथा अन्य आवश्यक पदार्थों—से भरी हुई मालगाड़ियां हैदराबाद में फिर से पहुँचने लगीं। जो रुपया गड़बड़ के दिनों में हैदराबाद से बाहर चला गया था, वह भी लौटने लगा।

संक्षेप में—शांति और व्यवस्था का लौटाना, माल के आने-जाने पर प्रतिबन्धों का हटाना, यातायात की सुविधायें देना तथा जनता के मन से शंका दूर करना—इन सबका फल यह हुआ कि व्यापार पहले की तरह होने लगा और उद्योग-धंधों को नया प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार क्रमश: हैदराबाद की व्यावसायिक परिस्थिति सँभली और भारत-संघ तथा अन्य देशों के साथ व्यापार के मार्ग खुल गये।

पिछली गवर्नमेंट ने एक प्रतिबन्ध यह लगा दिया था, कि कोई कम्पनी एक लाख से ऊपर की पूंजी, गर्नवमेंट की आज्ञा के बिना, जारी न करे। इस प्रतिबन्ध को बदल कर, पूंजी की अनियन्त्रित रकम को पांच लाख कर दिया गया।

पिछले छ: महीनों में आयात-कर से ढाई करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। इस से स्पष्ट है कि हैदराबाद में बाहर से माल का आना दिनों-दिन बढ़ रहा है।

औद्योगिक विकास की योजना

औद्योगिक विकास के सिलसिले में गवर्नमेंट ने उन समस्त बुनाई के कारखानों को फिर से संभाला, जो तरह-तरह की योजनाओं के अनुसार ज़िलों में चल रहे थे, और गड़बड़ के दिनों में अस्त-व्यस्त हो गये थे। इनकी देख-भाल तथा संघटन की समुचित व्यवस्था करने के लिये अब इनका प्रबन्ध उद्योग-विभाग के अध्यक्ष को सौंप दिया गया है।

इस सम्बन्ध की कई पुरानी योजनाओं को और आगे बढ़ाया गया है, जिनमें से मुख्य-मुख्य यह हैं—'युद्ध के बाद की करघा-उद्योग-योजना' (छ: समूह), (एक अन्य) 'करघा-उद्योग-योजना' (दो समूह), 'हाथ-कताई की योजना' तथा महत्त्व-पूर्ण करघा-उद्योग-योजना से सम्बन्धित 'घरेलू उद्योगों की योजना' जो विशेषतया स्त्रियों के लिये थी। रेशम के उद्योग के विषय में पूरी जांच करने पर पता चला कि रियासत के कई स्थानों पर यह उद्योग चलाया जा सकता है। इस जांच के आधार पर गवर्नमेंट के उद्योग-विभाग ने एक 'तीन समूहों वाली' रेशम-उद्योग-योजना पेश की है, जिसमें 'एरी' 'साड़ी' और 'टसर' तीनों तरह का रेशम पैदा करने का परामर्श दिया गया है। इस उद्योग को प्रारम्भ करने और उचित ढंग से बढ़ाने का फल यह होगा कि रियासत को जितने रेशम की आवश्यकता है, वह यहीं का यहीं मिल जाया करेगा, और साथ ही ग्रामीण जनता के बहुत बड़े भाग को जीविका का एक नया साधन भी मिल जायगा।

रियासत की खनिज सामग्री का सदुपयोग करने के लिये भी गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई है। इसके अनुसार, गवर्नमेंट के प्रोत्साहन से, एक कम्पनी बनाई

हैदराबाद का

गई है, जिसके शेयरों की जमा एक करोड़ तक रक्खी जा सकेगी, और जो हट्टी (ज़ि० रायचूर) में स्थित सोने की खान का व्यवसाय फिर से चालू करेगी। खान के लिये आवश्यक मशीनरी आदि आ चुकी है, और लगाई जा रही है। आशा की जाती है कि खुदाई का काम शीघ्र ही प्रारंभ हो जायगा।

घरेलू उद्योगों को सहायता

घरेलू उद्योग-धंधों की वृद्धि और विकास करना औद्योगिक ट्रस्ट फंड के अधीन कार्यों में से एक है। किन्तु ट्रस्ट-फंड ने अभी तक मुख्य रूप से बुनाई के धंधे पर, तथा बिदर की बनी हुई चीज़ों और औरंगाबाद के हिमरू-कारखानों जैसी विशेष वस्तुओं पर ही ध्यान दिया है। रियासत में चलने वाले घरेलू उद्योग-धंधों में से मुख्य-मुख्य यह हैं – क़ालीन बुनना, खिलौने बनाना, बढ़ईगीरी, बेंत का काम, रंगाई, मोज़े-बनियान बुनना, मिट्टी के बर्तनों का काम, और चमड़े का काम। गाँव में रहने वाले कारीगरों में से अधिकांश की जीविका इन्हीं उद्योग-धंधों पर निर्भर है। इन्हें सहायता देने के लिये गवर्नमेंट ने, पहली बार के लिये, २८,००० रुपया स्वीकृत किया है।

घरेलू उद्योगों के विकास में सबसे बड़ी बाधा यह है कि कारीगर लोग तरह-तरह की वस्तुएं बना तो सकते हैं, किन्तु उनकी बिक्री का उचित प्रबन्ध नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का 'घरेलू-उद्योग-बिक्री डिपो' इस समस्या का समाधान, रियासत की हद तक, कर देता है। किन्तु रियासत के बाहर भी इन वस्तुओं की खपत बहुत अच्छे परिमाण में हो सकती है। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने बिक्री-डिपो की वस्तुएं देख कर यह विचार प्रकट किया था कि इनकी बिक्री का प्रबन्ध न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी – विशेष कर इंग्लैड और अमेरिका में – किया जाना चहिये।

बिक्री-डिपो की शाखायें जिलों में भी खोली जा रही हैं। इनके द्वारा एक जिले की बनी हुई चीजें दूसरे जिलों में सरलता से प्रचारित हो सकेंगी।

साथ ही इसका भी प्रबन्ध किया जा रहा है कि हैदराबाद में भारत के उन प्रांतों की बनी हुई चीज़ों को प्रचारित किया जाय, जहां रियासत की बनी हुई चीज़ों की अच्छी खपत हो सकती हो। यह प्रबन्ध या तो प्रान्तीय सरकारों के द्वारा किया जा सकता है, या बिक्री-घरों और व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा, और या स्वयं कारीगरों और उनके विक्रेताओं के द्वारा। भारत-सरकार के उद्योग-विभाग के एक अधिकारी कुछ दिनों पहले हैदराबाद में आये थे। उन्होंने वचन दिया है कि वे प्रांतीय बिक्री-घरों में हैदराबाद की बनी हुई चीज़ों के रखे जाने का प्रबन्ध करा देंगे। इनके बदले में हैदराबाद में भी इन प्रान्तों की बनी हुई चीजों की खपत का प्रबन्ध किया जायगा।

विदेशों में बिक्री के लिये, भारत सरकार के द्वारा यह प्रबन्ध किया गया है कि नई देहली का केन्द्रीय बिक्री-डिपो हैदराबाद की बनी हुई चीजों को भारत में और भारत के बाहर प्रचारित करे। लगभग १०,००० रुपये का माल बाहर भेजा जा चुका है। ज्ञात हुआ है कि भारत-संघ हाथ की बनी हुई भारतीय चीजों को अपने एजेंटों के द्वारा विदेश के बाजारों में रखवाने का प्रयत्न करेगा। इस दिशा में पहला काम यह होगा कि इन चीजों को जहाज द्वारा न्यूयार्क और सिडनी को भेजा जायगा। बाद में यह योजना विदेश के अन्य बड़े-बड़े नगरों के सम्बन्ध में भी चालू की जायगी।

औद्योगिक ट्रस्ट-फंड

हैदराबाद में औद्योगिक फर्मों को जो भी सहायता दी जाती है, उसकी व्यवस्था औद्योगिक ट्रस्ट-फंड के अधीन है। ट्रस्ट फंड औद्योगिक तथा शिल्प-विषयक अनुसन्धान में सहायता करता है, और विद्यार्थियों को हैदराबाद में, या हैदराबाद के बाहर औद्योगिक शिक्षा पाने के लिये छात्रवृत्तियां भी देता है।

न्याय और समदर्शिता

लायक़ अली गवर्नमेंट ने हज़ारों राजनैतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रक्खा था। उनमें से बहुतों को अदालत के सामने पेश तक नहीं किया गया। संरक्षक गवर्नमेंट ने उन सब राजनैतिक .कैदियों को, जो केवल नज़रबन्द थे, या जिन पर मुक़दमे चल रहे थे, या जिन्हें सज़ा दी जा चुकी थी, मुक्त कर दिया—केवल कम्यूनिस्टों को नहीं छोड़ा गया।

पिछली गवर्नमेंट ने अनेक गांवों और .क़स्बों पर राजनैतिक कारणों के आधार पर सामूहिक जुर्माने भी किये थे। अनेक लोगों की सम्पत्तियां ज़ब्त कर ली गई थीं, अनेकों को नौकरी से निकाल दिया गया था और अनेकों की पेंशनें बन्द कर दी गई थीं। संरक्षक गवर्नमेंट ने ज़िलों के सिविल शासकों को आदेश दिया कि सामू-

हिक जुर्माने, जो अब तक ज़बरदस्ती वसूल किये जा रहे थे, अब न वसूल किये जायें; और जो जुर्माने वसूल किये जा चुके हों, उनके बारे में जांच की जाय, और यदि यह पता चले कि इस विषय में अन्याय हुआ है तो इन जुर्मानों को वापिस कर दिया जाय। ज़ब्त की हुई सम्पत्ति लौटा दी गई, नौकरी से निकाले हुए लोगों को फिर से नियुक्त कर दिया गया, और बन्द की हुई पेंशनें फिर से जारी कर दी गईं।

सन् १३५६ फ़सली में आम सभाओं पर जो नियन्त्रण लगा दिये गये थे, वे हटा लिये गये।

जेलों के सम्बन्ध में भी अनेक सुधार किये जा रहे हैं।

न्याय की व्यवस्था

किसी भी राष्ट्र की सभ्यता का अनुमान उसकी न्याय-व्यवस्था के आधार पर किया जा सकता है। न्याय की सफलता न केवल उसकी "न्याय्यता" पर, अपितु उसके यथा समय किये जाने पर भी निर्भर है। और न्याय तभी "न्याय्य" हो सकता है जब वह किसी से–शासन से भी–प्रभावित न हुआ हो। इसलिए संरक्षक गवर्नमेंट ने यह घोषणा कर दी है कि वह "न्याय का राज्य" स्थापित करना चाहती है, और, जैसा कि एक लोक-तन्त्र राष्ट्र के लिये उचित है, वह न्याय-व्यवस्था में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। न्याय के कामों में विलम्ब न होने पाये, इस के लिये भी, हाईकोर्ट द्वारा बनाई हुई एक कमेटी ने अनेक मौलिक सुधारों के सुझाव दिये हैं। इन सुधारों में न्याय-सम्बन्धी अधिकार-क्षेत्रों के नये सिरे से विभाजन, न्यायालयों की संख्या और उनकी अवस्थिति का ध्यान रक्खा गया है।

न्याय-व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाने के लिये तथा न्यायार्थियों को जटिलता और विलम्ब से बचाने के लिये अनेक सुधार किये जा चुके हैं, और अनेकों पर विचार किया जा रहा है।

फलत:, पहले की न्याय-समिति, जो अब असामयिक हो गई थी, तोड़ दी गई है, और उसके स्थान पर एक अन्य समिति बना दी गई है, जो समय-समय पर हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस द्वारा नियुक्त की जाया करेगी, और जिसके सदस्य, अधिक से अधिक नौ सभासदों की एक परिषद में से लिये जाया करेंगे। निज़ाम के पास अपीलें पेश करने के लिये एक नया नियम बनाया गया है। परिषद् के पास अपीलें पेश करने के विषय में नये नियम विचाराधीन हैं। इन नियमों के अनुसार केवल वही अपीलें परिषद् के पास पेश की जा सकती हैं, जिनके विषय में हाई कोर्ट ने ऐसी आज्ञा दे दी हो, या जिनके लिये, हाई कोर्ट से आज्ञा न मिलने पर, निज़ाम से विशेष आज्ञा ले ली गई हो।

हाई कोर्ट के जजों और वकीलों की एक विशेष समिति इस काम के लिये बनाई गई है कि वह अन्य परिवर्तनों के विषय में सुझाव देने के साथ साथ हाईकोर्ट के शासन-पत्र (Charter) को भी बदले और उसके स्थान पर एक विशेष–अधिकार-पत्र (Letters Patent) का मसविदा तैयार करे। यह अधिकार-पत्र इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकार-पत्र के अनुसार तैयार किया जा रहा है। जनता के आग्रह के अनुसार १३१६ फ़० के सिविल कोर्ट्स ऐक्ट में भी कई महत्त्वपूर्ण परिवर्त्तन किये जा रहे हैं। पुराने ढंग की वकालत की परीक्षा बन्द कर दी गई है।

हाईकोर्ट की कार्यक्षमता बढ़ाने तथा अपीलों के अविलम्ब निर्णय के लिये, हाईकोर्ट में दीवानी और फ़ौजदारी का पुराना विभाजन हटाया जा रहा है, और इस प्रकार अपीलों का निर्णय करने वाले जजों में एक की वृद्धि की जा रही है। हाईकोर्ट ने पुराने ऐक्ट में एक सुधार करने का प्रस्ताव किया है, जिसके अनुसार

किसी एक जज के अधिकार-क्षेत्र और शक्ति को इस प्रकार बढ़ा दिया जायगा कि वह विचाराधीन मामलों का शीघ्र निर्णय कर सके, जिससे दूसरे जजों को अपना समय अन्य आवश्यक कार्यों में देने का अवकाश मिले। सर्फ़े-ख़ास की पुरानी न्याय-व्यवस्था को बदल कर उसे नये रूप में संघटित किया गया है, और इस प्रकार सर्फ़े-ख़ास के रहने वालों की बहुत दिन पुरानी शिकायत दूर हो गई है।

—o—o—

शिक्षा की व्यवस्था

एक ग्रीक दार्शनिक ने कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र का मूलाधार उसके बालकों की शिक्षा है। शिक्षा की उपयुक्त योजना के बिना सुख, स्वास्थ्य और सम्पत्ति के विकास की सारी योजनायें व्यर्थ हो जाती हैं।

संरक्षक गवर्नमेंट ने जब हैदराबाद का प्रबन्ध संभाला, तब यहां के २२,५०० गाँवों में से १७,००० में प्रारम्भिक स्कूल भी नहीं थे। इसलिये गवर्नमेंट ने सात वर्ष की एक शिक्षा-प्रसार-योजना बनाई, जिसके अनुसार ८,००० प्रारम्भिक स्कूलों के खोले जाने का क्रमशः प्रबन्ध किया जायगा। प्रयोग के लिये ८०० स्कूल तुरन्त खोले जा रहे हैं, जिनमें से २०० स्कूलों में दो-दो अध्यापक और ६०० स्कूलों में एक-एक अध्यापक रहेंगे। इन ८०० स्कूलों पर नौ लाख रुपया व्यय किया जायगा।

किन्तु केवल स्कूलों की संख्या बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा। किसी भी शिक्षा-व्यवस्था की सफलता बहुत कुछ अंशों में योग्य अध्यापकों पर निर्भर है।

हैदराबाद के वर्तमान अध्यापकों में से ६० प्रतिशत से भी अधिक बिना ट्रेनिंग के हैं। मान भी लिया जाय कि इनमें से अधिकांश अपने काम में वास्तविक रुचि और योग्यता रखते हैं, तो भी वैज्ञानिक ढंग पर शिक्षण का काम सीखे बिना यह योग्यता अधूरी ही समझी जायगी। शिक्षण का काम सरल नहीं है। किसी विषय का ज्ञान-मात्र होने से ही कोई उस विषय का अध्यापक नहीं बन सकता। दुःख की बात यह है कि जो अध्यापक इस समय काम कर रहे हैं, उनकी स्वाभाविक योग्यता का पूरा उपयोग, ट्रेनिंग न होने के कारण, नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार के अतीव सामान्य योग्यता वाले अध्यापक जिन स्कूलों में काम कर रहे हों, उनमें बड़ी-बड़ी रकमें लगाना अपव्यय होगा। शिक्षा के काम में लगाये हुए धन और श्रम का पूरा लाभ रियासत को तभी मिल सकता है, जब अध्यापक उचित रीति से ट्रेनिंग पाये हुए हों। इसी कारण गवर्नमेंट ने प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए एक दस वर्ष की योजना बनाई है, जिसमें साढ़े आठ लाख रुपये का व्यय होगा।

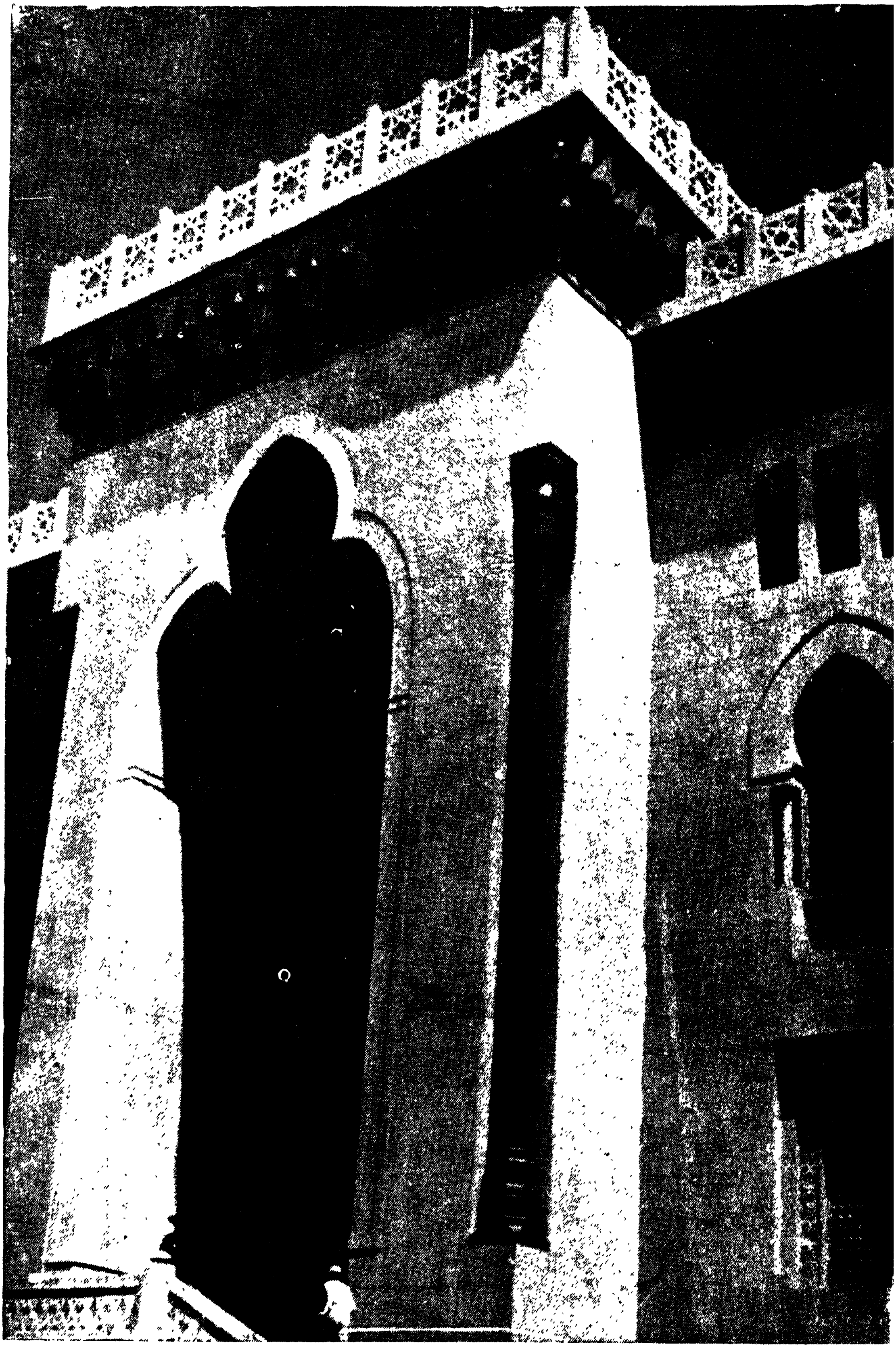
हैदराबाद में स्त्रियों की शिक्षा में अधिक प्रगति नहीं हो पाई, क्योंकि यहां ट्रेनिंग पाई हुई अध्यापिकाओं की बहुत कमी है। शिक्षा-विभाग की २,४०० अध्यापिकाओं में से केवल ८०० ट्रेनिंग पाई हुई हैं। ऊपर बताई हुई दस वर्ष की ट्रेनिंग योजना के अनुसार प्रतिवर्ष ५० मैट्रिक पास और १०० मिडिल पास लड़कियों को ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध किया जायगा। ट्रेनिंग के दिनों में उन्हें प्रति मास २०) की छात्रवृत्ति भी दी जायगी। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये गवर्नमेंट ने रियासत के शिक्षा-विधान में यह सुधार कर दिया है कि लड़कों के प्रारम्भिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक उन लड़कियों को भी प्रवेश की आज्ञा दे सकते हैं, जिनके माता-पिता या संरक्षक इसके लिये लिखित प्रार्थना करें।

मातृ-भाषा के द्वारा शिक्षा

अब तक प्रारम्भिक स्कूलों के अतिरिक्त सभी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम उर्दू थी। जनता की पुरानी मांग थी कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिये। इस मांग को, तथा बदली हुई परिस्थिति को, ध्यान में रखते हुए संरक्षक गवर्नमेंट ने यह व्यवस्था कर दी है कि जून १९४९ से समस्त सरकारी हाई स्कूलों और मिडिल स्कूलों में लोअर सेकंडरी (पांचवीं, छठी और सातवी) कक्षाओं की पढ़ाई तेलुगू, मराठी और कन्नड माध्यम के द्वारा होगी। हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगरों में, जहां अनेक भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं, तथा ज़िलों के उन नगरों में, जहां दो भाषायें बोली जाती हैं, दुहरे क्लासों का प्रबन्ध किया गया है, जिससे विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार किसी प्रादेशिक भाषा में अथवा हिन्दुस्तानी में शिक्षा पा सकें। यह प्रबन्ध केवल ऐसे स्कूलों के लिये किया गया है जहां अलग-अलग भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में हों।

पहली से चौथी तक की कक्षाओं के लिये, देवनागरी तथा फ़ारसी, दोनों लिपियों में, हिन्दुस्तानी रीडरें तैयार की जा रही हैं, और जून, १९४९ से इन्हें पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया जायगा। सब अध्यापकों को आदेश दे दिया गया है कि वे देवनागरी लिपि को भली भाँति सीख लें।

उच्च शिक्षा के माध्यम के विषय में पूरे देश में बहुत कुछ विचार और वाद-विवाद हो चुका है और



विद्या-मंदिर—उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट कालेज का प्रवेश-द्वार।

होता रहता है। प्रधान-मन्त्री के हैदराबाद पधारने के अवसर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर ने यूनिवर्सिटी कौंसिल के इस निश्चय की घोषणा की कि अगले शिक्षण-वर्ष के प्रारम्भ (जून १६४६) से उर्दू के स्थान पर हिन्दुस्तानी को शिक्षा का माध्यम बनाया जायगा, और वह देवनागरी तथा फ़ारसी दोनों लिपियों में मान्य होगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वरंगल, गुलबर्गा और औरंगाबाद के इंटरमीजियट कालेजों में, आवश्यकता तथा आर्थिक सुविधाओं के अनुसार, हिन्दुस्तानी के साथ-साथ तेलुगू, मराठी और कन्नड माध्यम द्वारा भी शिक्षा का प्रबन्ध किया जायगा।

इंजीनियरी, डॉक्टरी, क़ानून आदि व्यावसायिक विषयों की शिक्षा का माध्यम क्या हो, इस प्रश्न पर यूनिवर्सिटी की एक समिति विचार कर रही है।

उस्मानिया यूनिवर्सिटी का सुधार

राष्ट्र के निर्माण में यूनिवर्सिटियों का स्थान बड़े महत्त्व का है। कोई भी उन्नति-शील राष्ट्र यूनिवर्सिटी-शिक्षा के उचित प्रबन्ध की उपेक्षा नहीं करता, और न कर सकता है।

इसलिये उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अनेक सुधार किये जा रहे हैं, और उसे नये सिरे से सघटित किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में हिन्दी का एक नया विभाग खोले जाने की आज्ञा मिल चुकी है, और उसका पाठ्य-क्रम आदि स्वीकृत हो चुका है। अब तक यूनिवर्सिटी के मुसलिम विद्यार्थियों के लिये धर्म-शिक्षा, तथा उसके स्थान पर ग़ैर-मुसलिम विद्यार्थियों के लिये नीति-शिक्षा को अनिवार्य विषय रक्खा गया था। अब यह बन्धन हटा दिया गया है, क्योंकि कालेज के विद्यार्थियों को धर्म की अनिवार्य शिक्षा देना असङ्गत सा जान पड़ता है। अधिकारियों का विचार है कि धर्म-शिक्षा और नीति-शिक्षा के स्थान पर, साइंस के विद्यार्थियों के लिये दर्शन-शास्त्र की रूप-रेखा तथा विश्व-इतिहास की रूप-रेखा, और आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिये विज्ञान की रूप-रेखा को अनिवार्य शिक्षा-विषय बना दिया जाय।

यूनिवर्सिटी इन प्रश्नों पर भी विचार कर रही है:—शिक्षण की विभिन्न श्रेणियों में पारस्परिक अनुरूपता तथा सामञ्जस्य को बढ़ाया जाय। टेक्निकल विद्यालयों से व्यावसायिक विद्यालयों के पृथक्करण की समुचित व्यवस्था की जाय, और व्यावसायिक शिक्षा का शीघ्रता से प्रसार किया जाय। सरकारी दफ्तरों में नियुक्ति के लिये बी. ए. अथवा बी. एस. सी. की डिग्रियों को अधिक महत्त्व न दे कर कॉमर्स-स्कूल के डिप्लोमा को मान्यता दी जाय, क्योंकि दफ्तर के काम के लिये यह डिप्लोमा ही अधिक उपयुक्त तथा संगत है। इसका फल यह होगा कि कॉमर्स-स्कूल विशेष उन्नति कर सकेगा। यूनिवर्सिटी अपनी बी. कॉम. कक्षा में प्रविष्ट होने के लिये इस स्कूल के डिप्लोमा को, कुछ शर्तों के साथ, मान्यता देने की बात पर विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में सफलता के लिये व्यापारी-वर्ग का सहयोग आवश्यक है, और यूनिवर्सिटी को आशा है कि यह सहयोग मिल सकेगा।

इस वर्ष के अन्त तक यूनिवर्सिटी के अध्यापक-मंडल में एक-दो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों की नियुक्ति हो सकेगी, ऐसी आशा की जाती है। यह भी सम्भव है कि विदेश के एक-दो प्रोफ़ेसरों को कुछ समय के लिये यहां बुलाया जा सके। एक संयुक्त-राष्ट्र-संघ की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय विषयों के अध्ययन को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक-संघ बन चुका है।

यूनिवर्सिटी की शिक्षा-परिषद् ने प्रस्ताव किया है कि निश्चित नियमों के अनुसार प्राइवेट कालेजों को यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध होने की आज्ञा दी जाय। सम्बद्ध

होने के नियम स्वीकृत हो चुके हैं। यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिये यूनिवर्सिटी कौंसिल के सामने उपस्थित किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा का व्यय कम नहीं है। फलतः अनेक होनहार नवयुवक निर्धनता के कारण उच्च-शिक्षा से वञ्चित रह जाते हैं। किन्तु यह बड़ा भारी सामाजिक अन्याय है, और साथ ही इसमें जाति और देश की भी कम हानि नहीं है। बुद्धि और योग्यता किसी-किसी में ही होती है, उसे व्यर्थ जाने देने में देश की हानि है। होनहार विद्यार्थियों को सब तरह की सहायता देना अत्यावश्यक है। विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने की प्रथा उतनी ही पुरानी है, जितनी सभ्यता। और यह प्रथा उपयोगी भी है, क्योंकि जो जाति इस प्रकार विद्यार्थियों को सहायता देती है, अन्त में उसे स्वयं ही लाभ पहुँचता है। इसीलिये संरक्षक गवर्नमेंट ने अनेक विद्यार्थियों को कला और विज्ञान की उच्च शिक्षा पाने के लिये छात्रवृत्तियाँ देकर विदेश भेजा है। वहां से लौटने पर यह लोग निश्चय ही रियासत और देश की उन्नति तथा विकास में सहायक सिद्ध होंगे। अमेरिका और यूरोप की छात्रवृत्तियों के लिये इस वर्ष २५ लाख रुपया स्वीकृत किया गया है। एशिया के देशों में जाने वालों के लिये भी छात्रवृत्तियां तथा शिक्षा-ऋण देने के विषय में विचार किया जा रहा है।

देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति उसके बच्चे हैं। उनके कल्याण के लिये जो प्रयत्न किये जाते हैं, वे वास्तव में पूरे देश के ही लिये कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। इसलिये इन प्रयत्नों में किसी प्रकार की कमी करना देश को हानि पहुंचाना है। संरक्षक गवर्नमेंट इस बात को अच्छी तरह समझती है, और इसीलिये वह समुचित रीति से शिक्षा का प्रसार करने में प्रयत्नशील है। शिक्षण-संस्थाओं को सहायता देने के लिये अतिरिक्त-लाभ-कर के फंड तक से रुपया लिया गया है। इस वर्ष के कर में से साढ़े-पांच लाख रुपया शिक्षण-संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं तथा असमर्थों की सहायता करने वाली संस्थाओं को दिया गया है। इस रुपये का उपयोग स्कूलों और छात्रालयों के लिये भवन बनाने, निर्धन विद्यार्थियों को मुफ्त भोजन, निवास और पुस्तकों का प्रबन्ध करने, विज्ञान की प्रयोग-शालाओं के लिये सामान ख़रीदने और निर्धन स्त्रियों का उद्धार तथा रोगियों की सहायता करने में किया जायगा। एक संस्था को कुरान का अनुवाद करने के लिये एक हज़ार रुपया दिया गया है।

बिजली और पानी

किसी भी देश की समृद्धि चार वस्तुओं पर निर्भर रहती है – अन्न, कारखानों के लिये शक्ति, सड़कें और मकान। किन्तु यह चारों ही जन-कार्यों (पब्लिक वर्क्स) से सम्बन्धित बड़ी-बड़ी समस्यायें उपस्थित करती हैं। अन्न के अधिक उत्पादन के लिये सिंचाई का समुचित प्रबन्ध आवश्यक है। प्रकाश तथा कारखानों के लिये शक्ति तभी मिल सकती है जब नदियों और नहरों की सहायता से बिजली उत्पन्न की जाय। सड़कों और मकानों के लिये व्यवस्थित निर्माण-कार्य आवश्यक है, जो बिना रुकावटों के चलता रहे।

इन सब कामों के लिये हैदराबाद में प्रचुर प्राकृतिक साधन मिलते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन साधनों का उचित रीति से उपयोग किया जाय। इन

साधनों के सर्वांगीण विकास की योजना को नवीन प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

गवर्नमेंट ने निश्चित कर लिया है कि हैदराबाद में किसी भी तरह की आधुनिक सुविधा की कमी नहीं रहने दी जायगी। इसलिये जन-कार्य-विभाग (P. W.D.) को यह आदेश दिया गया है कि इन कार्यों से सम्बन्ध रखने वाली समस्त योजनाओं को जितना शीघ्र हो सके कार्य रूप में परिणत किया जाय।

हैदराबाद की सर्वतोमुखी समृद्धि के लिये जो नई योजना बनाई गई है, उसमें निम्न-लिखित बातों का समावेश है :—

२,४५,००० एकड़ भूमि की सिंचाई का तुरन्त प्रबन्ध;

५,७८,००० टन अन्न की पैदावार का प्रयत्न;

केवल पानी की सहायता से ५,००,००० किलो-वॉट् बिजली का उत्पादन;

रियासत भर में कोयले से चलने वाले तथा जल-शक्ति से चलने वाले समस्त पॉवर स्टेशनों को एक-दूसरे से सम्बन्धित करने का आयोजन;

गोदावरी, पेनगंगा, कृष्णा और तुंगभद्रा पर आठ बड़े पुलों का निर्माण;

बीस वर्षों के अन्दर २५,००० मील सड़कों का निर्माण; और राजधानी में २००० मकानों का तुरन्त निर्माण तथा भविष्य में विभिन्न स्थानों में २०,००० छोटे और मंझोले मकानों के निर्माण की योजना।

तात्कालिक योजनायें दो से पांच वर्षों के अन्दर पूरी हो जायेंगी। अन्य सब योजनाओं के पूरा होने में बीस वर्ष तक लग सकते हैं।

सिंचाई

हैदराबाद की वर्तमान जन-संख्या १७०,००,००० है, और भविष्य में इससे भी अधिक होगी। इतने व्यक्तियों के लिये जितने अन्न की आवश्यकता है, हैदराबाद में अन्न की पैदावार उससे एक लाख टन कम है। इस कमी को पूरा करने के लिये गवर्नमेंट ने रियासत के विभिन्न स्थानों में सिंचाई की छोटी-बड़ी अनेक योजनायें बनाई हैं।

पाँच योजनाओं के अनुसार निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसके पूरा होने पर १६,१२२ एकड़ भूमि की सिचाई हो सकेगी और अन्न के उत्पादन में लगभग ५,४०० टन की वृद्धि होगी। अन्य योजनाओं का काम भी आरम्भ किया जा रहा है, जिसके पूरा होने पर १६,७३५ एकड़ सींचे जा सकेंगे और ५.६०० टन अधिक अन्न पैदा किया जा सकेगा। ५२,४५० एकड़ की सिंचाई और उसके द्वारा १७,००० टन अन्न की पैदावार की एक अन्य योजना तैयार है। मारठवाड़े में २९,८२५ एकड़ की सिंचाई और ७,००० टन अन्न की पैदावार के लिये प्रबन्ध किए जाने की आज्ञा मिल चुकी है। ३,४६५ एकड़ की सिंचाई और १,००० टन अन्न की पैदावार की एक योजना के लिये भी शीघ्र आज्ञा मिलने की आशा है।

गोदावरी-प्रदेश के विकास की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योजना गवर्नमेंट के सामने है। इस योजना में ७५ करोड़ रुपये का व्यय होगा, और इसका उद्देश्य गोदावरी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा आदिलाबाद, करीमनगर, और वरंगल ज़िलों के बड़े-बड़े प्रदेशों की

हैदराबाद का

सिंचाई करना, तथा विभिन्न स्थानों पर बिजली उत्पन्न करना है। यह योजना उसी ढंग पर चलाई जायगी, जिस पर अमेरिका की 'टन्नेसी-प्रदेश-योजना' और भारत की 'दामोदर-प्रदेश-योजना' चलाई जा रही है।

इसके अतिरिक्त दो अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाएं तुङ्गभद्रा और निज़ाम सागर की योजनायें हैं। तुङ्गभद्रा के द्वारा सिंचाई तथा बिजली, और निज़ाम सागर के द्वारा बिजली की व्यवस्था की जायगी।

तुंगभद्रा की योजना हैदराबाद गवर्नमेंट तथा मद्रास गवर्नमेंट की संयुक्त योजना है, जिसके अन्तर्गत रजोलीबंडा की योजना भी है। इन दोनों योजनाओं का काम पूरी गति से आगे बढ़ रहा है, और इसके पूरा हो जाने पर १२४,००० टन अन्न की पैदावार बढ़ जायगी। आशा की जाती है कि यह काम लगभग चार वर्ष में पूरा हो जायगा।

सिंचाई की छोटी योजनाओं का विभाग ३१ विभिन्न स्थानों पर जलाधार बनाने के लिये आवश्यक निरीक्षण कर रहा है। निरीक्षण का काम कुछ मासों में, और इन छोटी योजनाओं का काम दो-तीन वर्षों में पूरा हो सकता है। यह काम पूरा हो जाने पर १,०७,००० एकड़ भूमि की सिंचाई और उसके द्वारा ३४,००० टन चावल की पैदावार हो सकेगी।

एक अन्य योजना के अनुसार १००३ तालाब खुदवाने के लिये पैमाइश का प्रबन्ध किया जा रहा है, जिसके पूरा होने पर ७०,१०९ एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इनमें से ३८० तालाबों के बनवाने की व्यवस्था तुंगभद्रा-रजोलीबंडा-योजना के अन्तर्गत की जायगी।

पूर्णा, भीमा, कृष्णा और पेनगङ्गा नदियों से सम्बन्धित बड़ी-बड़ी योजनाओं में अनेक सुधार और परिवर्तन करके उन्हें नया रूप दिया जा रहा है।

इन सब योजनाओं के पूरा हो जाने पर ३,७४,००० टन अधिक अन्न पैदा किया जा सकेगा, किन्तु इनके पूरा होने में दस से बीस वर्ष तक का समय लग सकता है।

जल-विद्युत्

हैदराबाद के प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग किया जाय तो शक्ति तथा प्रकाश के लिये पर्याप्त बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इस दिशा में कई छोटी-बड़ी योजनाओं पर तेज़ी से काम किया जा रहा है, जिससे हैदराबाद का प्रत्येक नागरिक बिजली से लाभ उठा सके। इन योजनाओं के पूरा हो जाने पर रियासत भर में बिजली सरलता से और सस्ते भाव पर मिलने लगेगी, और इससे औद्योगिक विकास का काम शीघ्रता के साथ आगे बढ़ाने में बहुत सहायता मिलेगी।

हैदराबाद में जो प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं, उनके द्वारा ७६०,००० किलोवॉट बिजली पैदा की जा सकती है। इनमें से अभी ४००,००० को हस्तगत करने की व्यवस्था की गई है।

हैदराबाद के जन-कार्य-विभाग ने निज़ामसागर और तुङ्गभद्रा की जलशक्ति से बिजली बनाने की योजनाओं पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। अन्य योजनायें गोदावरी, पेनगङ्गा और कृष्णा नदियों से सम्बन्धित हैं।

निज़ाम सागर से अभी तक केवल सिंचाई का काम किया जाता रहा है, किन्तु अब यह व्यवस्था की जा रही है कि इसमें बाहर से आने वाले, और इसमें से बाहर जाने वाले जल-प्रवाह के द्वारा जल-विद्युत् उत्पन्न की जाय। इस कार्य के लिये आवश्यक मशीनरी आदि मंगाई जा रही है। निज़ाम सागर से १४,०००

किलोवॉट् बिजली पैदा की जा सकती है । इसके पावर हाउस में जल-शक्ति से चलने वाले तीन भारी-भारी पहिये (Turbines) रहेंगे, जिनमें से प्रत्येक के द्वारा ५,००० किलोवाट बिजली बन सकेगी । उत्पादन का वोल्टेज ११,००० होगा, किन्तु भेजने के लिये ६६,०००। जितनी भी बिजली बन सकेगी, उसे हैदराबाद भेज दिया जायगा। और इस प्रकार हुसैन-सागर के कोयले वाले पावर-स्टेशन पर बिजली की जितनी कमी रह जाती है, वह पूरी हो जायगी ।

निज़ाम सागर से हैदराबाद को जिस लाइन द्वारा बिजली पहुंचाई जायगी, उसी के द्वारा देवनूर-योजना से भविष्य में प्राप्य बिजली को भी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। देवनूर और निज़ाम सागर की शाखायें पापन्नापेठ पर मिलेंगी, जहां से यह दोनों स्थान बीस-बीस मील की दूरी पर हैं। देवनूर के पावर हाउस में ३२,००० किलोवाट बिजली तैयार की जा सकेगी।

देवनूर-योजना मजीरा नदी की जल-शक्ति के आधार पर बनाई गई है । यह जल-शक्ति निज़ाम-सागर से १०७ मील ऊपर एक ऐसे स्थान पर प्राप्त हो सकती है, जहां नदी का तल एकाएक ३७५ फ़ीट नीचा हो गया है ।

तुङ्गभद्रा का जलाधार, हैदराबाद गवर्नमेंट तथा मद्रास गवर्नमेंट, दोनों के सम्मिलित उद्योग से बन रहा है, किन्तु दोनों गवर्नमेंटों का अपना-अपना पावर हाउस अलग रहेगा। हैदराबाद के पावर हाउस में ३०,००० किलोवाट बिजली तैयार होगी, जिसका वोल्टेज १३२,००० वोल्ट तक बढ़ाया जायगा। यह बिजली रायचूर, गुलबर्गा, शाहाबाद, महबूबनगर और हैदराबाद को भेजी जायगी। इसके तैयार करने के लिये उसी प्रकार की मशीनरी काम में लाई जायगी, जैसी निज़ामसागर पर ।

योजनाओं का विवरण

गोदावरी-प्रदेश-योजना के अन्तर्गत गोदावरी की प्रधान योजना में छोटे-बड़े ११ पावर-स्टेशनों की व्यवस्था की गई है, जो इस प्रकार हैं:—कवलगुडा स्टेशन ४५,००० किलोवाट्; उत्तरी तट की नहरों पर चार स्टेशन, ६०,००० किलोवाट्; दक्षिणी तट की नहरों पर दो स्टेशन, ४०,००6 किलोवाट्; और दक्षिणी शाखा पर चार स्टेशन, ३०,००० किलोवाट ।

गोदावरी अपने अवर भाग में एक स्थान पर १२० फ़ीट नीचे गिरती है । यहां भी २००,००० किलोवाट् बिजली तैयार करने वाला एक पावर स्टेशन बनाया जायगा । पूर्णा और पेनगङ्गा की योजनाओं द्वारा ६,००० तथा ३०,००० किलोवाट् बिजली बनाई जा सकेगी ।

कृष्णा-योजना का विस्तृत विवरण अभी तैयार किया जा रहा है, किन्तु कृष्णा के ऊपरी भाग और अवर-भाग की जल-शक्ति के द्वारा एक-एक लाख किलोवाट् बिजली बनाई जा सकेगी। प्रारम्भ में प्रत्येक भाग से ५०,००० किलोवॉट् बिजली प्राप्त की जायगी।

तुंगभद्रा की नहरों पर त्रिमलपुरम्, इपरा तथा रायचूर के पास एक पहाड़ी स्थान पर भी पावर स्टेशन बनाये जायेंगे। प्रधान नहर का पहला प्रपात त्रिमलपुरम् पर है, और इससे ५८,००० किलोवॉट् बिजली बन सकती है। प्रधान नहर के अवर-कृष्णा को जाने वाले जल का उपयोग दो बार किया जायगा, बसवापटनम् पर तथा इपरा पर। इन दोनों स्थानों पर क्रमशः १८,००० और १६,००० किलोवॉट् बिजली बन सकेगी।

रायचूर के पास वाले पहाड़ी स्थान पर तुंगभद्रा की नहर ८२.५ फ़ीट नीचे गिरती है, और गिरने वाले

हैदराबाद का



निज़ामसागर का बाँध ।

जल का परिमाण १.३३४ घन फ़ीट प्रति सेकंड होता है। इससे १०,००० किलोवॉट् बिजली तैयार की जा सकेगी।

बिजली का प्रसार

जल विद्युत् के विकास की यह योजनायें कुछ वर्षों में पूरी की जा सकेंगी। किन्तु नागरिकों को, कारखानों के लिये तथा सड़कों पर और घरों में प्रकाश के लिये, बिजली की आवश्यकता अभी है। इसलिये गवर्नमेंट ने कोयले से चलने वाले पॉवर स्टेशन तथा 'नर्सरी पॉवर प्लांट्स' को स्थापित करने का आयोजन किया है।

हैदराबाद का पॉवर स्टेशन, ५०,००,००० रु. की लागत से बढ़ाया जायगा, और उसे २६,००० किलोवॉट बिजली उत्पन्न करने के योग्य बनाया जायगा। आज़माबाद पर एक बहुत बड़ा पॉवर स्टेशन बनाने की व्यवस्था की जा रही है। इसी बीच में खम्मामेट, दोरनाकाल, गारला और महबूबाबाद को बिजली देने के लिये अस्थायी प्रबन्ध किया जा रहा है, जिसके अनुसार सिंगरेनी की खानों से ३३ किलोवोल्ट की लाइन इन स्थानों तक ले जाई जायगी।

जालना में भी बिजली लाने के विषय में विचार किया जा रहा है। विकाराबाद और शङ्करपल्ली में, तथा अनन्तगिरि के सैनेटोरियम में बिजली पहुंचाने के लिये हैदराबाद से एक ४५ मील लम्बी लाइन बनाई जायगी।

आज़माबाद के कोयले वाले पॉवर स्टेशन की योजना पर काम प्रारम्भ कर दिया गया है। एक दूसरा पॉवर स्टेशन गोदावरी-प्रदेश में रामगुंदम् पर बनाया जा रहा है। रामगुंदम् को एक औद्योगिक नगर बनाने का निश्चय किया गया है, क्योंकि यह स्थान कोयले की खानों के पास है। सस्ता कोयला मिलने पर बिजली भी कम ख़र्च पर बनाई जा सकती है। यह स्टेशन १५२,००० किलोवॉट् बिजली तैयार करेगा, और इस प्रकार इसकी गिनती समस्त भारत के कोयले से चलने वाले बड़े-बड़े, प्रथम श्रेणी के, पॉवर स्टेशनों में होगी। अभी निकट भविष्य में इससे ३७,५०० किलोवॉट् बिजली बनाने की व्यवस्था की गई है। इस स्टेशन पर १,५०,००,००० रु. व्यय होगा।

जलशक्ति से काम करने वाले तथा कोयले से चलने वाले दोनों तरह के पॉवर स्टेशनों को परस्पर सम्बन्धित किया जायगा, और इनसे तैयार की हुई बिजली को रियासत भर में 'शृंखला-पद्धति' के अनुसार बाँटा जायगा। बिजली को रियासत के विभिन्न विद्युत् केन्द्रों में भेजने के लिये लाइनों की 'शृङ्खला' बनाने का काम प्रारम्भ हो चुका है। यह 'शृङ्खला' १३२,००० और ६६,००० परिमाण के 'प्राथमिक-विभाजन' के वोल्टेज के लिये बनाई जायगी। 'द्वितीय-विभाजन' के वोल्टेज ३३,०००, २२,००० और ११,००० परिमाण के रहेंगे। 'शृङ्खला' की मुख्य लाइन निज़ाम सागर से हैदराबाद को मिलाने वाली लाइन होगी, जिसमें देवनूर की शाखा भी सम्मिलित होगी। इसके लिये ७० मील लम्बी ६६ किलो-वोल्टेज की लाइन बनाई जायगी, जिस पर ४५,००,००० रु० का व्यय होगा। अन्य लाइनें तुंगभद्रा के स्टेशनों से निकाली जायेंगी, जो रायचूर, गुलबर्गा, शाहाबाद, महबूबनगर और हैदराबाद के केन्द्रों को बिजली पहुंचायेंगी। एक ६० मील लम्बी लाइन आज़मबाद से वरंगल और करीमनगर को बिजली ले जाने के लिये बनाई जायगी। गोदावरी-प्रदेश के जलशक्ति वाले स्टेशनों के चालू हो जाने पर, उनके साथ भी आज़माबाद का स्टेशन सम्बन्धित कर दिया जायगा।

परभनी, मानवत, सैलू और पूरना में भी नांदेड से बिजली पहुंचाने का विचार किया जा रहा है। आरमूर और बोधन के लिये बिजली निज़ामाबाद से दी जा सकेगी।

आज़माबाद का पॉवर स्टेशन तैयार होने और उसके चालू होने में कुछ समय लगेगा, इसलिये एक "शिशु" पॉवर स्टेशन तैयार करने की सहायक योजना पर विचार किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य उन प्रदेशों को अभी तुरन्त बिजली पहुंचाना है, जिन्हें आज़माबाद का स्टेशन तैयार होने के बाद, कुछ देर से, बिजली मिल सकेगी। साथ ही, इस सहायक योजना के द्वारा पॉवर स्टेशन के लिये बिजली को सञ्चित भी किया जा सकेगा।

सड़कें

इतिहास में पहली बार हैदराबाद की समस्त सड़कें भारत की सड़कों से मिलाई जा रही हैं, और सीमा पर स्थित प्रत्येक बड़ी नदी पर पुल बनाये जा रहे हैं। अब तक पुलों के न होने से यातायात में न केवल रुकावट पड़ती रही है, अपितु नदियों को पार करने में बड़ी असुविधायें और कठिननायें भी होती रही हैं, क्योंकि सभी घाटों पर प्राय: सवारियों और सामान की भारी भीड़ सदा ही जमा रहती है।

आठ बड़े पुलों को बनाने का निश्चय किया जा चुका है। गोदावरी पर तीन पुल बनाये जायेंगे– औरंगाबाद ज़िले में टोका और पैथन के पास, तथा आदिलाबाद ज़िले में मंचीर्याल के पास। कृष्णा पर एक पुल नलगुंडा ज़िले में वज़ीराबाद के पास नकरीकाल-गुंटूर सड़क के लिये बनेगा, और दूसरा यपरला के पास हैदराबाद-कर्नूल सड़क के लिये। तुंगभद्रा पर एक पुल मध्वरम् के पास बनाया जायगा, जो हैदराबाद से बंगलोर जाने वाली सड़क का रास्ता खोल देगा। दो पुल पेनगंगा पर बनाये जायेंगे–कमाई के पास हैदराबाद-नागपुर सड़क के लिये, और रजूरा के पास हैदराबाद-चांदा सड़क के लिये। अभी तक केवल पांच पुलों के व्यय का हिसाब लगाया गया है, जो लगभग १,४१,००,००० रु० बैठता है।

४१० मील लम्बाई की सोलह पक्की सड़कें बनाने का काम प्रारम्भ हो गया है। इन पर १,१६,६४,८४७ रुपया व्यय होगा। इनमें से प्रधान सड़कें यह हैं — ६२ मील लम्बी गुलबर्गा-कोडंगल सड़क, ४७ मील लम्बी भालकी-निलंगा सड़क (बीदर), गंगाखेड-पालम-लोहा सड़क (परभनी), जालना-मंथा सड़क, और याद-गिर-ईज-आलमपुर सड़क (रायचूर)। इनके अतिरिक्त, जो सड़कें उद्योगों के विकास के लिये अथवा देहात तक पहुँचने के लिये आवश्यक हैं, उनके विषय में, तथा युद्ध के बाद की सड़क-योजना से सम्बन्धित अन्य आवश्यकताओं के विषय में विचार किया जा रहा है। इन सड़कों में से कुछ यह हैं:— आदिलाबाद ज़िले में आसिफ़ाबाद-कोठापेठ सड़क, परभनी में सैलू-आष्ती-जांब सड़क, वरंगल में धर्म्मापेठ-पखोंचा सड़क, और मेडक में सिद्दीपेठ-एलकार्थी सड़क। इन सब सड़कों की लम्बाई का योग ६२ मील होगा, और इनके बनाने में ४०,००,००० रु. से ऊपर लगेगा।

उस्मानाबाद और बिदर में सात सड़कें बनाई जा रही हैं, जिसके द्वारा बहुत से शरणार्थियों और पीडितों की जीविका का प्रबन्ध हो सकेगा। यह काम दुर्भिक्ष-सहायता के ढंग पर चलाये जायेंगे, जिससे आश्रय-हीन गांव वालों को अपने-अपने गांवों में फिर से बसने और पहले की तरह अपने काम-धन्धे करने में सहायता मिले। यह सब सड़कें मिल कर ८७ मील लम्बी होंगी।

कम्यूनिस्टों की 'सफ़ाई' के काम में सुविधा पहुंचाने के लिये, केवल अच्छी ऋतु में काम देने वाली, कई अस्थायी सड़कें भी बनाई जा रही हैं। यह निम्नलिखित हैं:— सिद्दीपेट-नंदनूर सड़क, रमनगढ़-जगदेवपुर सड़क और कुकनूरपल्ली-वेमलघाट सड़क। यह सब सड़कें मेडक ज़िले में हैं।

इनके अतिरिक्त ७० से ऊपर पुल और जल-मार्ग (Culverts), जिन्हें कम्यूनिस्टों ने या रज़ाकारों

ने तोड़-फोड़ दिया था, फिर से बनाये जा रहे हैं। यह काम नौ ज़िलों में किया जा रहा है, विशेष कर नलगुंडा ज़िले में, और इसके लिये १०,००,००० रु. का व्यय स्वीकृत किया गया है।

रियासत भर की सड़कों की मरम्मत और रक्षा का काम बराबर हो रहा है। बहुत सी सड़कों को ऐसा बनाया जा रहा है कि उन पर धूल न रहा करे। हैदराबाद से शोलापुर, नागपुर, मसूलीपटम और कुर्नूल जाने वाली सड़कों को सीमेंट की बनाया जा रहा है।

हैदराबाद की वर्तमान सड़कों की लम्बाई का योग ५,४२३ मील हैं। गवर्नमेंट और सड़कें बना कर इसे २५,००० मील तक ले जाना चाहती है। यह काम चार विभागों में किया जायगा, और इसके पूरा होने में बीस वर्ष लगेंगे। पूरी योजना का व्यय ४४ करोड़ रुपया है। भारत और हैदराबाद की सड़कों को मिलाने तथा पुल बनाने के काम में २० करोड़ रुपये का व्यय होगा।

ग्रामीणों की समृद्धि के लिये

गाँवों के लोग सीधे-सादे और निर्धन हैं, किन्तु समाज के लिये सबसे अधिक महत्त्व-शाली भी हैं। हैदराबाद गवर्नमेंट इनकी समृद्धि और भलाई के लिये अनेक प्रयत्न कर रही है।

कृषि-सम्बन्धी रॉयल कमीशन ने कहा था कि भारतीय ग्रामों की उन्नति का सबसे बड़ा साधन सह-कार (Co-operation) है। हैदराबाद में सहकार-संस्था की जड़ सुदृढ रूप से जम चुकी है। सहकार-समितियों के द्वारा किसानों को न केवल आवश्यक पूंजी और कम व्याज पर ऋण मिल जाता है, इनसे उन्हें और भी कई प्रकार की सहायतायें मिलती हैं। उदाहरण के लिए, सहकार-समितियों की सहायता से किसान अपनी खेती के लिए आवश्यक वस्तुएँ सस्ते

से सस्ते दामों पर पा सकता है, और अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेंच सकता है; वह 'अन्न-बैंकों' से अपने खाने के लिये अथवा बीज के लिये अन्न उसी तरह पा सकता है, जैसे ऋण पा सकता है। आशा की जाती है कि कुछ ही वर्षों में रियासत के प्रत्येक गाँव में 'अन्न-बैंक' खोले जा सकेंगे। पुलिस कार्यवाही के बाद के छः महीनों में कपड़ा बुनने वालों की ४८ सहकार-समितियां बन चुकी हैं, जिनसे आवश्यकतानुसार सूत मिल सकता है।

शहर में दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के स्टोर फिर से संघटित किये जा रहे हैं। ऋण देने वाली सोसाइटियों से आग्रह किया गया है कि वे उपभोक्ता-सहकार-समितियाँ (Comsumer Co-operative Societies) स्थापित करें। इन्होंने निश्चय किया है कि आवश्यक वस्तुओं के स्टोर भी संघटित किये जायेंगे, और साथ ही एक केन्द्रीय, थोक माल बेचने वाली सोसाइटी भी स्थापित की जायगी, जिसका नाम 'उपभोक्ता-सहकार-संघ' (Consumers' Co-operative Association) होगा।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण योजना 'हैदराबाद कृषि-सहकार-संघ' की स्थापना से सम्बन्ध रखती है। इस संघ के अन्तर्गत हैदराबाद की समस्त ग्रामीण सहकार-संस्थायें रहेंगी, और यह एक ऐसा केन्द्रीय संघटन होगा जो खेती की पैदावार बेचने और कृषि के लिये आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध करने की, तथा इसी प्रकार के अन्य कामों की व्यवस्था करेगा।

'केन्द्रीय-सहकार-संघ' के शासन-प्रबन्ध में जड़ से सुधार किया गया है, और उसका विधान बदला जा रहा है। सहकार-शिक्षा के विकास के लिये गवर्नमेंट ने कुछ प्रस्तावों को स्वीकार किया है, जिनके अनुसार सहकार-समितियों के मुनाफ़े का कुछ प्रतिशत अंश शिक्षा-फंड में दिया जाया करेगा। सहकार-संस्थाओं के नियमों में आवश्यक सुधार किये जा चुके हैं, और स्वीकृति के लिये गवर्नमेंट के पास भेजे जा चुके हैं।

पूरी रियासत में आदर्श-ग्राम बनाने की योजना गवर्नमेंट ने स्वीकार कर ली है। आदर्श-ग्राम एक दिन में नहीं बन जाते, इनके लिये बड़े प्रयत्न के साथ पुनर्निमाण का कार्य करना पड़ता है। करीमनगर ज़िले के हुज़ूराबाद तालुका में स्थित १२ ग्रामों में यह कार्य, एक 'मार्ग-दर्शक' योजना के रूप में, प्रारम्भ किया गया है।

कृषि

पहले से अच्छी और अधिक फ़सल पैदा करने में किसानों को सहायता देने के लिये गवर्नमेंट का कृषि-विभाग बड़े परिमाण पर अनुसन्धान और प्रयोग बराबर कर रहा है। कपास की फ़सल में अभिवृद्धि का काम विशेष अधिकारियों को सौंपा गया है, जिनके वेतन का कुछ भाग भारत की केन्द्रीय-कपास-समिति देती है, नांदेड जिले में ४०,००० एकड़ भूमि को सरकारी निरीक्षण में रखने का प्रबन्ध इसलिये किया गया है, कि कपास की एक विशेष जाति को, जो यहां पैदा होती है, विशुद्ध रक्खा जा सके। यह वही कपास है जिससे ढाका की सुप्रसिद्ध मलमल बनाई जाती है।

दालों की फ़सल के विषय में भी अनुसन्धान किया जा रहा है। इस योजना का व्यय हैदराबाद गवर्नमेंट और भारतीय कृषि-अनुसंधान-परिषद् दोनों मिल कर उठा रहे हैं।

अधिक-उपज वाली और अधिक टिकने वाली जातियों के चावल पैदा करने के लिये एक अन्य योजना बनाई गई है। यह भी भारतीय कृषि-अनुसंधान-परिषद् की

आर्थिक सहायता से चल रही है। निज़ाम-सागर प्रदेश में चावल की खेती की जांच-पड़ताल की जा रही थी, जो अभी हाल में पूरी हुई है।

हैदराबाद गवर्नमेंट और भारतीय कृषि-अनुसधान-परिषद् की संरक्षकता में एक और भी विशेष योजना पर कुछसमय से काम हो रहा है। इसका उद्देश्य ऊंची जाति की रेंडी की पैदावर बढ़ाना और उसके बीज का किसानों में बांटना है।

इन अनुसन्धान-योजनाओं का फल यह हुआ है कि बड़े-बड़े प्रदेशों में. ऊंची जाति की निम्न-लिखित फ़सलें पैदा की जा रही हैं :— चावल (२,५०,००० एकड़), ज्वार (१२,००० एकड़), गेहूं (१२,००० एकड़), कपास (६,५०,००० एकड़), रेंडी (८,०००एकड़) और मूंगफली (१९,००,०००एकड़)।

पौधों की अभिवृद्धि और भूमि की व्यवस्था के विषय में विश्लेषण का काम किया गया। निज़ामाबाद ज़िले में, डिंडी-योजना के प्रदेश में, और धंग्गुर के तुंगभद्रा–अनुसन्धान–केन्द्र में भूमि–विषयक जांच और अनुसन्धान का प्रबन्ध किया गया।

फ़सल को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों के प्रतिकार का काम सन्तोष–जनक रीति से आगे बढ़ा। संचित अन्न में होनेवाले, ज्वार के कीड़ों की जांच पूरी हो चुकी है। गन्ने और रेंडी के कीड़ों की जांच के लिए बनाई हुई दो योजनाओं में से दूसरी योजना का काम पूरा हो चुका है।

मुर्गों की विदेशी जातियों में कौन सी सबसे अधिक उपयुक्त है, यह जानने के लिये, तथा स्थानीय जातियों को और अच्छा बनाने के लिये कई तरह के प्रयोग किये गये। इनमें से इब्राहीमपटन की सफ़ेद जाति और गड-वाल की लाल जाति सर्वोत्तम सिद्ध हुई हैं। सन् १९४० में मुर्गे मुर्गियों की संख्या १००,००,००० थी, सन् १९४५ में यह संख्या ४८,००,००० ही रह गई, और तब से १९४८ तक यही दशा रही। इसलिए रियासत में इन पक्षियों को पालने और उनका व्यापार करने के लिये बहुत अच्छा क्षेत्र है।

रियासत के लिए सबसे अधिक उपयुक्त, और आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद फल कौन से हो सकते हैं, यह जानने के लिए भी अनेक प्रयोग किये गये। सांगारेड्डी में सीताफल की पैदावार बढ़ाने पर, और औरंगाबाद में अंगूरों के विषय में अनुसन्धान पर विशेष ध्यान दिया गया। यह काम हैदराबाद गवर्नमेंट और भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद की संयुक्त आर्थिक सहायता से किया गया।

किन्तु यदि इन अनुसन्धानों का महत्त्व किसानों की समझ में न आये, और वे इनका क्रियात्मक उपयोग न कर पायें, तो यह व्यर्थ ही रहते हैं। इसलिये किसानों की अपनी ही भूमि में, सरकारी आर्थिक सहायता से, फ़ार्म बनाये गये, जिनमें साधारण प्रयोग और प्रदर्शन किये गये। कृषि में आवश्यक सुधारों का प्रदर्शन करने के लिये बहुत से 'प्रदर्शन क्षेत्र' बनाये गये। कृषि-विभाग के फ़ार्मों पर, तथा मेले आदि के अवसरों पर भी प्रदर्शनों का प्रबन्ध किया गया।

"अधिक अन्न उपजाओ" की योजना के अनुसार पैदावार बढ़ाने के यह उपाय किये गये – (१) उत्तम बीज और खाद तथा सिंचाई के सुप्रबन्ध के द्वारा उपज में वृद्धि, और (२) अभी तक बेकार पड़े हुए, किन्तु कृषि के योग्य प्रदेशों का सदुपयोग। पहले उपाय के द्वारा अन्नोत्पादन में लगभग ११,५८२ टन की वृद्धि होगी। दूसरे उपाय के फल-स्वरूप अतराफ़े-बल्दा, निज़ामाबाद, परभनी, और नलगुण्डा ज़िलों में २६० एकड़ भूमि, कृषि-विभाग के ट्रैक्टरों की सहायता से फ़सल के काम में लाई जा चुकी है।

निज़ाम-सागर की जलाधार-योजना इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि २,७५,००० एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध करके उस में .फसल पैदा की जाय। यह योजना क्यों असफल हुई, इसके विषय में जांच की गई। निज़ाम सागर के आस-पास की भूमि को 'गील-प्रदेश' बना कर उसमें .फसलें करने का आयोजन किया जा रहा है। जो किसान 'गीली .फसलों' के उपयुक्त भूमि में 'सूखी .फसलें' कर रहे हैं, उन्हें ऐसी भूमि में चावल की खेती करने तथा 'बाग़ की .फसलें' पैदा करने की सम्मति दी गई है।

अभी हाल में पूरी हुई योजनाओं से, तथा पुरानी बावलियों और कुओं के फिर से बन जाने से सिंचाई की जो सुविधायें मिली हैं, चावल की .फसल के लिये उनका पूरा लाभ उठाया गया। पुराने सिंचाई के कुंओं में 'बोरिंग' करके उनके जल-परिमाण में वृद्धि की गई, और सूखे हुए कुंओं को फिर से जल-पूर्ण बनाया गया। तालाबों और झीलों के पानी को ऊपर के खेतों तक पहुँचाने के लिये तेल के इंजिन से चलने वाले पंप किसानों को दिये गये।

शाकों और फलों के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। आठ सौ फलों के पौधे और कई तरह के शाकों के बीज किसानों को बेचे गये।

किसानों के लड़कों को सरकारी .फार्मों पर खेती के काम की ट्रेनिंग दी गई। इन लड़कों को तेल के एन्जिनों को चलाने और उनकी देखभाल करने, तथा पंपों से काम लेने की ट्रेनिंग देने के लिये एक क्लास खोला गया। परभनी के बड़े सरकारी .फार्म पर एक कृषि हाई स्कूल चल रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की भूमि में आडिगमेंट के पास कृषि का एक कालेज काम कर रहा है।

किसान के हितों की रक्षा के लिये गवर्नमेंट अपने क्रय-विक्रय-विभाग के द्वारा अन्न आदि की बिक्री का उचित प्रबन्ध रखती है। कृषि की पैदावार के क्रय-विक्रय की जांच-पड़ताल की जाती है, और नये व्यापार-केन्द्रों का निरीक्षण किया जाता है, जिससे अधिक-से अधिक कृषि-बाज़ारों पर नियन्त्रण रक्खा जा सके। गवर्नमेंट के नियन्त्रण में ४२ बाज़ार हैं, और उन सबका काम सन्तोषजनक रीति से चल रहा है।

पशु-सम्पत्ति

रियासत की पशु-सम्पत्ति में अभिवृद्धि करने के लिये विशेष प्रयत्न किये गये। हिंगोली, हिमायत-सागर और महबूबनगर के तीन उत्पादन-फ़ार्मों के अतिरिक्त, करीमनगर, उदगीर, और औरंगाबाद में भी तीन फ़ार्म खोले जा रहे हैं। देउनी के सत्रह पशु देहली की अखिल-भारतीय पशु-प्रदर्शिनी में भेजे गये थे, जिनमें से आठ को विविध पुरस्कार मिले।

पशुओं की स्वास्थ्य-रक्षा के लिये रियासत में इक्कीस चिकित्सालय तथा औषधालय हैं, जिनके लिये औषधि आदि की समुचित व्यवस्था की जाती है। मुर्गे मुर्गियों के रोगों के विषय में भी अनुसंधान किये गये हैं, और इनके द्वारा भयावह 'रानीखेत की बीमारी' के विषय में बड़े उपयोगी परिणाम उपलब्ध हुए हैं। इस रोग को रोकने वाली वैक्सीन (Vaccine) बनाने के लिये एक केन्द्र स्थपित करने की योजना पर गवर्नमेंट विचार कर रही है। निज़ाम सागर नहर के प्रदेश में फैलने वाली यकृत्कीटों की बीमारी को रोकने के लिये एक योजना स्वीकृत हो चुकी है। रोगों से बचाने वाले तथा रोगों का नाश करने वाले, दोनों तरह के सीरम(Serum) और वैक्सीन बनाने के लिये एक निर्माण-शाला खोली गई है। समस्त भारत में इस तरह की केवल तीन शालायें हैं—युक्तप्रान्त में, बंगलोर में और मद्रास में।

मछली-घर

अच्छे आहार में मछली को भी एक महत्त्वपूर्ण पदार्थ माना जाता है। गवर्नमेंट ने इसकी उपेक्षा नहीं की। खाद्य मछलियों की पचानवे भिन्न-भिन्न जातियाँ खोज निकाली गई, जिनमें से ३० विशेष उपयुक्त हैं। गवर्नमेंट ने बहुत से तालाबों को हस्तगत करके उन्हें मछुवों को इस शर्त पर सौंप दिया कि वे स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बची हुई मछलियों को निश्चित दामों पर, गवर्नमेंट के मछली-विभाग को, दे दिया करें। उत्पादन के लिये उपयोगी छोटी-छोटी Murrel मछलियां मछुओं को प्रतिवर्ष मुफ्त बांटी जाती हैं।

जनता की सुविधा के लिये सरकारी मछली-विभाग के पास ही एक बिक्री-विभाग खोला गया है, जो घर-घर मछलियां पहुंचाने की भी व्यवस्था करता है। बोलारम, सिकन्दराबाद और बेगमबाज़ार इन तीनों मछली-मार्केटों पर गवर्नमेंट का मछली-विभाग नियन्त्रण रखता है। हुसैनसागर पर एक माडल मछली-फ़ार्म है, जिसमें विदेशी मछलियां पाली जाती हैं।

रियासत के तमाम तालाबों को मछली-विभाग के संरक्षण में रखे जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। रियासत के सब भागों में ताज़ी मछली भेजने के लिये, उसे शीघ्रता से पहुंचाने तथा ठंडी जगह में रखने का प्रबन्ध आवश्यक है। इसका आयोजन किया जा रहा है।

वन-सम्पत्ति

वनों की अद्भुतता और उनकी उपयोगिता से बहुत थोड़े लोग परिचित हैं। कुछ दिन पहले मैसूर में, वनों के विकास और लकड़ी के उपयोग के विषय में विचार-विनिमय करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस हुई थी, जिसमें एशिया और प्रशान्त-महासागर के देशों ने भाग लिया था। इस कान्फ्रेंस (International Forestry and Timber Utilization Conference for Asia & Pacific) ने वन-प्रदेशों के लाभ और उपयोग इस प्रकार बताये थे :—

नदियों के प्रवाह को नियमित रखना, तथा बाढ़ों की भीषणता को कम करना;

नगरों और ग्रामों के निवासियों को वन की उपज देना;

राष्ट्र के अनेक आवश्यक कार्यों को और औद्योगिक उन्नति को चालू रखना;

ऐसे समस्त भू-भागों को सुरक्षित रखना, जिनके किसी दूसरे उपयोग में लाये जाने पर क्षीण अथवा कम-उपजाऊ हो जाने का डर है;

भूमि-क्षय (Soil Erosion) को रोकना।

सेनेका (Seneca) ने कहा है, "नगर एक युग में बन कर तैयार होते हैं; एक घंटे में नष्ट हो जाते हैं। भस्म हो जाने में कुछ क्षण लगते हैं, किन्तु वन के बढ़ने में बहुत समय लगता है।" पुलिस कार्यवाही के बाद निजाम के तथा अन्य जागीरदारों के निजी वनों को (गवर्नमेंट द्वारा शासित) दीवानी में मिला लेने से गवर्नमेंट को, समय में १०० वर्षों का, और धन में २४ करोड़ रुपये का लाभ हुआ। आम जनता के उपयोग के लिये लगभग चार-पांच हज़ार वर्ग-मील तैयार वनों का अचानक मिल जाना कोई साधारण घटना नहीं है।

पुलिस कार्यवाही के पहले वन-प्रदेशों में ऐसी अशान्ति और अराजकता थी कि वहां किसी तरह की देख-भाल

या अन्य आवश्यक कार्य करना असम्भव था। इन प्रदेशों से आधी ही मालगुज़ारी वसूल हो पाती थी। अब यहां फिर से शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई, है, और आशा की जाती है कि मालगुज़ारी भी पूरी मिलने लगेगी।

नये वनों के आरोपण की अनेक बड़ी-बड़ी योजनायें विचाराधीन हैं। इन में से तुंगभद्रा, गोदावरी और निज़ाम सागर के द्वारा सींचे जाने वाले प्रदेशों में वृक्षारोपण की योजना; और नगर की बढ़ती हुई आबादी की ईंधन की आवश्यकता पूरी करने के लिये, हैदराबाद नगर के आस-पास के 'सूखे' प्रदेश में वृक्षारोपण की योजना – यह दो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन योजनाओं के अनुसार, सिंचाई वाले वृक्षारोपण के लिये बहुत से विशाल प्रदेश सुरक्षित रक्खे जा रहे हैं। वृक्षारोपण की इन योजनाओं का उद्देश्य सस्ते ईंधन का प्रबन्ध करना, तथा ग्रामीण जनता की तात्कालिक आवश्यकताओं के लिये साधारण लकड़ी और गोचर-भूमि की व्यवस्था करना है। इसके अतिरिक्त, रियासत भर के गांवों में भी वृक्षारोपण का विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसका फल यह होगा कि प्रत्येक गांव के, या गांवों के समूह के, आस-पास छोटे-छोटे वन तैयार हो जायेंगे। गांव की भूमि का कम से कम १० से १४ प्रतिशत तक का भाग इसी काम के लिये सुरक्षित रक्खा जायगा। रियासत में २२,००० से भी अधिक गांव हैं, इस से उपर्युक्त योजनाओं की विशालता का अनुमान किया जा सकता है। विभिन्न योजनाओं के अनुसार जिन प्रदेशों को वृक्षारोपण के काम में लाया जायगा, उनके क्षेत्र-फल निम्नलिखित हैं :—

गोदावरी योजना के अन्तर्गत	२,००,००० एकड़
तुंगभद्रा-योजना के अन्तर्गत	४,४०,००० ,,
निज़ामसागर-योजना के अन्तर्गत	२०,००० ,,
पैनगंगा-योजना के अन्तर्गत	२०,००० ,,
बिदर, रायचूर, उस्मानाबाद और बीर ज़िलों में	१,००,००० एकड़
हैदराबाद नगर के आस-पास के प्रदेशों में	८०,००० ,,

आदि-वासियों और पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण

संरक्षक गवर्नमेंट ने सामाजिक-सेवा-विभाग (Social Service Department) के कार्यों को विशेष प्रोत्साहन दिया, क्योंकि इस विभाग का सम्बन्ध रियासत के आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े हुए ग्रामीण-वर्ग के कल्याण से है। इन वर्गों के प्रति गवर्नमेंट की जो नीति है उसका स्पष्टीकरण मिलिटरी गवर्नर के उस सन्देश से हो जाता है, जो उन्होंने केसलापुर के वार्षिक मेले के अवसर पर आदिलाबाद ज़िले के गोंडों को भेजा था। सन्देश में यह घोषणा की गई थी कि गवर्नमेंट की नीति के अनुसार रियासत के प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे रक्षा और सहायता की आवश्यकता है, सामाजिक-सेवा की योजनाओं से लाभ उठाने का अवसर दिया जायगा, और उसकी रक्षा तथा सहायता की जायगी, जिससे सब मिल कर रियासत को शक्तिशाली और सुखी बनाने में सहयोग दे सकें। सेटी हरपनूर के गोंड पटेल श्री अतरम भीमू ने, आदिवासियों की ओर से, मिलिटरी गवर्नर को धन्यवाद दिया, और गवर्नमेंट के कामों की प्रशंसा की तथा यह वचन दिया कि आदिवासी देश-भक्ति पर सदा दृढ़ रहेंगे।

इन पिछड़े हुए वर्गों के हित के लिये गवर्नमेंट ने जो योजनायें बनाई हैं, वे उनके जीवन के सभी पहलुओं से, उनकी आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा-विषयक, स्वास्थ्य विषयक तथा राजनैतिक प्रगति और विकास से-संबन्ध रखती हैं।

—o—o—

गुंडों का दमन किया जायगा

जैसे किसी का बुरा नाम रख कर, फिर इसी आधार पर उसे निन्दा-योग्य और अधम सिद्ध किया जा सकता है. वैसे ही किसी को अच्छा – या कम से कम आडम्बरपूर्ण – नाम दे कर, इसी आधार पर उसे प्रशंसनीय और उत्तम भी बनाया जा सकता है। हैदराबाद में कम्यूनिज्म के सम्बन्ध में यही हो रहा है। कम्यूनिजम के आकर्षक सिद्धान्तों के पर्दे में छिपे हुए गुंडों और लुटेरों के गिरोह देहात में (विशेष कर नलगुंडा और वरंगल ज़िलों में) छापे मारते फिर रहे हैं, जिससे भले आदमियों को अपना जीवन तक निभाना कठिन हो गया है।

संरक्षक गवर्नमेंट के आने के पहले रियासत में शासन की जो नवाबशाही रीति चली आ रही थी. वह इन उपद्रवी लोगों की करतूतों के लिये बड़ी उपजाऊ भूमि

सिद्ध हुई। पिछली गवर्नमेंट ने कम्यूनिस्ट पार्टी पर से प्रतिबन्ध हटाने में जो राजनैतिक चाल चली थी, उस से इन करतूतों को और भी प्रोत्साहन मिला। आतंकवादी रज़ाकार पार्टी के बनने पर बहुत से कम्यूनिस्ट, अपने लाभ के ध्यान से, रज़ाकारों से मिल गये और निरपराधों को सताने में उनका साथ देने लगे।

पुलिस कार्यवाही के बाद की अस्त-व्यस्त परिस्थिति से इन गुंडों ने तुरन्त ही लाभ उठाया। वे जहाँ-तहाँ घूमकर लोगों को ज़मीनें "बांटने" लगे, और कानून तथा न्याय का काम (तमाम) करने लगे। ज़मीनों के असली मालिकों को भगा दिया गया, या मार डाला गया, और उनकी ज़मीनें दूसरों को दे दी गईं। साथ ही इन नये "मालिकों" से यह भी कह दिया गया कि, 'इस ज़मीन के वास्तविक स्वामी तुम्हीं हो,' किन्तु यह नहीं कहा गया कि यह स्वामित्व कितने दिन रहेगा।

जनता के प्रति किये गये इन "उपकारों" के बदले में "कम्यूनिस्ट" गुंडों ने अपने-आपको इसका पूरा अधिकार दे दिया कि वे अपनी इच्छानुसार मकानों को जलाने और लूटमार तथा हत्या की रंगरेलियां मना सकते हैं। उन्होंने मकान नष्ट किये, मुसकराती हुई फ़सलें काटकर बिछा दीं, किसानों के जानवर छीन लिये, और जिस किसी ने उनके इस "धर्म" का अनुमोदन न करने का साहस किया, उसे ठंडे दिल से मार कर फेंक दिया। कई बार, जब इन लोगों की, दूसरों को तड़पते देख कर प्रसन्न होने की वृत्ति, हत्या से भी सन्तुष्ट नहीं हुई, तो इन्होंने अपना शिकार बनाये हुये लोगों के केवल कुछ अंग काट कर उन्हें कष्ट से छटपटाने के लिये छोड़ दिया। जिन दिनों में निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता थी, उन दिनों में उन्होंने विध्वंस किया। जिन दिनों में अन्न दुर्लभ और अमूल्य हो रहा था, उन दिनों में उन्होंने अन्न का नाश किया। जिन दिनों में सबसे अधिक महत्त्व व्यवस्था और शान्ति का था, उन दिनों में उन्होंने, जान-बूझ कर, अस्त-व्यस्तता और गड़बड़ फैलाई। और इन्हीं करतूतों को उन्होंने 'कम्यूनिज्म' का नाम दिया।

कहने की आवश्यकता नहीं, कि दूसरों की "भलाई" करने के इस काम में इन बेचारों को विवश होकर थोड़ी-बहुत भलाई अपनी भी करनी पड़ी। भोले-भाले गांव के लोगों को ज़मींदार और गवर्नमेंट लूट न लें, इसलिए उन्होंने इन गांव वालों की गाढ़ी कमाई के पैसों-आनों को, फंड जमा करने के लिए, अपनी जेब में डाल लिया। इस ढंग से भारी-भारी रकमें जमा करने के बाद बहुत से "कम्यूनिस्टों" ने अपनी पार्टी को छोड़ कर और झूठे नाम रख कर नया जीवन बिताने का जो प्रयत्न किया, वह तो यों ही, आप ही आप हो पड़ने वाली, एक घटनामात्र थी—प्रयत्न कोई जान-बूझ कर थोड़े ही किया गया था! "कम्यूनिस्टों" का एक सु-(अथवा कु-) प्रसिद्ध नेता, धुम्मा शेषय्या, जो मद्रास के एक अस्पताल में पकड़ा गया, लगभग सात लाख रुपये का आसामी बताया जाता है। उसने हैदराबाद रियासत को सदा के लिये छोड़ कर मद्रास में सुख और ऐश्वर्य का जीवन बिताने की योजना बनाई थी, किन्तु विधाता ने इस ढीठ व्यक्ति के भी भाग्य का निपटारा अपने ही हाथ में रक्खा।

इस परिस्थिति को देख कर भी यदि कोई गवर्नमेंट चुप बैठी रहे तो, उसे अपने-आप को 'गवर्नमेंट' कहलाने तक का अधिकार नहीं है। संरक्षक गवर्नमेंट ने परिस्थिति की भीषणता और गम्भीरता को समझा, और इस संभावित विपत्ति का दमन करने के लिये, बिना देर किये हुए, कठोर उपायों से काम लिया। गुंडों को खोज निकालने और उनका अन्त कर देने के लिये, पुलिस और सेना ने एक विशाल आयोजन किया। गुंडों के छिपने की जगहों पर निरंतर आक्रमण किये गये; और उनका पीछा करके, उनमें से एक बहुत बड़ी संख्या को पकड़ लिया गया। इन लोगों के पास से बहुत से अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद बरामद किये गये।



विनाश और विध्वंस — हैदराबाद के " कम्युनिस्ट " जनता को क्या देते हैं !

इस काम में ऐसी असाधारण सफलता मिली कि थोड़े ही दिनों में अनेक बड़े-बड़े प्रान्त-भागों में "कम्यूनिस्टों" की शक्ति और प्रभाव बिल्कुल नष्ट हो गये। जो ज़मीनें छीन ली गई थीं, उनमें से अधिकांश उनके असली मालिकों को लौटा दी गई। लोगों का गया हुआ साहस फिर से लौट आया, और वे, डरना छोड़ कर, पुलिस और सेना को सब तरह का सहयोग और सहायता देने लगे। उन्होंने कम्यूनिस्टों के विषय में पुलिस को सूचनायें दीं, पहरा लगाया, अपनी रक्षा के लिये पार्टियां बनाईं, और गुंडों को किसी भी तरह का सहयोग देना बंद कर दिया। आज किसी "कम्यूनिस्ट" गुंडे का किसानों के द्वारा पीछा किया जाना और पकड़ कर पुलिस के हवाले किया जाना एक सामान्य घटना हो गई है।

किन्तु, गवर्नमेंट ने इस बात को भी समझा कि "कम्यूनिस्ट" आतंक का प्रतिकार करने का एकमात्र उपाय बल-प्रयोग नहीं है—और न यह उपाय सबसे अच्छा ही है। सच तो यह है कि गवर्नमेंट जहां तक हो सके, बल-प्रयोग बिलकुल ही नहीं करना चाहती थी, और उसने उपद्रव को दबाने के लिये जो कुछ किया, विवश होकर ही किया, अपनी इच्छा से नहीं किया। इस उपद्रव की असली जड़ तो किसानों का वह असन्तोष था, जो ज़मींदारों के बुरे व्यवहार के कारण उत्पन्न हुआ था। इसलिये, गुंडों के विरुद्ध पुलिस और सेना की कार्यवाही के साथ-साथ, गवर्नमेंट ने अनेक बड़े-बड़े सुधारों का आयोजन किया, जिनका उद्देश्य किसानों की दशा सभालना था। गवर्नमेंट ने निज़ाम की तीन करोड़ की निजी जागीर, सर्फ़े-खास, का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया—केवल इसलिये कि इसका उपयोग जनता की भलाई के लिये किया जाय। इस योजना में, सर्फ़े-खास की तरह, उन पैगाओं, जागीरों और संस्थानों के भी गवर्नमेंट के द्वारा ले लिये जाने की व्यवस्था थी, जो पुरानी नवाबशाही के चिन्ह थे, और जो बरसों से किसानों तथा उनकी सुख-समृद्धि के बीच दीवार बन कर खड़े हुए थे। साथ ही, गवर्नमेंट ने भूमि-सम्बन्धी सुधारों की व्यवस्था के लिये इस विषय की जांच किये जाने का भी आदेश दिया। इस प्रकार किसान को यह बात प्रत्यक्ष हो गई कि अब की गवर्नमेंट उसकी अपनी ही है, और अब उसके हितों की हानि नहीं होने पायेगी।

"कम्यूनिस्टों" के विरुद्ध अभियान में गवर्नमेंट को बहुत-कुछ सफलता मिल चुकी है। इस उपद्रवी अन्दोलन की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन नई गवर्नमेंट को जो 'वर्सीयत' मिली, वह ऐसी बुरी थी कि "अब सब ठीक है" कहना कठिन है। बुराई में अपने जीवन को अन्तिम सीमा तक खींच ले जाने की प्रवृत्ति और शक्ति होती है। किन्तु गवर्नमेंट को अपने प्रयत्नों की पूर्ण सफलता का दृढ विश्वास है, विशेष कर इसलिये कि वह जानती है कि उसे जनता के प्रत्येक समझदार व्यक्ति की नैतिक सहायता और शक्ति प्राप्त है। यह बात दिन पर दिन स्पष्ट होती जा रही है कि, गवर्नमेंट से भी पहले, स्वयं जनता ही ऐसे लोगों को नहीं टिकने देगी, जो राजद्रोह को अपना धर्म, रक्तपात को अपना सिद्धान्त, विध्वंस को अपना शस्त्र और अराजकता को अपना लक्ष्य मानते हैं।

—o—o—

जनता की इच्छा

भविष्य में हमारी गवर्नमेंट किस प्रकार की रहेगी, इसका उत्तरदायित्व न तो शासकों के हाथ में रहना चाहिये, और न नेताओं के, बल्कि आम जनता के हाथ में रहना चाहिये। हैदराबाद की वर्तमान गवर्नमेंट प्रजातंत्र-शासन के इस तत्त्व को समझती और मानती है, इसलिये, शान्ति-रक्षा और व्यवस्था तथा हज़ारों शरणार्थियों की सहायता के काम में लगी हुई होने पर भी, उसने ऐसे साधनों के प्रस्तुत करने में देर नहीं लगाई, जिनके द्वारा आम जनता अपनी इच्छा को पूरी स्वतंत्रता के साथ प्रकट कर सके। इसका सबसे अच्छा ढंग यही हो सकता है कि वयस्क-मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा निर्वाचित एक पूर्ण उत्तरदायी परिषद् बनाई जाय। इसलिये एक ऐसी विधान-परिषद् के बुलाये जाने की

तैयारियाँ प्रारम्भ कर दी गई, जिसे रियासत का विधान बनाने का काम सौंपा जाय।

परिषद् बनाने के लिये अनेक साधारण नियमों और रूढ़ियों का पूरा करना आवश्यक था, जैसे, मत-दाताओं की सूची तैयार करना, निर्वाचन-प्रदेशों का विभाजन, उम्मीदवारों का नामज़द किया जाना, और निर्वाचन की व्यवस्था आदि।

फलत:, माननीय निज़ाम के आदेश से ४ दिसम्बर १६४८ को पुरानी हैदराबाद-विधान-सभा समाप्त कर दी गई: और साथ ही माननीय निज़ाम ने एक फ़रमान के द्वारा हैदराबाद की समस्त जनता से और अधिकारियों से आग्रह किया कि वे विधान-परिषद के लिये मत-दाताओं की सूची तैयार करने में पूरी सहायता और सहयोग दें। 'हैदराबाद-विधान-परिषद्-नियम' प्रवर्तित कर दिया गया, जिसमें एक निर्वाचन-कमिश्नर की नियुक्ति की, तथा उसे ही विधान–परिषद् के लिये आवश्यक तैयारियाँ करने का अधिकार दिये जाने की व्यवस्था थी—बशर्ते कि वह इन तैयारियों के लिये मिलिटरी गवर्नर से स्वीकृति प्राप्त कर ले।

मत–दाताओं की सूची

इन तैयारियों में पहला काम मत-दाताओं की सूची बनाना था। निर्वाचन के नियम बना दिये गये, और उनके अनुसार, नाम दर्ज करने वाले अधिकारी नियुक्त किये गये; मताधिकार के लिये आवश्यक योग्यता का निर्णय किया गया; सूची बनाने का ढंग और प्रकार निश्चित किया गया; और रियासत के विभिन्न भाषा-प्रान्तों से सम्बन्धित सूचियां किस भाषा में तैयार की जायेंगी, यह भी स्थिर कर दिया गया।

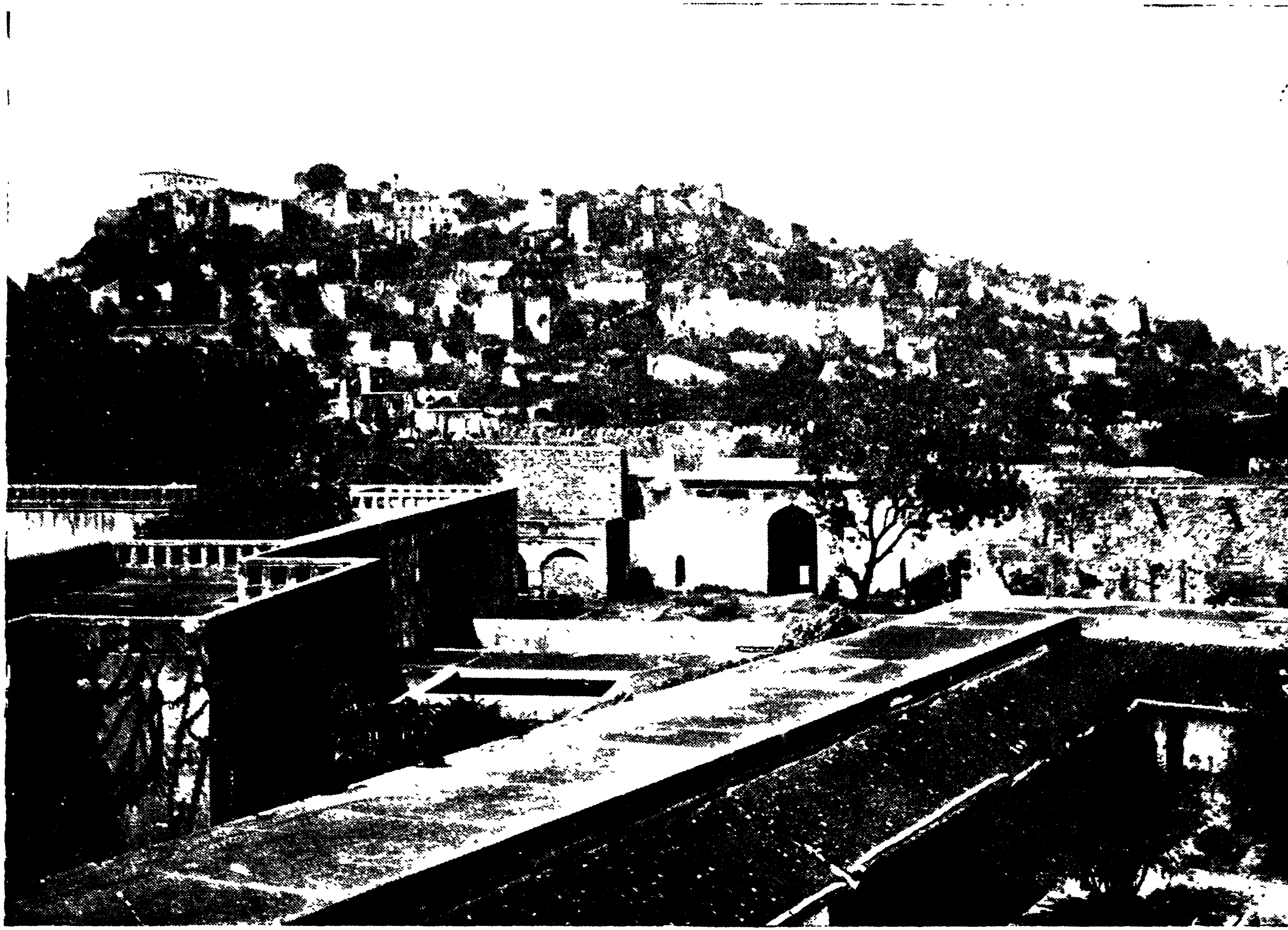
मत-दाताओं की सूची में ऐसे सब व्यक्तियों के नाम दर्ज किये जाने की व्यवस्था थी, जो (१) पहली जनवरी, १६४८ को २१ वर्ष की आयु के हो चुके हों; जो (२) जन्म से, या 'निवास' से, हैदराबाद रियासत की प्रजा हों; और जो (३) सन् १६४७ में, रियासत के किसी एक भाग में, १८० दिन तक रह चुके हों। 'निवास' का अर्थ था, १ जनवरी, १६४८ से पहले कम से कम पांच वर्ष तक रियासत में निरन्तर निवास, और भविष्य में स्थिर रूप से रियासत में ही निवास करने का इरादा। तीसरी शर्त के अनुसार, मतदाता के लिये यह आवश्यक था कि वह सन् १६४७ में कुल मिला कर कम से कम १८० दिन तक किसी निर्वाचन-प्रदेश में रहा हो। यह शर्त इसलिये लगाई गई कि सूची में रियासत के उन वास्तविक निवासियों के भी नाम आ सकें, जिन्हें गड़बड़ के दिनों में रियासत के बाहर रहना पड़ा हो; और साथ ही इसलिये भी कि सूची में ऐसे लोगों के नाम न आ सकें, जो सन्. १६४७ में बाहर से यहाँ आकर बस गये हों।

हैदराबाद और सिकन्दराबाद के शहरों की सूची बनाने का काम यहां के म्युनिसिपल अधिकारियों को सौंप दिया गया। ज़िलों में यह काम सिविल-शासकों को सौंपा गया। अपने-अपने ज़िलों के अन्तर्गत ग़ैर-दीवानी प्रदेशों की सूचियां तैयार कराने का काम भी सिविल शासकों के ही अधीन था। यह भी निश्चित किया गया कि हैदराबाद और सिकन्दराबाद शहरों की सूचियां उर्दू तथा अंग्रेज़ी में तैयार की जायें, और ज़िलों की – नागरिक तथा ग्रामीण, दोनों प्रदेशों की – सूचियां प्रादेशिक भाषाओं में। किस ज़िले की प्रादेशिक भाषा कौन सी है, यह स्थिर करने के लिये प्रत्येक तालुक़ा को इकाई मान लिया गया। रियासत की कुल आबादी १६३, ३८,५३४ है, जिसमें से ७५,२६,२२६ व्यक्तियों की मातृभाषा तेलुगू है, ३६,४७,०८६ की मराठी, २१,८७,००५ की उर्दू और १७,२४,१८० की कन्नड। इनमें केवल उर्दू-भाषी ही ऐसे हैं, जो रियासत के विभिन्न प्रदेशों में बिखरे हुए हैं। शेष भाषाओं के बोलने वाले प्राय: किसी एक ही सीमित प्रदेश में एकत्रित हैं। इसलिये प्रादेशिक भाषाओं का निश्चय करने में कोई विशेष कठिनता नहीं हुई।

मत-दाताओं की सूचियां बनाने के कार्य के दो अंश हैं – घरों की गिनती करना और मत-दाताओं के नाम दर्ज करना। घरों की गिनती का कार्य पूरा हो चुका है – प्रत्येक ज़िले के गांवों, क़स्बों और शहरों के मकानों को गिना जा चुका है, और उन पर नम्बर डाले जा चुके हैं। घरों की गिनती के आधार पर मत-दाताओं के नाम दर्ज करने का काम भी बहुत-कुछ आगे बढ़ चुका है – ७०,००,००० मत-दाताओं के नाम दर्ज किये जा चुके हैं।

विधान-परिषद् के चुनाव के सम्बन्ध में आवश्यक व्यय के लिये ३४,००,००० रु० की रक़म स्वीकृत की गई है।

अधिकारियों की ओर से इस बात की घोषणा बार-बार की जा चुकी है कि हैदराबाद रियासत के भविष्य का निर्णय हैदराबाद रियासत की जनता ही करेगी। विधान-परिषद् इस भविष्य-निर्माण का साधन होगी। जनता जानती है कि उसे किन बातों का निर्णय करना है। प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार है, यह अधिकार उसके 'मौलिक' अधिकारों में से एक है। साथ ही, इस अधिकार का उपयोग करना प्रत्येक नागरिक के प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। हैदराबाद के प्रत्येक मत-दाता का अपने-आप के प्रति, अपनी रियासत के प्रति और अपने देश के प्रति, यह कर्तव्य है कि वह विधान-परिषद् के आगामी निर्वाचन में अपने मताधिकार का उपयोग करे, और इस प्रकार उस भविष्य के निर्माण में सहयोग दे, जिसकी प्रतीक्षा वह इतने विश्वास और आशा के साथ कर रहा है।



गोलकुंडे का किला

सेना

पिछली गवर्नमेंट ने हैदराबाद की सेना को बहुत बढ़ा लिया था। अब उसे कम करके लगभग उतनी ही सेना रखने का निश्चय किया गया, जितनी सन् १६३६ के पहले थी, और इस निश्चय के अनुसार, अनावश्यक सैनिकों को अलग करने तथा सेना को नये सिरे से संघटित करने का काम प्रारम्भ कर दिया गया। इस काम के संचालन के लिये एक विशेष विभाग (Demobilization Directorate) खोला गया। सबसे पहले उन लोगों को छुट्टी दी गई जो पाकिस्तान और भारत से यहां आकर सैनिक बन गये थे, इसके बाद क्रमशः अन्य सैनिक-वर्गों को भी बिदा किया गया। कुछ सैनिकों ने अपनी इच्छा से ही नौकरी छोड़ दी। इस प्रकार,

१ अप्रैल, सन् १९४९ तक सेना की संख्या उतनी ही रह गई, जितनी रक्खी जाने का निश्चय किया गया था।

१ सितम्बर, १९४८ को हैदराबाद-सेना की जो संख्या थी, और गवर्नमेंट की आज्ञानुसार जो संख्या अब रक्खी जा सकेगी, उसका विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ग अथवा श्रेणी	१ सितम्बर १९४८ की संख्या	भविष्य के लिये निश्चित संख्या
अफ़सर	४२९	३१४
कैडेट	६८	२०
सब-कमिशन्ड अफ़सर	५६८	३८४
वारंट-अफ़सर	४२	२४
अन्य (साधारण सैनिक)	१६,७६३	९,६९३
योग	१७,८७०	१०,४३५

उपर्युक्त योजना के अनुसार जितने सैनिकों को अलग करने का निश्चय किया गया था, और जितनों को अब तक अलग किया जा चुका है, उनका विवरण निम्न-लिखित है :—

वर्ग अथवा श्रेणी	अलग किये जाने वाले	अलग किये जा चुके
अफ़सर	११५	१४५
कैडेट	४८	२५
सब-कमिशन्ड अफ़सर	१८४	२२१
वारंट-अफ़सर	१८	१६
अन्य (साधारण सैनिक)	७,०७०	७,७१७
योग	७,४३५	८,१२४

जिन लोगों को अलग किया गया, उन सबको नियमानुसार मुआवज़ा भी दिया गया।

१५ सितम्बर, १९४८ को नज्मे-जमायत (अ-नियमित सेना) की संख्या ६,२८२ थी। इनमें से ३,४९० को अलग किया जा चुका है। नज्मे-जमायत में ३,८०० अरब थे। इनमें से लगभग आधे मुल्की (जन्म अथवा 'निवास' से हैदराबादी) थे, शेष ग़ैर-मुल्की। मुल्की अरबों को अलग करने में कठिनता नहीं हुई, किन्तु ग़ैर-मुल्कियों को यथासमय अलग नहीं किया जा सका, क्योंकि इन्हें अपने देश को वापस भेजने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। फिर भी ४८९ ग़ैर-मुल्कियों को नियमानुसार मुआवज़ा देने के बाद, पश्चिमी संरक्षित-प्रदेश (अदन) को भेजा जा चुका है।

पैगा सेनाओं को भी इसी प्रकार छुट्टी दी जा रही है।

अलग किये हुए सैनिकों को सिविल नौकरियों में खपाने के लिये पुनर्निवेश (Resettlement) तथा नियुक्ति-विभाग के अध्यक्ष से पूरा सहयोग प्राप्त किया गया है। सेना-विभाग की ओर से भी एक पुनर्निवेश-शिक्षण-केन्द्र खुला हुआ है, जहां निकट भविष्य में अलग किये जाने वाले सैनिकों को उद्योग-व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है, जिससे उन्हें फिर से नागरिक जीवन बिताने में सहायता मिले।

पुलिस-कार्यवाही के दिनों में हैदराबाद के सैनिकों को सीमा-प्रदेशों से तथा जिलों से हटा लिया गया था। इसके कारण गवर्नमेंट को भारी आर्थिक हानि पहुंची, और सेना का बहुत सा सामन भी नष्ट हुआ। सैनिकों के निजी सामान की भी बहुत-कुछ क्षति हुई। इनकी सहायता के लिये संरक्षक गवर्नमेंट ने ४७ लाख रुपया तुरन्त स्वीकृत किया, जिसे सितम्बर और अक्टूबर, १९४८ के अग्रिम वेतन के रूप में, समस्त सैनिकों को

बांट दिया गया – वे चाहे जिस वर्ग अथवा श्रेणी के हों। इसके अतिरिक्त, ५४ लाख रुपया ठेकेदारों का पावना और सफ़र-ख़र्च के बिल अदा करने के लिये स्वीकृत किया गया।

सेना का बजट, जो अब तक ६ करोड़ था, घटा कर ३ करोड़ कर दिया गया। इसमें से १०,००,००० से भी अधिक रुपया उन सैनिकों की सहायता के लिये रक्खा गया, जिन्हें सेना से अलग किया जाने वाला था।

अब तक सेना का सारा सामान कुछ निश्चित ठेकेदारों से, अथवा स्थानीय व्यापारियों से ख़रीद लिया जाता था। यह पद्धति बंद कर दी गई, और सामान की ख़रीद खुले टेंडरों द्वारा की जाने लगी।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हैदराबाद की सेना का भविष्य, बहुत-कुछ अंशों में, हैदराबाद रियासत के भविष्य पर और पूरे भारत की रियासती सेनाओं के भविष्य पर निर्भर है।

o–●–o–o

बजट

लायक़ अली मन्त्रि-मण्डल का बजट विधान-सभा द्वारा पिछले अगस्त में स्वीकृत किया गया था। इसके अनुसार १३५७ फ़सली (१९४७-४८ ई.) के संशोधित आय-व्यय-अनुमान में ४३४.०३ लाख रुपये की, और १३५८ फ़. के अनुमान में ३१८.१८ लाख रुपये की कमी पड़ती थी। संघ्रक गवर्नमेंट ने पूरे बजट का नये सिरे से संशोधन किया, और उसे नई परिस्थिति के अनुरूप बनाया।

लायक़ अली मन्त्रि-मण्डल ने १३५७ .फ़० के अनुमान में केवल ४३४.०३ लाख रुपए की कमी दिखाई थी, किन्तु पूरी जांच करने पर पता चला कि वास्तव में यह कमी १२५७.४४ लाख की थी। निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि लायक़ अली मन्त्रि-मण्डल ने बजट के घाटे को जान-बूझ कर ही कम दिखाया था, और वह इसलिये

कि मन्त्रिमण्डल, भारत से युद्ध करने के लिये जो तैयारियां कर रहा था, उन्हें छिपा कर दुनिया को धोखे में रक्खा जाय। सेना, पुलिस, ए० आर० पी०, प्रोपेगेंडा और "शरणार्थियों" पर बड़ी-बड़ी रक़में .खर्च कर डाली गई थीं। १३५६ फ़० में सेना का व्यय केवल १७०.७७ लाख था, किन्तु १३५७ .फ० में एकदम ६३३.४६ लाख पर पहुंच गया। पुलिस का व्यय १३५६ .फ० में ११४.५८ लाख था, किन्तु १३५७ .फसली में बढ़ कर २६५.०० लाख हो गया। "शरणार्थियों" पर १४३.०० लाख रुपये का व्यय किया गया। अस्त्र-शस्त्रों के बाहर से .खरीदने और यहां बनाने के लिये २००.०० लाख रुपया .खर्च किया गया।

१३५८ .फ० के बजट में भी वास्तविकता को छिपाया गया था। व्यय के खाते में ४७२.७१ लाख रक़म की मदें दिखाई ही नहीं गई थी। इस प्रकार, १३५८ .फ० के बजट का वास्तविक घाटा ७६०.८६ लाख था, जिसे लायक़ अली मन्त्रि-मण्डल ने केवल ३१८.१८ लाख बताया था। आय के खाते में भी, रेलवे रिज़र्व फ़ंड की मद में, ११६.६६ लाख की रक़म अधिक दिखा दी गई थी। १३५८ फ़० में यह रक़म वसूल ही नहीं हुई थी।

संरक्षक गवर्नमेंट के प्रयत्नों से बजट की कुल कमी अब २०२.२४ लाख रह गई है। व्यय में ७४३.७१ लाख रुपये की बचत की गई है। सेना का व्यय ६५८.१३ लाख से ३००.०० लाख कर दिया गया है, जिसमें अलग किये हुए सैनिकों की सहायता आदि का व्यय भी सम्मिलित है। पुलिस के व्यय में भी १००.०० की बचत की गई है—यद्यपि इस बचत का अधिकांश बाद में भारतीय पुलिस पर व्यय करना पड़ा है। सेना और पुलिस की संख्या में कमी करने से मंहगाई-भत्ते की मद में ५२.६७ लाख की बचत हुई है। शरणार्थियों आदि के व्यय में १८.६१ लाख की कमी की गई है, और इसके अतिरिक्त कई एकमुश्त रक़में कम करके ५८.३३ लाख की एक और बचत निकाली गई है। वैदेशिक-कार्य-विभाग, और उसके साथ-साथ विदेश-स्थित प्रतिनिधियों के कार्यालय बन्द करने से २२.०० लाख रुपये का व्यय बचा है। माल-गुज़ारी-विभाग के व्यय में ३६.२६ लाख रुपया बचाया गया है। आबकारी-विभाग की अस्थायी व्यवस्था का व्यय घटा कर २.५६ लाख की बचत की गई है।

लायक़ अली मन्त्रिमण्डल के बजट में ज़मीन की मालगुज़ारी की आय का जो अनुमान किया गया है, उससे ७५.३७ लाख रुपया अधिक वसूल होने की आशा है। आयात–कर की आमदनी का अनुमान पहले २००.०० लाख था, अब २५०.०० लाख है; जंगलात की मालगुज़ारी से होने वाली आय का अनुमान ७०.०० लाख से ८०.०० पर पहुंच गया है; कागज़ करंसी की आय का ११६ १४ लाख से १३४.८९ लाख पर; इनकम-टैक्स की आय का १२५.०० लाख से १५०.०० लाख पर; विलास वस्तुओं पर लगाये हुए बिक्रीकर की आय का १५.०० लाख से २०.०० लाख पर; खानों की आय का ६.०० लाख से ८.५० लाख पर; और मोटर-टैक्स की आय का ८.०० लाख से ११.०० लाख पर।

आयात-कर की आमदनी में विशेष वृद्धि न होने का कारण, बाहर के माल का रेलवे द्वारा आना है। आयात-कर की ९० प्रतिशत आमदनी का यही साधन है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान आर्थिक-वर्ष के पहले महीने में यातायात बिलकुल ही बन्द था जिसके कारण उस पूरे महीने भर आयात-कर से कुछ भी आमदनी नहीं हुई। अर्थात् इस आमदनी का जो अनुमान लगाया गया है, वह ग्यारह महीनों का है। आबकारी की आय का अनुमान नहीं बढ़ाया जा सका, क्योंकि इस आय का अधिकांश, लगभग १५०,०० लाख रुपया, वरंगल और नलगुंडा ज़िलों से मिलता है, और इन दोनों ज़िलों में अशान्ति का वातावरण है। अब रेल्वे रिज़र्व .फंड

को हाथ भी नहीं लगाया जायगा: और रेल्वे की आय में से ५०.०० लाख रुपया लिया जायगा।

ऊपर बताये हुए ढंग से जो बचत की गई है, और जो आमदनी बढ़ाई गई है, उसका बहुत सा अंश नये खर्चों में निकल जायगा। चुनाव में ३४.०० लाख रु० व्यय होगा। सिकन्दराबाद छावनी को दी जाने वाली जो सरकारी सहायता लायक़ अली मन्त्रि-मण्डल ने बन्द कर दी थी, वह अब फिर दी जाने लगी है। इसका व्यय १३.५६ लाख रुपया है। डाक-विभाग को बढ़ाने के लिये १६.१८ लाख रु० के व्यय का अनुमान किया गया है, और राशनिंग तथा अन्य कंट्रोल के प्रबन्धों का खर्च १५.६१ लाख बैठेगा। इस पूरे जमा-खर्च का सन्तुलन यों किया जा सकता है:—

१. बचत	७५३.७१
२. अतिरिक्त आय (बजट में प्रस्तावित आय को छोड़ कर)	७५.३७
३. अतिरिक्त व्यय	२४०.४३
४. कुल बढ़ती	५८८.६५

किन्तु बचत करने में इस का ध्यान रक्खा गया है, कि इसके कारण राष्ट्र-निर्माण के कामों में रुकावट न पड़ने पावे। यह बात नीचे दिये हुए विवरण से स्पष्ट हो जाती है:—

विभाग	१३५६ फ. का वास्तविक व्यय	१३५७ फ. का संशोधित आनुमानिक व्यय	१३५८ फ. का आनुमानिक व्यय
१. शिक्षा	१६६.१६	२६६.००	२६४.६२ और ७.६२ (यूनिवर्सिटी की बचत)
२. मेडिकल तथा जन-स्वास्थ्य	६८.२४	८०.००	९८.६६
३. कृषि	२०.८१	१५.५३	२२.००
४. पशु चिकित्सा	६.११	१३.६६	१३.००
५. सहयोग-संस्थायें	११.८५	१५.७०	१७.३१
६. नगर-समितियाँ और सार्वजनीन सुधार	७७.४८ (जिस में २५.०० लाख की एक विशेष सहायता भी सम्मिलित है)	५२.३२	६०.०४
७. भवन-निर्माण और यातायात	१६०.६१	१६७.००	१५३.७०
८. सिंचाई	२५.०५	४५.८७	६५.८४
९. अकाल-पीड़ितों की सहायता	५०.२३	५१.७५	६०.६६
योग	६२२.५४	७११.१३	७६४.६८

यह भी निश्चय किया गया है कि यदि आवश्यकता पड़े, तो प्रारम्भिक शिक्षा के लिए और अधिक रुपया दिया जाय। शरणार्थियों की सहायता और उन्हें फिर से बसाने के लिए ५८.०० लाख रुपया स्वीकृत किया गया है। अस्त-व्यस्तता की परिस्थिति से अभी छुटकारा पाई हुई जनता पर नये टैक्स लगाना उचित नहीं समझा गया। किन्तु आय और व्यय के अन्तर को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने निम्न-लिखित उपायों से काम लेने का निश्चय किया है।

सर्फ़े-खास को फ़रवरदी, १३५८ .फ़० से गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है। अनुमान किया जाता है कि इस साल के शेष सात महीनों में सर्फ़े-खास से १००.६२ लाख रु० की आमदनी होगी, और इसके प्रबन्ध आदि में ४०.४४ लाख रु० व्यय होगा। इस प्रकार बचे हुए ६०.१८ लाख रु० में से, समझौते के अनुसार, माननीय निज़ाम और शाहज़ादों का खर्च निकाल देने के बाद २८.६२ लाख की रकम बचती है, जिसका उपयोग बजट के घाटे को कम करने के लिए किया जा सकता है।

लोग समझते हैं कि सर्फ़े-खास के ले लेने से रियासत की आर्थिक दशा बहुत कुछ सुधर गई होगी। किन्तु यह समझना ठीक नहीं है। इन सुधारों का प्रधान उद्देश्य यह है कि सर्फ़ेखास और जागीरों का शासन भी उसी तरह से हो, जिस तरह दीवानी का होता है, जिसका फल यह होगा कि राष्ट्र निर्माण के कार्यों का व्यय पहले से कहीं अधिक बढ़ जायगा।

क़ानूनी दस्तावेज़ों का महसूल दूना कर दिया जायगा, जिससे ८.०० लाख रुपये की आमदनी बढ़ेगी। यह महसूल दूना हो जाने के बाद भी पड़ोसी प्रान्तों के महसूल से कम ही रहेगा।

पेट्रोल पर और मोटर में जलने वाली स्पिरिट के मिश्रण पर दो आना प्रति गैलन के हिसाब से टैक्स लगाया जायगा। इससे ५.०० लाख की आमदनी होगी।

जागीरों की पुलिस और अदालत का प्रबन्ध गवर्नमेंट अपने हाथ में ले चुकी है। जागीर-कमीशन ने सिफ़ारिश की थी कि इस प्रबन्ध के व्यय के लिये जागीरों की माल्गुज़ारी का ८ १/३ प्रतिशत गवर्नमेंट ले सकती है। यह अंश इसी वर्ष से वसूल किया जायगा, और इसके द्वारा १०.०० लाख रुपये की आय होगी।

आय बढ़ाने के इन सब साधनों के
घाटे को २०२.२४ लाख से १५०.३२
जा सकेगा।

१३५७ फ़० के बजट में, उद्योग
बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिये १०१०.
रक्खा गया था। किन्तु इन कामों में ५
से अधिक का व्यय नहीं होगा। १३५८
में बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिये ६८२.
रक्खा गया है। मुख्य-मुख्य योजनाओं
प्रकार हैं:- सिंचाई और तुंगभद्रा-यो
१७५.०० लाख; निज़ामसागर की जल
के लिये २०.०० लाख; सड़कों के लिये
इमारतों के लिये ८३.०० लाख; रेलवे के
लाख; बेगमपेट के हवाई अड्डे के लिये
म्युनिसिपल कामों के लिये ५५.५
गोदावरी-प्रदेश-योजना के लिये ११
प्रत्येक योजना के लिये उतना ही रुपय
है जितने की वास्तव में आवश्यकता है
कम में काम नहीं चल सकता। व्यय
कम से कम रखनेका उद्देश्य मुद्रा-स्फीति (
को रोकना है।

१३५६ फ़० के अन्त में गवर्नमेंट के
करेंसी के रिज़र्व के अतिरिक्त, अन्य
६८.८४ करोड़ की रक़म जमा थी। १
अन्त में यह रक़म ४७.२६ करोड़ ही
इस प्रकार रिज़र्व में से लगभग २१॥ क
रक़म ग़ायब हो जाने के कारण यह थे
के बजट का घाटा, बड़ी-बड़ी योजना
और लायक़ अली मन्त्रि-मण्डल की युद्ध व
१३५६ फ़० और १३५७ .फ़० के अन
रिज़र्वों की स्थिति इस प्रकार थी:—

रिज़र्व का नाम	करोड़ उस्मानिया रुपयों में रिज़र्व की रक़म	
	१३५६ फ़० (१९४६-४७) के अन्त में	१३५७ फ़० (१९४७-४८) के अन्त में
ऋण-भुगतान का रिज़र्व	५.६४	६.५३
अकाल रिज़र्व	२.६०	२.३०
औद्योगिक रिज़र्व	४.३२	४.६८
उस्मानिया सिक्के की स्थिरता के लिए रिज़र्व	३.००	३.००
बन्धक-पत्रों (Securities) की व्यवस्था के लिए रिज़र्व	२.१६	२.१६
युद्धोत्तर विकास के लिए रिज़र्व	४०.८२	२८.०१
जमा और साधारण रिज़र्व	६.६७	.२५
योग	६८.८४	४७.२६

१३५७ फ़० (१९४७-४८) के प्रारम्भ में काग़ज़ [करें]सी रिज़र्व की कुल रक़म ४३.७६ करोड़ थी, जिसमें २८.७९ करोड़ के बन्धक-पत्र (Securities) और १४.९७ करोड़ नक़द था। दै, १३५८ फ़० अन्त में ५४.३२ करोड़ की काग़ज़ करेंसी चलन थी, और रिज़र्व की सम्पत्ति (Assets) इस [प्र]कार थी:—

बन्धक-पत्र	४५.९९ करोड़
नक़द	८.३३ करोड़

भारतीय करेंसी के बहुत बड़े परिमाण में हैदराबाद [से] कराची भेज दिये जाने के कारण तथा पिछली [गड़]बड़ के दिनों में पूंजी के रियासत से बाहर चले [जा]ने के कारण, काग़ज़ करेंसी रिज़र्व में भारतीय करेंसी [क]ा स्टॉक बहुत-कुछ कम हो गया है।

१३५६ फ़० (१९४६-४७) के अन्त में कुल फ़्लोटिंग-क़र्ज़ा २८.१६ करोड़ था। दै, १३५८ फ़० [के] अन्त तक यह क़र्ज़ा ४०.८८ करोड़ हो गया। [इस] बीच में किसी तरह का पब्लिक-ऋण जारी नहीं [कि]या गया, फिर भी इसमें इतनी अधिक वृद्धि इसलिये हो गई कि गवर्नमेंट को विशेष बन्धक-पत्र जारी करने पड़े। विशेष बन्धक-पत्र जारी करने के प्रयोजन यह थे :– नक़दी की स्थिति को संभालना, जो व्यय की असाधारण अधिकता के कारण बहुत बिगड़ गई थी; काग़ज़ करेंसी रिज़र्व की कमी को पूरा करना, जो कराची-स्थित एजेंट-जनरल के द्वारा, अवैध रीति से, बड़ी-बड़ी रक़में बैंकों से निकाल लिये जाने के कारण पैदा हो गई थी; और, इस वर्ष के पहले तीन महीनों के लिये आवश्यक व्यय का प्रबन्ध करना।

१३५७ फ़० के प्रारम्भ में शेष नक़दी ९७७.८८ लाख थी, जिसमें लन्दन में जमा की हुई ४५३.७६ लाख की स्टर्लिंग रक़म भी शामिल थी। इन दिनों में सरकारी आमदनी बहुत कम हुई थी, और क़र्ज़ की मदों में व्यय बहुत अधिक किया गया था, और इसलिये आय और व्यय के बीच का अन्तर बहुत बढ़ गया था। इस कमी को पूरा करने के लिये लायक़ अली मन्त्रि-मण्डल ने दो उपाय किये–भारत सरकार के, १५२८.७५ लाख (भारतीय सिक्के) के विशेष बन्धक-पत्र बेच दिये, और ७००.०० लाख के लिखित-मूल्य (Face Value) के विशेष बन्धक-पत्र जारी किये, जिनका

सूद २। प्रति-शत था। आय की कमी, बड़ी-बड़ी योजनाओं का व्यय, तथा हैदराबाद को-ऑपरेटिव कमर्शल कार्पोरेशन और अन्य औद्योगिक तथा व्यावसायिक संस्थाओं को दी हुई अग्रिम सहायता—इन सबके कारण कुल २८८६.५३ लाख रुपया निकल गया, और १३५७ फ़० के अन्त में ७८८.५७ लाख रुपया बचा, जिसमें लन्दन में जमा की हुई २२८.६० लाख की स्टर्लिंग रक़म भी है। इस रक़म का अधिकांश भूत-पूर्व अर्थ-मन्त्री के पास है। किन्तु अब जनता का गया हुआ विश्वास लौट आने से, तथा व्यापार के यथापूर्व चल निकलने से, आवश्यक रुपये का प्रबन्ध करना उतना कठिन नहीं रहा है, और भविष्य के लिये भी बहुत-कुछ आशा की जा सकती है।

संरक्षक गवर्नमेंट के सामने यह एक विकट समस्या उपस्थित थी कि कुल २४ करोड़ के बजट में, जो आठ करोड़ रुपये का घाटा पड़ रहा था, उसको पूरा करने का क्या उपाय किया जाय। बजट के आय-व्यय को बराबर करने के लिये, जो प्रयत्न किये जा सकते थे किये गये हैं—विशेष कर इसलिये कि मुद्रा-स्फीति (Inflation) का रोकना आवश्यक है। किन्तु फिर भी बजट के कुल घाटे को पूरा नहीं किया जा सका। सन्तोष की बात यही है कि अब घाटे की रक़म केवल डेढ़ करोड़ रह गई है। हैदराबाद रियासत की आर्थिक स्थिति स्वभावत: ही दृढ़ है, किन्तु इस समय हैदराबाद की दशा उस व्यक्ति की सी है, जो किसी कठिन रोग से छूट कर अभी-अभी स्वस्थ हुआ है। भविष्य में रियासत का 'स्वस्थ' रहना निश्चित है, किन्तु उसे पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करने तक, अपने-आप को अत्यन्त सावधानी से संभाले रहना चाहिये।

बजट का संक्षेप

आंकड़े लाख रुपयों में (हैदराबादी रुपया)

बजट के अनुमान

मदें	१३५७ फ़० के बजट का अनुमान	१३५७ फ़० का संशोधित अनुमान		१३५८ फ़० के बजट का अनुमान	
		लायक़अमली बजट	संशोधित बजट	लायक़अमली बजट	संशोधित बजट
प्राप्त आय	२५५९.७६	२१६५.००	२०१७.४८	२२६२.९०	२३२७.२७
रिज़र्व से ली हुई रक़म	११८.३४	६३.४७	६३.४७	६१.४४	७२.४४
कुल आय	२६७८.१०	२२२८.४७	२०८०.९५	२३२४.३४	२३९९.७१
कुल शासन-व्यय	२६७३.०४	२६६२.५०	३३३८.३९	२६४२.५२	२६०१.९५
आय की अधिकता (+) या कमी (−)	+ ५.०६	−४३४.०३	−१२५७.४४	−३१८.१८	−२०२.२४
बड़ी-बड़ी योजनाओं का व्यय	१०१०.१५	७२३.९१	७२३.९१	७५०.००	६८२.१६

१३५८ .फ० के प्रारम्भ में रिज़र्व-खाते की शेष रक़मों का अनुमान

रिज़र्व का नाम	शेष रक़म	रिज़र्व का नाम	शेष रक़म
१. युद्धोत्तर विकास के लिये रिज़र्व	२८००.६५	५. ऋण-भुगतान का रिज़र्व	६५३.५२
२. बन्धक-पत्रोंकी व्यवस्थाके लिये रिज़र्व	२१८.७८	६. औद्योगिक ट्रस्ट फ़ंड	४६८.४४
३. उस्मानिया सिक्के की स्थिरताके लिये रिज़र्व	३००.०१	७. जमा और साधारण रिज़र्व	२४.८५
४. अकाल के लिये रिज़र्व	२२६.८८	योग	४७२६.१३

१३५७ .फ० के अन्त में सम्पत्ति और दातव्य (Assets & Liabilities) का अनुमान

सम्पत्ति (Assets)............१०,४६५.६०

दातव्य (Liabilities).........५,५३१.४१

यातायात और सम्पर्क के साधन

आजकल के द्रुत-गामी संसार में अविलम्ब यातायात तथा सम्पर्क की समुचित व्यवस्था का कितना महत्त्व है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। संरक्षक गवर्नमेंट ने जब शासन का प्रबन्ध संभाला, तो उसे पता चला कि रियासत में कई ज़िले ऐसे हैं, जिनमें हैदराबाद नगर से, अथवा एक-दूसरे से, सम्पर्क के कोई साधन नहीं हैं। इन ज़िलों में दूर-सम्पर्क (Tele-communication) की व्यवस्था करने के लिये, तथा रियासत भर में इस प्रकार की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये, गवर्नमेंट ने पूरी रियासत में बहुत से बेतार के स्टेशन बनाने का निश्चय किया है। इसके अतिरिक्त, कई ज़िलों के प्रधान नगरों में छोटे-छोटे टेलीफ़ोन-एक्सचेंज (केन्द्रीय स्टेशन स्थापित करने का भी प्रबन्ध किया जायगा, जिनकी

सहायता से बेतार सम्बन्ध के द्वारा, रियासत के सभी टैलीफोन-एक्सचेंजों में परस्पर सम्पर्क हो सकेगा। बेतार के उन सभी स्टेशनों पर, जहां टेलीफ़ोन-एक्सचेंज नहीं हैं, जनता के लिये टेलीफ़ोन द्वारा बातचीत करने का प्रबन्ध रहेगा।

आशा की जाती है कि १९४९-५० में बेतार के २४ स्टेशन बन जायेंगे, और गुलबर्गा, शाहाबाद, निज़ामाबाद, बोधन, लातूर, नांदेड, परभनी, और बिदर में छोटे टेलीफ़ोन-एक्सचेंजों की व्यवस्था हो जायगी।

टेलीफ़ोन-व्यवस्था का विस्तार

हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगरों की टेलीफ़ोन-व्यवस्था भी सन्तोष-जनक नहीं थी। इन दोनों नगरों का क्षेत्रफल लगभग २०० वर्ग मील है, और जन संख्या लगभग दस लाख। इतने बड़े प्रदेश के लिये केवल १,७०० चालू लाइनों का प्रबन्ध था, जो बिलकुल अपर्याप्त था। इसलिये गवर्नमेंट ने ५,००० लाइनें लगा कर टेलीफ़ोन-व्यवस्था को आधुनिक बनाने का आयोजन किया है, जिसमें १.१२ करोड़ रुपया व्यय होगा। यह योजना दो वर्षों में पूरी होगी, और इसमें, गौलीगुडा सईफ़ाबाद तथा सिकन्दराबाद में, तीन नये एक्सचेंज बनाये जाने की व्यवस्था भी सम्मिलित है।

डाक और तार का प्रबन्ध

जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये डाक और तार विभाग का भी नये सिरे से संघटन किया गया है।

पिछली गवर्नमेंट ने १३ सितम्बर, १९४८ को भारतीय डाक, तार और टेलीफ़ोन घरों का काम बन्द कर दिया था। भारत से डाक और तार का कर्मचारी-वर्ग २१ सितम्बर को रियासत में पहुंचा। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक इन सब डाकघरों और तारघरों का काम चालू हो गया, और ११ अक्टूबर तक डाक, तार और टेलीफ़ोन की सब व्यवस्था (केवल साधारण श्रेणी के ट्रंक टेलीफ़ोन को छोड़ कर) यथापूर्व चलने लगी। ट्रंक टेलीफ़ोन का प्रबन्ध भी कुछ दिनों पहले ठीक हो चुका है।

भारतीय डाक-कर्मचारियों को यहां आने पर पता चला कि ५७० डाक-घर जला दिये गये थे, या उनके काग़ज़ात नष्ट कर दिये गये थे। यह सब डाकघर फिर खोले गये। डाक से भेजी हुई जो चीज़ें गड़बड़ के दिनों में नष्ट हो गई थीं, उनके बारे में जांच करने के लिये, और भेजने वालों को उन चीज़ों का मुआवज़ा आदि देने के लिये, डिप्युटी पोस्ट मास्टर जनरल के पद का एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया।

रियासत के ज़िलों और नगरों में डाक और तार की व्यवस्था को विस्तृत करने तथा सुधारने की जो योजना बनाई गई है, उसमें १५ लाख रुपये का व्यय होगा। थोड़े ही समय में गांव के डाकिये ऐसे स्थानों तक डाक पहुंचाने लगेंगे, जहां के लोग अभी तक डाक के बारे में जानते भी नहीं। देहात में डाक के सम्बन्ध में विशेष सुधार यह किया जा रहा है कि डाक पहले से अधिक बार, और अधिक जल्दी पहुंचाई जाय, तथा बाहर जाने वाली डाक के समय को और आगे बढ़ाया जाय। रियासत के प्रत्येक ज़िले में एक-एक भारतीय डाकघर खोला जा चुका है, और थोड़े ही समय में प्रत्येक तालुके में भी, जिनकी संख्या ११८ है, एक-एक डाकघर खोल दिया जायगा।

रेल्वे मेल सर्विस की व्यवस्था में जड़ से सुधार किया गया है। इसका उद्देश्य यह था कि डाक को रेल द्वारा और सड़क द्वारा भेजने के प्रबन्धों का मिलान किया जाय, जिससे डाक सुरक्षित दशा में और शीघ्रता से अपने लक्ष्य तक पहुंचाई जा सके।

हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगरों की बिना रजिस्ट्री की स्थानीय डाक को जल्दी पहुंचाने का प्रबन्ध किया गया। डाक दिन में तीन बार पहुंचाई जाने लगी—सवेरे दोपहर और शाम। डाक ले जाने में शीघ्रता के लिए विशेष मोटर गाड़ियों का भी प्रबंध किया गया है।

हवाई अड्डे की नई योजना

पिछली गवर्नमेंट ने बेगमपेठ के हवाई अड्डे को बढ़ाने के लिये २.३६ करोड़ रुपया स्वीकृत किया था। इस योजना को आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया गया था, और इसके लिये आवश्यकता से अधिक रुपया स्वीकृत किया था। इसलिये योजना पर फिर से विचार किया गया, और उसे बदला गया। आशा की जाती है कि नई योजना केवल एक करोड़ रुपये से पूरी हो सकेगी, और इसके पूरे हो जाने के बाद इस हवाई अड्डे का उपयोग भारत के अन्दर चलने वाले सब हवाई जहाज़ कर सकेंगे। जहाज़ों के चढ़ने-उतरने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सीमेंट-कंकरीट का एक मुख्य 'दौड़-मार्ग' (Runway) बनाया जायगा, जो २,३०० गज़ लम्बा होगा। १,८०० गज़ लम्बा एक छोटा दौड़-मार्ग और बनाया जायगा, जो सीमेंट-कंकरीट का नहीं होगा।

—•—•—

अन्न

संरक्षक गवर्नमेंट ने अन्न की स्थिति की भी जाँच की और उसकी उन्नित व्यवस्था के उपायों पर विचार किया। नई देहली में १७ और १८ सितम्बर, १९४८ को खाद्य-मन्त्रियों की जो कान्फ्रेंस हुई थी, उसकी सिफ़ारिशों को संरक्षक गवर्नमेंट ने स्वीकार किया। प्रधान सिविल शासक के दौरे के अवसर पर ज़िलों में, तथा केन्द्र में भी, ग़ैर-सरकारी लोगों से, अन्न-कर (Levy) के फिर से वसूल किये जाने के विषय में परामर्श किया गया। अन्त में यह निश्चय किया गया कि, रियासत में अन्न की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अनिवार्य अन्न-कर वसूल किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही किसानों की उन कठिनताओं और असुविधाओं को भी दूर करने का पूरा प्रयत्न किया गया, जो उन्हें

गवर्नमेंट को अन्न-कर देने में उठानी पड़ती हैं। कर के रूप में वसूल किये जाने वाले मुख्य-मुख्य अन्नों के मूल्य में संशोधन किया गया, और इसकी सूचना सर्व-साधारण को दे दी गई। अन्न-कर के निर्धारित करने में, जितने अन्न पर 'छूट' दी जाती थी, उसका परिमाण बढ़ा दिया गया और अन्न-कर की दर बदल दी गई। किसानों को इसकी स्वतन्त्रता दे दी गई कि वे अन्न को गांव में ही अधिकारियों के पास जमा कर दें, या सरकारी गोदाम में पहुंचा दें, और साथ ही इसका भी प्रबन्ध किया गया कि जमा किये हुए अन्न का मूल्य किसानों को २४ घंटे के अन्दर दे दिया जाय, और उसमें से लगान, तकावी, सहकार-ऋण अथवा अन्य ऋण के हिसाब में कुछ भी न काटा जाय। इसकी घोषणा कर दी गई कि फ़सल के नष्ट हो जाने की दशा में किसी एक व्यक्ति का या सब लोगों का, अन्न-कर छोड़ देने के विषय में विचार किया जायगा। ज़िलों के अधिकारियों को आज्ञा दी गई कि वे अन्न-कर वसूल करने के लिये पूरा प्रयत्न करें, और इस काम में ग़ैर-सरकारी लोगों से अधिक से अधिक सहायता लें।

अन्न-कर के सम्बन्ध में गवर्नमेंट की यह उदारता-पूर्ण नीति बहुत सफल सिद्ध हुई। औरंगाबाद ज़िले के वैजापुर तालुका में, और गुलबर्गा ज़िले के सेडम तालुका में किसान गाते-बजाते हुए और राष्ट्रीय झंडे ले कर सरकारी गोदामों में अन्न जमा करने के लिये आये। 'अन्न-कर-दिवस' की संध्या तक हज़ारों मन अन्न सरकारी गोदामों में पहुंचा, और वे बिलकुल भर गये। रियासत में अन्न-कर की वसूली के इतिहास में यह पहला ही अवसर था कि किसानों ने इस जन-हित के काम में इतनी तत्परता दिखाई और इतनी रुचि तथा उत्साह के साथ गाड़ियों-भरा अन्न गोदामों में पहुंचाया।

अन्नोत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये गवर्नमेंट ने किसानों को, सस्ते किराये पर, ट्रैक्टर दिये। एक ट्रैक्टर एक दिन में चार एकड़ ज़मीन जोत सकता है। इतनी ज़मीन जोतने के लिये तीन आदमियों और छः बैलों को १२ दिन काम करना पड़ता है। इस प्रकार ट्रैक्टर की सहायता से पैसे और समय की बचत तो होती ही है, जुताई का काम भी साधारण हल की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा होता है, क्योंकि ट्रैक्टर की जुताई १२ इंच गहरी होती है, और साधारण हल की केवल ८ इंच।

अन्न की कमी की समस्या आजकल पूरे भारत-देश की समस्या है। इसलिये हैदराबाद में अन्न का मूल्य भारत सरकार के परामर्श से निश्चित किया जाता है, और उसकी दर पड़ोसी प्रान्तों द्वारा निर्धारित दर के बराबर रक्खी जाती है।

अन्न की वसूली बहुत कुछ बढ़ जाने पर भी, इस वर्ष की आवश्यकता के हिसाब से अभी २,००,००० टन की कमी है। भारत सरकार ने रियासत को १,००,००० टन अन्न देना स्वीकार किया है। शेष कमी को पूरा करने के लिये यह प्रयत्न किये जा रहे हैं:—किसान, अपनी इच्छा से, अधिक अन्न दें; सञ्चित अन्न को सुरक्षित रखने का प्रबन्ध किया जाय; अन्न का व्यक्तिगत और गुप्त सञ्चय तथा चोरी से बाहर भेजना रोका जाय; अन्न के खर्च में यथासम्भव कमी की जाय; और अन्य आवश्यक उपायों से काम लिया जाय।

राशनिंग

उपलब्ध अन्न का सदुपयोग करने तथा उसका उचित और न्याय-संगत विभाजन करने के लिये रियासत के अनेक नगरों में नियमित राशनिंग की व्यवस्था की जा चुकी है, तथा अन्य नगरों में की जाने वाली है। राशनिंग वाले नगरों की कुल जन-संख्या लगभग १७ लाख है। रियासत में राशनिंग का ढंग वही है, जो पूरे भारत में—अर्थात् धान्यों का ग्रूप-राशनिंग। प्रत्येक

वयस्क का एक दिन का कुल राशन १२ औंस है। कठिन शारीरिक काम करने वालों के लिए और गर्भवती अथवा धात्री माताओं के लिये तथा इसी प्रकार के अन्य ऐसे व्यक्तियों के लिये, जिन पर रोग सरलता से आक्रमण कर सकते हैं, अधिक राशन दिया जा सकता है। कारखानों में काम करने वालों के लिये कैंटीन खोलने की आवश्यकता कारखानों के मालिकों को सुझा दी गई है, और इसके फल-स्वरूप मज़दूरों के लिये दस कैंटीनें खुल भी गई हैं।

नई गवर्नमेंट ने हैदराबाद में आने के कुछ ही दिनों बाद राशनिंग की पूरी व्यवस्था में जड़ से सुधार किया, और इस व्यवस्था में जो त्रुटियां थीं, उन्हें दूर करने का संघटित प्रबन्ध किया। ब्लैक मार्केटिंग तथा अन्य बेईमानियों को यथासम्भव रोकने के लिये राशन-दूकानों के चुनने में व्यक्तियों की अपेक्षा सहकार-समितियों और उपभोक्ता-सहकार-संघों को तरजीह दी गई। इस समय केवल हैदराबाद नगर में ही ८९ राशन-दूकानें ऐसी हैं, जिन्हें सहकार-समितियों की ओर से चलाया जा रहा है।

o—o—o—o

श्रम और श्रमजीवी

सामाजिक संघटन मे श्रमिक-वर्ग का कितना बड़ा महत्त्व है, इस बात को संरक्षक गवर्नमेंट अच्छी तरह समझती है। इसलिये उसने श्रमिकों की हित-रक्षा और कल्याण-सिद्धि के लिये अनेक प्रकार की व्यवस्था की है। इसी उद्देश्य से गवर्नमेंट के अन्य विभागों के समकक्ष एक सुसंघटित श्रम-विभाग खोला गया है। साथ ही बम्बई के औद्योगिक-सम्बंध-ऐक्ट से मिलते-जुलते एक विधान का मसविदा भी तैयार किया जा चुका है, जिसका फल यह होगा कि हड़तालों का प्रश्न उठना ही बन्द हो जायगा। श्रमिक-वर्ग को सब तरह के लाभ और सुविधायें दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें वस्तुओं के उत्पादन में प्रधान सहायक की हैसियत से यह लाभ और सुविधायें पाने का अधिकार तो है ही,

मनुष्यता और नैतिकता की दृष्टि से भी यही उचित है। इस प्रयोजन के लिये अनेक स्थानों में संरक्षण-समितियाँ, कर्म-समितियाँ और रक्षाकेन्द्र खोले जा चुके हैं, तथा काम कर रहे हैं। एक 'श्रम-परामर्श-समिति' भी शीघ्र ही बनाई जायगी, जिसमें गवर्नमेंट के, श्रमजीवियों के तथा श्रमिकों से काम लेने वालों के प्रतिनिधि रहेंगे। बड़े-बड़े कारखानों में, श्रमिकों की सुविधा के लिये, संरक्षण-ट्रस्ट-फंड खोलने की योजना भी तैयार की गई है, जो भारत सरकार के श्रम-विभाग की योजना के अनुरूप है।

श्रम-संबन्धी झगड़ों को निबटाने के लिये जो नियम (Trade Disputes Order) बनाये गये थे, उनमें यह सुधार किया गया कि झगड़ों को निबटाने के अवसर पर रजिस्टर्ड श्रमजीवी-संघों के सदस्यों को भी उपस्थित रहने की अनुमति दी जाय। भारत सरकार की व्यवस्था के अनुसार न्यूनतम-वेतन-बिल (Minimum Wages Bill) और औद्योगिक-विवाद-बिल (Industrial Disputes Bill) को संशोधित रूप दिया गया। पिछले छः महीनों में श्रमजीवी-संघों की संख्या १७ से ५५ हो गई है।

कारखानों का निरीक्षण

अनेक कारखाने जो पुलिस कार्यवाही से पहले की गड़बड़ के कारण बन्द पड़े थे, पिछले छः महीनों में फिर से चालू हो गये हैं। बटन बनाने के कई कारखाने जो कच्चा माल न मिलने से और सामान लाने-पहुंचाने की सुविधा न होने से बन्द हो गये थे, अब फिर खुल गये हैं, और अपने बनाये हुए बटनों को रियासत के बाहर भेज रहे हैं। हैदराबाद-ब्वाइलर्स-ऐक्ट अनुसार, ब्वाइलर से काम लेने के लिये ए सार्टीफ़िकेट लेना आवश्यक है, जो, पूरी जां के बाद, अधिक से अधिक १२ महीनों के लि दिया जाता है। कुछ ब्वाइलरों की वार्षि जांच उन दिनों में होनी चाहिये थी, ज पुलिस कार्यवाही चल रही थी, और कुछ कारखानों मालिक, जो पड़ोस के प्रान्तों में चले गये थे, पुलि कार्यवाही के बाद लौट आये और अब अपने कारखा चलाना चाहते थे। पुलिस कार्यवाही के तत्काल बा के दिनों में यातायात की असुविधा के कारण, त जांच करने वाले कर्मचारियों की कमी के कार इन कारखानों की जाँच करना सम्भव नहीं था इसलिये ब्वाइलर्स ऐक्ट में सुधार करके, कारखानों ब्वाइलरों के चीफ़ इंस्पेक्टर को इसका अधिकार दिया गया कि वह, ब्वाइलर की जांच बिना कि हुए भी, सार्टीफ़िकेट की अवधि दो महीनों के लि बढ़ा सकता है, यदि उसे, ब्वाइलर अब तक के ब्योरे से यह विश्वास हो जाय कि उसके चलने देने में कोई खतरा नहीं है। ब्वाइलर्स ऐक्ट में यह सुधार हो जाने से बहुत से लोगों को अप कारखाने और चावल की मिलें शीघ्र चालू करने सहायता मिली, जिसका फल यह हुआ कि अन्न की स्थिति बहुत-कुछ संभली और बहुत से श्रमिक को जीविका मिली।

स्थानीय शासन

अ शान्ति के दिनों में स्थानीय परिषदों का काम अस्त-व्यस्त हो गया था। गवर्नमेंट ने शीघ्र ही इनकी व्यवस्था संभालने का आयोजन किया। नगर-समितियों के चुनाव अगस्त या सितम्बर १९४८ में हो चुके थे, किन्तु गवर्नमेंट द्वारा नामज़द मेम्बरों के विषय में कोई निर्णय नहीं किया गया था, और न चुनाव के परिणामों की घोषणा की गई थी। इसलिये यह निश्चय किया गया कि फ़िलहाल चुनाव से पहले की नगर-समितियों को ही काम करने दिया जाय।

किन्तु हैदराबाद की नगर-समिति का शासन उचित रीति से चलाने के लिये गवर्नमेंट ने, समिति के प्रधान और उप-प्रधान के परामर्श से, ऐसे मेम्बरों को अलग कर दिया, जो निरन्तर अनुपस्थित रहे थे, या

जिन्होंने नागरिक कार्यों में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। इन मेम्बरों के स्थान पर नये मेम्बर रख दिये गये। नये मेम्बरों को नामज़द करते समय इस बात का ध्यान रक्खा गया कि केवल ऐसे व्यक्तियों को चुना जाय, जिनका स्थानीय जनता पर अच्छा प्रभाव हो और जिन्हें नागरिक कार्यों में रुचि हो। यह प्रबन्ध इस आशा से किया गया है कि व्यवस्था विच्छिन्न न हो, और बाद में वर्तमान अन्त:कालीन समिति एक पूर्ण प्रतिनिधि-समिति के रूप में परिणत हो सके।

ज़िलों के शासकों को आदेश दिया गया कि वहां की नगर-समितियों में भी इसी प्रकार के परिवर्तन किये जायें। वर्तमान नगर-समितियों के बदले नियमानुसार निर्वाचित समितियां बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

हैदराबाद नगर-समिति के शासन को नये सिरे से संघटित करने के लिये गवर्नमेंट ने दो अधिकारियों को इस काम पर नियुक्त किया कि वे समिति के प्रत्येक विभाग की व्यवस्था का निरीक्षण करें और इस सम्बन्ध में सुझाव पेश करें कि नगर-समिति की आमदनी बढ़ाने, नागरिकों से पिछला दातव्य वसूल करने, और अब तक के अस्त-व्यस्त हिसाब-किताब को ठीक करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं। यह अधिकारी उपर्युक्त सम्बंध में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। यदि यह रिपोर्ट स्वीकृत कर ली गई, तो नगर-समिति की आमदनी भी बढ़ेगी और उसका प्रबन्ध भी बहुत कुछ सुधर जायगा।

इस वर्ष के बजट में, नगर-समितियों को दी जाने वाली ५ लाख रु० की वार्षिक सहायता के अतिरिक्त १८ लाख रु० की रकम और रक्खी गई है, जिसका व्यय सीमेंट की सड़कें बनाने, गंदे प्रदेशों (Slums) की सफ़ाई, नगर-विकास, तथा जल-प्रबन्ध और ड्रेनेज की व्यवस्था करने में किया जायगा।

पिछले छ: महीनों में सिकन्दराबाद नगर-समिति ने नगर-निर्माण के आठ काम पूरे किये। इनके अतिरिक्त नगर में नये मकान बनाने की कई योजनायें भी स्वीकृत की गईं। अभी हाल में नगर-सीमा में सम्मिलित किये हुए चिलकलगूडा मुहल्ले के विस्तार और सुधार की योजना भी स्वीकृत हो चुकी है।

ज़िलों में पंचायत-समितियों की दशा सुधारने के लिये वहां के सिविल शासक यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं।

बड़े नगरों में गन्दे पानी के निकास (Drainage) की उचित व्यवस्था के लिये, तथा सुरक्षित-जल-प्रबन्ध के लिये, छोटी-बड़ी २० योजनायें गवर्नमेंट के पास भेजी गई हैं, १३ योजनाओं के अनुमान तैयार किये जा चुके हैं, और चार योजनाओं के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

वरंगल तथा सिकन्दराबाद और मारडपल्ली की नगर-निर्माण-योजनायें, और हिंगोली की नगर-विस्तार-योजना पूरी हो चुकी हैं। वरंगल में आज़मजाही मिल के मजदूरों के लिये मकान बनाने की योजना पर काम हो रहा है। इसमें चार लाख रुपये का व्यय होगा। नलगुंडा के लिये एक नगर-निर्माण-योजना तथा अन्य अनेक नगर-विस्तार-योजनायें और गन्दे भागों की सफ़ाई की योजनायें विचाराधीन हैं। हुसैन सागर के बाँध के नीचे एक मनोविनोद का स्थान बनाने की योजना पूरी हो चुकी है।

हैदराबाद नगर के याकूतपुरा मुहल्ले के गन्दे भाग में प्लेग का आक्रमण सबसे अधिक होता है। इस मुहल्ले की सफ़ाई करा कर, यहां २,००० मकान बनाये जायेंगे, और बहुत सस्ते किराये पर निर्धनों को दिये जायेंगे। इस काम में १॥ करोड़ रुपये का व्यय होगा। यह भी निश्चय किया गया है कि यह सब मकान

गवर्नमेंट स्वयं ही बनवाये, ठेकेदारों के द्वारा नहीं। इस प्रकार मकान बनवाने में रुपये की पर्याप्त बचत की जा सकेगी।

निर्माण के कार्य में शीघ्रता के लिये, गवर्नमेंट की ओर से विश्वसनीय सहकार-निर्माण-समितियों को सहायता तथा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन समितियों को मकानों के डिज़ाइन तथा निर्माण-विषयक परामर्श मुफ्त दिये जायेंगे, और उन्हें भूमि तथा आवश्यक सामान प्राप्त करने में भी सहायता दी जायगी।

शाह मंज़िल और सोमाजीगूडा के सामने वाले मैदानों में पब्लिक-पार्क बनाये जायेंगे।

मारेडपल्ली में नये मकान बनाने की जो योजना १९४७ के अन्त में स्वीकृत हो चुकी थी, उस पर अब कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। १३० से अधिक मकान उपलब्ध किये जा चुके हैं। इस मुहल्ले में जिन लोगों की ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उनमें से कई एक से आग्रह किया गया है कि वे मकान बनवाना प्रारम्भ करें, जिससे सिकन्दराबाद में मकानों की कमी कुछ अंशों में पूरी हो सके।

—o—o—

चिकित्सा और स्वास्थ्य-रक्षा

भारतीय सिविल-चिकित्सक-दल के साथ जो सिविल सर्जन हैदराबाद आये थे, उन्होंने ज़िलों के अस्पतालों की व्यवस्था अपने हाथ में ली। रियासत के जो ज़िले भारतीय प्रान्तों की सीमा से मिले हुए हैं, उनमें से अनेकों के अस्पताल कर्मचारियों के भाग जाने से अस्त-व्यस्त हो गये थे, और कई अस्पताल तो लूट लिये गये थे। इन सब अस्पतालों का काम तुरन्त चालू किया गया, और सिविल-चिकित्सक-दल ने, नागरिक रोगियों के अतिरिक्त, घायल सैनिकों की भी चिकित्सा का काम संभाला।

चिकित्सा-विभाग और स्वास्थ्य-रक्षा-विभाग में पारस्परिक सहयोग तथा सामंजस्य बढ़ाने के लिये एक इन्स्पेक्टर-जनरल और एक पूरे समय काम करने

वाले डिप्युटी इन्स्पेक्टर-जनरल की नियुक्ति की गई। दवाइयों तथा अन्य सामान के स्टाक की जांच की गई, और जहां कहीं जो चीजें आवश्यकता से अधिक थीं, उन्हें जमा करके केन्द्रीय मेडिकल स्टोर में पहुंचा दिया गया।

क्षय-रोग के प्रतिकार के लिये एक आधुनिक ढंग का ब्यूरो खोला गया। क्षय-रोगियों को आबादी से अलग रखने का प्रबन्ध किया जा रहा है। बी.सी.जी. टीके लगाने वाले एक चिकित्सक-दल को हैदराबाद आने के लिये निमन्त्रित किया जायगा।

१२ ज़िलों में हैजे का आक्रमण हुआ, और महबूब नगर, अतराफ़-बल्दा, बिदर और उस्मानाबाद जिलों में तथा हैदराबाद नगर में प्लेग का फैलना आरम्भ हुआ। इन रोगों का प्रतिकार करने के उपाय तुरन्त किये गये। ज़िलों की परिस्थिति बराबर वश में रही, किन्तु हैदराबाद में प्लेग का आक्रमण कुछ प्रबलता के साथ हुआ, जिसका कारण यह था कि रोगाक्रान्त ज़िलों के लोग बहुत बड़ी संख्या में यहां आकर भर गये थे। नगर में जब तक रोग का आक्रमण रहा, उसके प्रतिकार के लिये जो-जो प्रयत्न हो सकते थे, किये गये। यदि यह प्रयत्न न किये गये होते, तो मृत्यु का ग्रास बनने वालों की संख्या कहीं अधिक होती।

अनावश्यक व्यय बिना किये हुए, रियासत में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-रक्षा के प्रबन्ध को सुव्यवस्थित बनाने के लिये, अनेक सुधारों के सुझाव गवर्नमेंट के सामने रक्खे गये हैं। इन सुधारों में निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं:—

नगर और ज़िलों में ऐम्बुलेंस की समुचित व्यवस्था;

३० नये औषधालयों, ४० स्वास्थ्य-रक्षा-केन्द्रों और दस जिला-अस्पतालों की स्थापना;

उस्मानिया यूनिवर्सिटी की देखरेख में एक चिकित्सा-केन्द्र की स्थापना;

जन्म, मृत्यु और रोग आदि के विवरणों (Vital Statistics) का संकलन;

संक्रामक रोगों की सूचना की अधिक अच्छी व्यवस्था;

स्वास्थ्य-सम्बन्धी शिक्षा के लिये एक ब्यूरो की, आहार और औद्योगिक-आरोग्य-विषयक एक ब्यूरो की, तथा मैलेरिया के प्रतिकार के लिये एक ब्यूरो की स्थापना;

जन-स्वास्थ्य-रक्षा से सम्बन्धित सहकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग;

जन-स्वास्थ्य-रक्षा से सम्बन्धित केन्द्रीय प्रयोगशालाओं का निर्माण और;

Yaws, Filariasis और कुष्ठ रोगों के प्रतिकार के लिये विशेष प्रयत्न।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी विभागों की व्यवस्था, और वैद्यों तथा हकीमों को दी जाने वाली सरकारी सहायता की व्यवस्था पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों और इन विभागों के अध्यक्षों की एक समिति बना दी गई है। एलोपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक, इन तीनों कालेजों और तीनों चिकित्सा-प्रणालियों में परस्पर सामञ्जस्य और सहकार स्थापित करने के लिये गवर्नमेंट के सामने कुछ सुझाव रक्खे गये हैं, और इन पर विचार किया जा रहा है।

समाचार-पत्र और रेडियो

आधुनिक युग में समाचार-पत्रों की शक्ति और महत्त्व इतने बढ़ गये हैं, कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हैदराबाद गवर्नमेंट अच्छी तरह समझती है कि रियासत की उन्नति और विकास के कार्य में समाचार-पत्र बहुत बड़ी सहायता दे सकते हैं, और इसीलिये उसने समाचार-पत्रों को अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने का पूरा अवसर दिया है। हैदराबाद के विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रतिदिन जो कुछ छपता है, उसे देखकर इस बात का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि रियासत में समाचार-पत्रों को अपने विचार प्रकट करने की कितनी स्वतन्त्रता है। इस स्वतन्त्रता का अनुमान रियासत में निकलने वाले पत्रों और पत्रिकाओं की बड़ी संख्या से भी किया जा सकता है—केवल हैदराबाद और सिकन्द-

राबाद नगरों से ही प्रकाशित होने वाले पत्रों और पत्रिकाओं की संख्या ७० है, और यह संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। किन्तु यदि समाचार-पत्र अपने ऊपर गवर्नमेंट के किसी उपकार का भार लद जाने दें, तो उनकी स्वतन्त्रता नाममात्र की ही रह जाती है। इसलिये संरक्षक गवर्नमेंट ने सबसे पहले कामों में से एक यह किया कि उस आर्थिक सहायता और नियम-विरुद्ध "लिहाज़" अथवा रियायत को बन्द कर दिया, जो अभी तक कुछ पत्रों को, गवर्नमेंट का समर्थन करने के बदले में, दी जाया करती थी। साथ ही, पीडितों को यथासम्भव सहायता देने की निश्चित नीति के अनुसार गवर्नमेंट ने "इमरोज़" के सम्पादक श्री. शिउबुल्ला खां के आश्रितों के लिये आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। श्री. शिउबुल्ला खां रज़ाकार गवर्नमेंट के दिनों में मार डाले गये थे – केवल इसलिये कि उन्होंने अपने पत्र द्वारा सत्य बात कहने का साहस किया था। गवर्नमेंट ने उनकी विधवा पत्नी के लिये १००) रु० प्रतिमास की आजीवन पेंशन, और उनके साले के लिये, जो "इमरोज़" के काम में उनकी सहायता किया करते थे और हत्याकारियों द्वारा बुरी तरह घायल किये जाने के कारण अब अपाहिज हो गये हैं, ५०) रु० प्रतिमास की आजीवन पेंशन निश्चित की है। "इमरोज़" को पुनरुज्जीवित करने के लिये भी प्रयत्न किया जा रहा है।

पत्रों से सम्बन्धित सब बातों का निर्णय पत्रकार-संघ के अध्यक्ष की सलाह से किया जाता है। पत्रकार-संघ का नया संघटन किया जा रहा है। इस संघटन का काम पूरा होने तक के लिये एक अस्थायी पत्रकार-परामर्श-समिति बना दी गई है, जिसके सदस्यों में पत्रकार-संघ के अध्यक्ष भी रहेंगे। पत्रकार-संघ का नया संघटन हो जाने के बाद एक सम्पूर्ण और स्थायी पत्रकार-परामर्श-समिति बनाई जायगी जिसके लगभग सभी सदस्य पत्रकार ही होंगे।

रियासत में गवर्नमेंट और समाचार-पत्रों का पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठ और पूर्ण सन्तोषजनक है। स्थानीय समाचार-पत्र-वर्ग में मिलिटरी गवर्नर के समय-समय पर होने वाले पत्रकार–सम्मेलन सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय हो चुके हैं, क्योंकि यह सम्मेलन रूढिगत बन्धनों से रहित और आमोद-पूर्ण होते हैं, और साथ ही इन के द्वारा जनता को तरह-तरह की अनेक सूचनायें और ख़बरें मिलती रहती हैं। एक पत्राकार का कथन है कि यह सम्मेलन विधान-सभा का कार्य कर रहा है।

अखिल-भारतीय समाचार-पत्र-सम्मेलन को गवर्नर जनरल ने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक समाचार-पत्र अपने मुख-पृष्ठ पर "एक-दूसरे से प्रेम करो और एक-दूसरे की सहायता करो" यह आदर्श-वाक्य रक्खे, जिससे पारस्परिक सद्भावना के प्रसार में सहायता मिले। इस सुझाव को सबसे पहले हैदराबाद के ही समाचार-पत्रों ने कार्य-रूप में परिणत किया है।

रेडियो

१७ सितम्बर १९४८ को पहली बार माननीय निज़ाम ने रेडियो द्वारा भाषण दिया। उनके बाद हैदराबाद-स्थित भारत के एजेंट जनरल श्री० मुंशी ने भी भाषण दिया। दोनों ही भाषण शांति-रक्षा के उद्देश्य से किये गये थे।

आकाश द्वारा प्रसारित इस शांति के संदेश को मिलिटरी गवर्नर ने जारी रक्खा। १८, १९ और २१ सितम्बर को, तथा फिर १ अक्टूबर को, उन्होंने हैदराबाद की जनता को सम्बोधित करते हुए उसे अपनी मित्रता का विश्वास दिलाया, उससे सहयोग मांगा, और बताया कि जनता किस प्रकार गवर्नमेंट को सहयोग दे सकती है। इसके बाद भी उन्होंने रेडियो पर कई भाषण दिये, जिनमें उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की नीति का स्पष्टीकरण किया, साम्प्रदायिक सद्भावना के लिये अपील की, और जनता से शरणार्थियों को सहायता देने का आग्रह किया। प्रधान-मंत्री और उप-प्रधान-मंत्री

यहां आने के अवसरों पर उनके प्रोत्साहक भाषण रेडियो द्वारा जनता तक पहुंचाये गये।

इन दिनों की सबसे बड़ी आवश्यकतायें, .कानून र व्यवस्था की रक्षा तथा साम्प्रदायिक सद्भावना थीं। डेयो ने इन आवश्यक कार्यों में पूरा सहयोग दिया। डेयो के ही द्वारा अनेक अफ़सरों तथा ग़ैर-सरकारी क्तियों ने साम्प्रदायिक एकता का महत्त्व लोगों को मझाया। रेडियो के द्वारा जनता को समय-समय पर सूचनायें मिलती रहीं कि यातायात के साधनों तथा न्य आवश्यकताओं की व्यवस्था कहां तक ठीक हो की है। रेडियो द्वारा बहुत से लोग अपने मित्रों और बन्धियों को, अपने सुरक्षित होने की सूचना भी ज सके।

पिछले छः महीनों में रेडियो-विभाग में अनेक गार किये गये हैं – संचालन की व्यवस्था पहले से हीं अधिक अच्छी कर दी गई है; प्रोग्राम रखने में नने वालों की आवश्यकता और रुचि का विशेष यान रक्खा जाता है; और टेक्निकल सुविधाओं में द्धि की गई है।

वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डेयो-विभाग के बजट को भी संशोधित किया गया , जिससे उच्चकोटि के प्रोग्राम बनाने और उन्हें जनता सामने रखने में पैसे की कमी के कारण रुकावट न है। हैदराबाद रेडियो स्टेशन के लिये १,१३,००० ० वार्षिक स्वीकृत किया गया था, अब इसे बढ़ा कर ,१०,००० कर दिया गया है। औरंगाबाद स्टेशन के ये अब तक ३०,८६६ रु० वार्षिक दिया जाता था, ब इसे बढ़ा कर १,००,००० रु० स्वीकृत किया गया । रेडियो के लाइसेंस देने और उनकी फ़ीस वसूल करने ा काम पहले रेडियो-विभाग के ही हाथ में था, अब यह ाम पोस्ट-मास्टर-जनरल को सौंप दिया गया है। ाइसेंस का प्रतिबन्ध लगाये जाने का निश्चय सात वर्ष पहले ही किया जा चुका था, किन्तु यह निश्चय अभी तक कार्यरूप में इसलिये परिणत नहीं किया जा सका था कि लाइसेंसों के अधिकार-क्षेत्र और उनसे होने वाली आय के विषय में, सर्फ़ेख़ास और गवर्नमेंट का विवाद चल रहा था और उसका कोई निर्णय नहीं हो पाया था। अनुमान किया जाता है कि रियासत में १५,००० रेडियो-सेट उपयोग में हैं, जिनसे प्रतिवर्ष १,५०,००० रु० की आय हो सकेगी। इतने वर्षों से गवर्नमेंट को तो इतनी बड़ी रक़म की हानि हुई ही, रेडियो-विभाग को भी यह सुविधा नहीं मिली कि वह रेडियो-सेट्स के विभाजन और रेडियो सुनने वालों के विषय में जांच कर सके, और उस के आधार पर अपने प्रोग्राम बना सके।

पुलिस कार्यवाही के पहले हैदराबाद रेडियो प्रायः विद्वेष और द्रोह के राग अलापा करता था। नये कर्मचारी-वर्ग ने इस 'टोन' को बिलकुल बदल दिया। पिछले अधिकारियों ने ऐसी भाषाओं में प्रोग्राम और समाचार सुनाने के लिये, जिन्हें समझने वाले लोग रियासत में थे ही नहीं, विशाल आयोजन किया था, और बड़ी-बड़ी रक़में ख़र्च की थीं। कई प्रोग्राम और समाचार केवल विदेशों को भेजे जाने के उद्देश्य से ब्राडकास्ट किये जाते थे, किन्तु सम्भवतः इनमें से एक भी उन देशों के लोगों तक पहुंच भी नहीं पाते थे, क्योंकि दूरी अधिक थी और हैदराबाद के ट्रांसमिटर इतने शक्तिशाली नहीं थे। यह ब्रॉड्कास्ट रोक दिये गये, और रियासत की प्रादेशिक भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में समाचार सुनाया जाना बन्द कर दिया गया। यह निश्चय किया गया कि देहली के आल इंडिया रेडियो से ब्राड्कास्ट किये हुए अंग्रेज़ी तथा अन्य भाषाओं के बुलेटिन (समाचार) हैदराबाद रेडियो से भी पुनः प्रसारित (Relay) किये जाया करें। आल इंडिया रेडियो ने हैदराबाद के लिये प्रतिदिन दो बार हिन्दुस्तानी में, और एक बार तेलुगू में, विशेष बुलेटिन भेजे जाने की भी व्यवस्था कर दी। बाद में तेलुगू के विशेष बुलेटिन के स्थान पर

आल इंडिया रेडियो का अपना ही, संध्या का मुख्य तेलुगू बुलेटिन सुनाया जाने लगा।

औरंगाबाद रेडियो स्टेशन को समाचार-संग्रह की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। इसलिये पुलिस कार्यवाही के बाद से इस स्टेशन के सभी बुलेटिन, आल इंडिया रेडियो से ही लिये जाते हैं। हैदराबाद स्टेशन अंग्रेज़ी और हिन्दुस्तानी के कुछ बुलेटिन आल इंडिया रेडियो से लेता है, किन्तु स्थानीय समाचारों के तेलुगू, उर्दू, मराठी और कन्नड बुलेटिन उसके अपने ही रहते हैं।

हैदराबाद स्टेशन नियमित रूप से प्रति दो सप्ताह में एक बार अन्न-सम्बन्धी समस्याओं पर, और प्रतिमास में एक बार जन-स्वास्थ्य-रक्षा तथा पुनर्वास और जीविका के विषयों पर ब्राड्कास्ट करता है।

पिछली गवर्नमेंट के दिनों में रेडियो के अधिकतर प्रोग्राम उर्दू में ही रक्खे जाते थे—यद्यपि रियासत में उर्दू बोलने वालों की संख्या अन्य भाषाओं के बोलने वालों से कहीं कम है। किन्तु अब, प्रत्येक भाषा के प्रोग्राम को कितना समय दिया जाय, इसका निश्चय रियासत के उन भाषा-प्रदेशों की आवश्यकता के अनुसार किया जाने लगा है, जो हैदराबाद और औरंगाबाद स्टेशनों के क्षेत्र हैं। यह परिवर्तन शीघ्र ही नहीं किया जा सका, क्योंकि एकाएक इतना बड़ा परिवर्तन करने का फल यह होता कि रेडियो-विभाग को नये सिरे से संघटित करना पड़ता और प्रोग्राम से सम्बन्धित कर्मचारी-वर्ग को भी बहुत कुछ बदलना पड़ता। अब तक दोनों रेडियो-स्टेशनों की भाषा क्लिष्ट और फ़ारसी-मिश्रित उर्दू थी। इस भाषा को क्रमशः परिवर्तित करके सीधी और सरल बनाना आवश्यक है, और इसीलिये इसका नाम हिन्दुस्तानी रक्खा गया है।

जुलाई १६४८ से पहले हैदराबाद स्टेशन से सप्ताह में दो बार धार्मिक प्रोग्राम ब्राड्कास्ट किये जाते थे—प्रति शुक्रवार को पवित्र क़ुरान की आयतें सुनाई जाया करती थीं, और प्रति मंगलवार को श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोक। किन्तु १६ जुलाई से लायक़-अली गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक ईसाइयों, लिंगायतों और दलित जातियों के लिए भी धार्मिक प्रोग्राम ब्राड्कास्ट किये जाने की व्यवस्था की। यह काम कुछ तो इसलिये किया गया था कि जहां तक हो सके, सब वर्गों और सम्प्रदायों को भारत से विरोध करने के लिये गवर्नमेंट के साथ मिला लिया जाय, और कुछ इसलिये कि रियासतों में दलित जाति की पृथक् सत्ता का प्रदर्शन किया जाय। १ मार्च, १६४६ से यह सब धार्मिक प्रोग्राम बन्द कर दिये गये—केवल वही दो प्रोग्राम रक्खे गये, जो १६ जुलाई १६४८ के पहले थे। किन्तु यह निश्चय किया गया कि सभी प्रधान सम्प्रदायों के बड़े-बड़े उत्सवों पर विशेष प्रोग्राम यथा-पूर्व ब्राड्कास्ट किये जाया करें।

ब्राड्कास्टिंग में देहाती प्रोग्रामों को भी यथोचित महत्त्व दिया गया है। केवल तेलुगू भाषा-प्रदेश में ही जनता के लिये ७० रेडियो सेट् लगाये गये हैं, और हैदराबाद स्टेशन प्रतिदिन एक घंटा देहाती प्रोग्राम के लिये रखता है।

प्रोग्राम-परामर्श-समितियों में पहले प्रायः सरकारी कर्मचारी ही रक्खे जाते थे। इनमें अब आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा रहा है। अब प्रत्येक समिति में कम से कम पांच ग़ैर-सरकारी सदस्य रहेंगे, और सरकारी सदस्यों की हैसियत से केवल ब्राड्कास्टिंग के कंट्रोलर और रेडियो स्टेशन के डाइरेक्टर रहेंगे।

प्रोग्रामों को सामान्यतया अच्छा बनाने लिये, जो प्रयत्न हो सकते हैं, किये गये हैं। रेडियो पर पढ़े जाने वाले लेखों को स्पष्ट और सुवाच्य अक्षरों में लिखाया जाता है, रिहर्सल बार-बार कराये जाते हैं, और रियासत से बाहर के अच्छे-अच्छे कलाकारों को बुलाया जाता है।

तु स्टूडियो में स्थान की कमी के कारण अभी क विस्तार करना कठिन है।

दोनों स्टेशनों में से किसी पर भी, आल इंडिया यो के अथवा अन्य बाहरी स्टेशनों के प्रोग्राम लिये । और पुनः प्रसरित (Relay) किये जाने की धायें नहीं हैं। फिर भी समय-समय पर प्रधान-मन्त्री, उप-प्रधान-मन्त्री, तथा अन्य व्यक्तियों के महत्व-पूर्ण भाषण सुनाये जाते रहे हैं। इंडोनेशियन कान्फ्रेंस और महात्मा गान्धी की मृत्यु के वर्ष-दिन के अवसर पर, तथा इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर भी, आल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम लिए गये और सुनाये गये।

o–o–o–o

पुनर्वास और जीविका का प्रबन्ध

पुनर्वास और जीविका विभाग १६४५ में इसलिये खोला गया था कि युद्ध के बाद सेना से अलग किये हुए सैनिकों तथा अन्य कर्मचारियों के पुनर्वास की समस्या को सुलझाये और उन्हें नागरिक जीवन में खपाने प्रबन्ध करे। इस विभाग को पिछले छः महीनों में बहुत बड़ी सहायता सरक्षक गवर्नमेंट के इस निश्चय से मिली कि, सेक्रेटेरियट को छोड़ कर, सरकारी विभागों के प्रत्येक केन्द्रीय कार्यालय में जितनी भी नई नियुक्तियां की जायें, वे सब जीविका-विनिमय-कार्यालयों (Employment Exchanges) के द्वारा की जायें। इन कार्यालयों का उपयोग गवर्नमेंट ने तो किया ही, अनेक औद्योगिक फर्मों और अन्य नागरिकों ने भी नई नियुक्तियों के लिये इनसे परामर्श लिया। जीविका खोजने वाले व्यक्तियों ने भी इन कार्यालयों

से लाभ उठाया। इनकी सहायता से ३५ प्रतिशत उम्मीदवारों को नौकरियां मिल गईं। इन कार्यालयों को ट्रेनिंग और काम सीखने की योजनाओं से, जिनके कारण चतुर कारीगरों और काम करने वालों की कमी नहीं होने पाती, बहुत सहारा मिलता है। इस प्रकार यह कार्यालय, जीविका चाहने वालों के लिये भी उपयोगी हैं, और उन जीविका देने वालों के लिये भी, जिन्हें कुशल काम करने वालों की आवश्यकता है।

जीविका-विनिमय के तीन कार्यालय खोले गये हैं:-एक प्रादेशिक कार्यालय हैदराबाद में, और एक-एक उप-प्रादेशिक कार्यालय वरंगल तथा औरंगाबाद में। यह कार्यालय सेना से अलग किये हुए सैनिकों तथा अन्य काम करने वालों की जीविका और पुनर्वास का प्रबन्ध करने के लिये खोले गये थे, किन्तु अब इनके द्वारा सैनिक अथवा नागरिक, सभी जीविका-हीन व्यक्तियों को यथावश्यक सहायता दी जाती है।

पिछले छः महीनों में सेना से अलग किये हुए व्यक्तियों में से ४६५ कारीगरों के नाम हैदराबाद के कार्यालय में दर्ज किये गये थे, जिनमें से ३७० को विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी कामों पर नियुक्ति के लिये प्रस्तावित किया गया। नागरिकों में से २५० कारीगरों के नाम दर्ज किये गये, और इनमें से २०० की सिफ़ारिश की गई, जिसके आधार पर ५० व्यक्तियों को जीविका मिल गई।

पुनर्वास और जीविका के विषय में गवर्नमेंट को परामर्श देने के लिये, उपर्युक्त तीनों कार्यालयों से सम्बन्धित परामर्श-समितियां बनाने का भी निश्चय किया गया है।

टेक्निकल तथा अन्य कामों की ट्रेनिंग देने के लिये बनाई हुई अनेक योजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इनमें से भिकनूर-शिक्षण-केन्द्र की योजना विशेष उल्लेख-योग्य है, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष १,२०० व्यक्तियों को २० विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा दी जायगी। शिक्षा पाने वालों को, मुफ़्त भोजन और निवास के अतिरिक्त, १० रु० प्रतिमास की वृत्ति भी दी जायगी।

४६,००० रु० के व्यय की एक अन्य योजना पर गवर्नमेंट विचार कर रही है, जिसके अनुसार, ऐसी ५० स्त्रियों के लिये विभिन्न विभागों और संस्थाओं से सम्बन्धित उपयोगी व्यवसायों की शिक्षा का प्रबन्ध किया जायगा, जो पहले सेना के किसी विभाग में नौकर थीं और अब जीविका-हीन हैं।

एक अन्य योजना के अनुसार २६० व्यक्तियों को स्थानीय मिलों में बुनाई-कताई के व्यवसाय की ट्रेनिंग दी जायगी। इस योजना में ३५,८८८ रु० का वार्षिक तथा ४,००० रु० का प्रारंभिक व्यय होगा, और यह दो वर्षों में पूरी होगी।

अतिरिक्त-शिक्षा की योजना का काम एक निर्वाचन-परिषद् को सौंप दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि सेना से अलग किये हुए व्यक्तियों और उनके आश्रितों के लिये अतिरिक्त-शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय, और उन्हें इस सम्बन्ध में आर्थिक सहायता तथा अन्य सुविधायें दी जायें।

पुनर्वास और जीविका-विभाग के अध्यक्ष सेना से अलग किये हुए लोगों को निम्नलिखित विषयों में यथाशक्ति सहायता देते हैं:—सैनिकों की पेंशनें तथा प्राप्तव्य वेतन आदि, भूमि-सम्बन्धी विवाद, शिक्षा की सुविधायें, पदवृद्धि, तबादला, व्यवसाय की सुविधायें, जीविका सम्बन्धी सुविधायें, निवास का प्रबन्ध, चिकित्सा का प्रबन्ध, इत्यादि। पिछले छः महीनों में इन विषयों से सम्बन्धित २०० से ऊपर मामलों को सुलझाया जा चुका है।



आसफिया स्टेट लाइब्रेरी (सरकारी पुस्तकालय)।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान की 'केन्द्रीय प्रयोगशाला' एक ऐसी संस्था है, जिसके व्यय और प्रबन्ध का पूरा भार हैदराबाद गवर्नमेंट उठाती है। यह प्रयोगशाला रियासत की वैज्ञानिक-परीक्षण-शाला भी है और अनुसन्धान-शाला भी। यहां सरकारी विभागों और जनता, दोनों के लिये विश्लेषण का काम किया जाता है। पिछले छः महीनों में इस प्रयोग-शाला में विभिन्न वस्तुओं के ३८ नमूनों का परीक्षण किया गया। अनुसन्धान का काम, 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परामर्श-परिषद्' की विभिन्न अनुसन्धान-समितियों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। केन्द्रीय प्रयोगशाला आम जनता को, उद्योग-धन्धे चलाने वालों को, और गवर्नमेंट के विभागों को टेकनिकल सहायता और परामर्श

भी देती है। उद्योग-धन्धे चलाने वालों को औद्योगिक फ़ेलोशिप योजना के अनुसार, एक विशेष सुविधा यह भी दी गई है कि वे केन्द्रीय प्रयोगशाला को आवश्यक व्यय देकर अपनी उद्योग-सम्बन्धी समस्याओं के विषय में गवेषणा करा सकते हैं।

फ़सल की हानि के प्रतिकार, और उपज की वृद्धि के साधन—यह दो प्रश्न ऐसे हैं, जिन्हें एक सामान्य किसान सबसे अधिक महत्त्व देता है। इसलिये केन्द्रीय प्रयोगशाला के कार्य-क्रम में, कम दाम की कीट-नाशक दवाइयों और स्थानीय वस्तुओं से बने हुए, सस्ते, खाद की तैयारी का काम प्रमुख स्थान पर रक्खा गया है। प्रयोगशाला ने तिलों से एक शक्तिशाली कीट-नाशक औषध तैयार की है, जिसका नाम 'सीसेमिम' (Sesamim) रक्खा गया है। सीताफल के बीजों से निकाले हुए तेल में भी कीड़ों को मारने की शक्ति पाई गई है। सीताफल हैदराबाद में बहुतायत से पैदा होता है। इसके बीजों को, अनुपयोगी होने से, फेंक दिया जाता है। इन बीजों का तेल बड़ा विषैला होता है, और इसकी गन्ध से ही बन्दगोभी के कीड़े भाग जाते हैं।

केन्द्रीय प्रयोगशाला ने रियासत में पाई जाने वाली एक धातु से पोटाश का खाद भी तैयार किया है। भाप से उबाले हुए हड्डी के चूर्ण के रूप में एक अन्य खाद तैयार किया गया है, जो अच्छे से अच्छे फ़ॉस्फ़ेट के समान उपयोगी है। इस खाद के बनाने में, गौण उपज के रूप में, एक प्रकार का गोंद भी निकल आता है। यह कीट-नाशक औषधें और खाद यदि बड़े परिमाण पर बनाये जायें तो हैदराबाद के किसानों को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है।

व्यापार और व्यवसाय की उन्नति के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि माल को लाने और भेजने का प्रबन्ध मामूली व्यय से और शीघ्रता के साथ किया जा सके। इस प्रकार का प्रबन्ध करना हैदराबाद के लिये एक बड़ी कठिन समस्या है, क्योंकि यहां मोटरों में जलाने के लिये तेल आदि की कमी है। प्रयोगशाला ने रियासत में बहुतायत से मिलने वाले मूंगफली के तेल और अलकोहल (Alcohol) से एक ऐसा मिश्रण तैयार किया है, जो डीज़ल तेल (Diesel Oil) का काम देता है। यह मिश्रण सरकारी बसों में काम में लाया जा चुका है।

रियासत में मिट्टी के तेल की भी बहुत कमी है—यहां प्रतिमास ४५,००० से अधिक कनस्तर नहीं आते। इस कमी को पूरा करने के लिये मूंगफली के तेल से गैस तैयार की गई है, जिसका उपयोग मिट्टी के तेल की जगह पर किया जा सकता है।

हैदराबाद तिलहन (Oilseeds) की भारी उपज के लिये सुप्रसिद्ध है, विशेष कर रेंडी और मूंगफली की उपज के लिये। इसलिये यह आवश्यक है कि हैदराबाद के औद्योगिक विकास का प्रधान साधन इन्हीं को बनाया जाय। गलाये हुए मूंगफली के छिलके के अर्क से पांच उपयोगी वस्तुएं तैयार की गई हैं—सिरके का अम्ल (Acetic Acid), मेथिल अलकोहल (Methyl Alcohol), जल उठाने वाली गैसें, कोलतार और कोयला। रेंडी के तेल से प्रयोग-शाला ने एक चिकना करने वाला तेल (Lubricating Oil) तैयार किया है, जिसे खनिज तेल के बदले, भाप के सिलेंडरों के लिये काम में लाया जा सकता है।

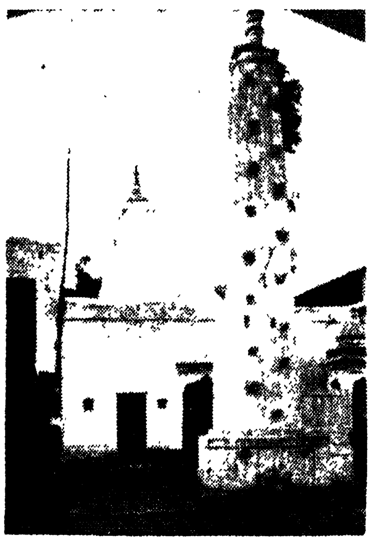
केन्द्रीय प्रयोग-शाला ने मकान बनाने की वस्तुओं पर भी ध्यान भी दिया है। गोदावरी प्रदेश में पाये जाने वाले चूने के पत्थर और रेत से ऐसी ईंटें तैयार की गई हैं, जो साधारण ईंटों से आठगुनी अधिक पक्की और स्थायी हैं।

हड्डियों से कई तरह की खाने योग्य जिलेटिन (Gelatine) भी तैयार की गई है।

रियासत में पाये जाने वाले केरैमिक (Ceramic) द्रव्यों (बर्तन बनाने के उपयुक्त मिट्टी आदि) की यथावत् परीक्षा की जा रही है, जिससे केरैमिक तथा कांच के उद्योग के लिये इनकी उपयोगिता का ठीक पता लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित विषयों पर भी अनुसंधान किये जा रहे हैं :– मूंगफली के छिलकों से कोयला तैयार करना; औद्योगिक परिमाण में 'फलों की शकर' बनाना; मोटर-गाड़ियों के गद्दों के लिये, न . जलने वाला कपड़ा बनाना; Methyl Iodide और Ethyl Iodide जैसे उत्कृष्ट रासायनिक पदार्थ कम व्यय में तैयार करना; और हाथ से बनाये जानेवाले काग़ज़ के लिये सस्ता 'माण्ड' या लेई (Pulp) बनाना।

ज़िले

L. B. S. National Academy
of Administration, Mussoorie
Acc No. 12C167



आदिलाबाद ज़िले में माहूर का दत्तात्रेय का मन्दिर, जो इतिहास में प्रथम बार हरिजनों के लिए २३ जनवरी १९४९ को खोला गया।

आदिलाबाद

आदिलाबाद रियासत का सब से बड़ा ज़िला है। सिविल शासक-दल ने इस ज़िले में, रजूरा के पास, १६ सितम्बर, १९४८ को प्रवेश किया था, किन्तु वह पूरे ज़िले में, धीरे-धीरे सितम्बर के अन्त तक फैल पाया, और केन्द्र में तो ठीक ३० सितम्बर को पहुंच पाया। इसका कारण यह था कि ज़िला बहुत बड़ा है – इसमें दस तहसीलें है – और फिर यहां यातायात के साधन बहुत कम हैं।

सिविल दल तुरन्त काम में जुट गया। रज़ाकार या अन्य – सभी गुंडों का यथोचित प्रबन्ध किया गया। गड़बड़ के दिनों में लूटा हुआ लगभग तीन लाख रुपये का माल बरामद किया गया और इसका अधिकांश असल मालिकों को लौटा दिया गया।

आदिलाबाद ज़िला इस विषय में भाग्यशाली है

कि यहां "कम्यूनिस्ट" गुंडों की समस्या नहीं है। फिर भी सिविल दल इस सम्बन्ध में निश्चिन्त नहीं था। पड़ोस के ज़िलों में "कम्यूनिस्ट" मौजूद थे, और उनका दमन किया जा रहा था। इन "कम्यूनिस्टों" के वहां से भाग कर आदिलाबाद ज़िले में फैल जाने का डर था, इसलिये ज़िले की सीमाओं पर निरन्तर पहरा रखना पड़ा। इसका फल यह हुआ कि "कम्यूनिस्ट" गुंडे आदिलाबाद में नहीं घुस सके, और, साथ ही, पड़ोसी ज़िलों में उनके पकड़े जाने में भी सुविधा हुई।

अन्न

यथावश्यक अन्न-संचय का निश्चित प्रबन्ध, और अन्न के उचित रीति से विभाजन की व्यवस्था—इन दोनों बातों पर ज़िले के अधिकारियों ने सबसे पहले ध्यान दिया। अन्न का जो स्टाक मौजूद था, उसे लापरवाही के साथ अरक्षित दशा में पड़ा हुआ छोड़ दिया गया था। बहुत सा अन्न नष्ट हो चुका था, और कुछ अन्न लूट भी लिया गया था। इस स्टाक की रक्षा का प्रबन्ध तुरन्त किया गया।

ज़िले के कुल स्टाक की जांच करने पर पता चला कि अन्न आवश्यकता से कहीं कम है। पूरे ज़िले में एक भी गोदाम ऐसा नहीं था जो ठीक ढंग से बनाया गया हो, और जिसे सुरक्षित कहा जा सके। अन्य प्रबन्ध भी बिलकुल गड़बड़ था। यह सब होते हुए भी सिविल अधिकारियों ने, गोदामों का निरन्तर निरीक्षण और सञ्चय-व्यवस्था की कठोरता से जांच करके, अन्न की स्थिति बहुत कुछ संभाल ली। नये गोदाम बनवाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। स्टाक की दशा भी क्रमश: सन्तोष-जनक होने लगी। इस बार की ख़रीफ़ में जुवार की फ़सल बहुत अच्छी होने की आशा थी, इसलिये अन्न के विषय में विशेष चिन्ता करने का कोई कारण नहीं दीख रहा था। किन्तु दुर्भाग्यवश, समय के बाद होने वाली भारी वर्षा से ८० प्रतिशत से भी अधिक फ़सल नष्ट हो गई।

इस प्रकार एक ही दिन में अन्न की स्थिति बिगड़ गई। फिर भी ज़िले के अधिकारियों ने यथाशक्ति प्रयत्न करके व्यवस्था को संभाले रक्खा है।

अधिकारियों को अन्न-संग्रह के काम में सबसे अधिक सफलता मिली है। फ़सलें ख़राब हो जाने पर भी अन्न का संग्रह अच्छे परिमाण में किया जा सका है, जो इस प्रकार है:—

ख़रीफ़ जुवार	४०,३८५ मन
'सूखे' धान	१७,४४८ मन
'गीले' धान	५४,६०१ मन

रबी जुवार की वसूली का काम प्रारम्भ हो चुका है, और आशा की जाती है कि अगले कुछ सप्ताह में काफ़ी परिमाण में जुवार इकट्ठी की जा सकेगी।

अन्न-विभाजन के प्रबन्ध पर भी ध्यान दिया गया, और उसमें अनेक सुधार किये गये। प्रत्येक तालुका के केन्द्र में अन्न-विभाजन की समुचित व्यवस्था की जा चुकी है। ज़िले के भीतरी भागों में अभी अन्न की कमी नहीं है, किन्तु इसकी आशंका है कि 'कमी के महीनों' (मई—नवम्बर) में देहाती-प्रदेशों के लिये अन्न की आंशिक व्यवस्था करना आवश्यक होगा। इस संबन्ध में अपेक्षित तैयारी की जा चुकी है, और आवश्यकता पड़ते ही उचित प्रबन्ध किया जा सकेगा। कमी वाले प्रदेशों में सस्ते भाव पर अन्न बेचने वाली तीन दूकानें खोल दी गई हैं।

आशा की जाती है कि अधिकारियों की सावधानी और सतर्कता के फलस्वरूप यह वर्ष बिना किसी विशेष कठिनता के पार हो जायगा।

पीड़ितों की सहायता

जिन लोगों को गड़बड़ के कारण सहायता की आवश्यकता थी, उनकी दो श्रेणियां थीं —(१) पुलिस-कार्यवाही के पहले के पीड़ित, और (२) पुलिस-कार्यवाही के बाद के पीड़ित। पहली श्रेणी में इसलापुर और उसके आस-पास के १३ गांवों के निवासी थे, जिनके भाग जाने के बाद इन गांवों को रज़ाकारों ने नष्ट कर दिया था। अक्टूबर के अन्त तक इन गांवों के सब निवासी, जिनकी संख्या लगभग ५,००० थी, अपने-अपने घरों को लौट आये थे। किन्तु उनकी दशा अत्यन्त दयनीय थी। बहुत से मकान तो रहे ही नहीं थे, और जो खड़े रह गये थे, वे भी बहुत-कुछ टूटी-फूटी दशा में थे। खेतों में घास-फूस खड़े थे। किसी गांव वाले के पास पैसा नहीं था। अनेक परिवार, जीविका उपार्जन करने वालों के न रहने से, आश्रय-हीन हो गये थे।

परिस्थिति ऐसी थी कि इन लोगों को उदारता-पूर्वक और अविलम्ब सहायता दिया जाना आवश्यक था। जिले के अधिकारियों ने पुनर्वास-विभाग के सहयोग से इन पीड़ितों को आर्थिक तथा अन्य सब तरह की सहायता और सुविधा पहुंचाई। सस्ते भाव पर अन्न बेचने वाली एक दूकान खोल दी गई। यह दूकान अब तक ४,५०० मन अन्न सस्ते भाव पर बेंच चुकी है। निर्धनों को मुफ्त अन्न बांटने के लिये एक स्थानीय समिति भी बनाई गई, जिसने लगभग ६०० मन अन्न लोगों में बांटा। ५५६ किसानों में तक़ावी बांटने के लिये १,३७,०३५ रु० स्वीकृत किया गया, और अन्य २०२ लोगों की सहायता के लिये २२,२८५ रु०। ५,००० रु० से भी अधिक मूल्य का कपड़ा १,०२६ निराश्रितों को मुफ्त बांटा गया। १०,००० रु० का कपड़ा कंट्रोल-दर से बेचा गया। मकान बनाने के लिये लकड़ी तथा अन्य सामान मुफ्त बांटा गया। ज़मीन का लगान माफ़ कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

इसलापुर के काण्ड का प्रभाव पड़ोस के किनवत तालुका के छः गांवों पर भी पड़ा। इन गांवों के निवासी डर कर भारत-संघ के प्रदेश में भाग गये। बाद में उनके घरों को रज़ाकारों ने तथा अन्य गुंडों ने लूट लिया। पुलिस कार्यवाही के बाद जब यह लोग अपने गांवों को वापस लौटे तो उनकी परिस्थिति वही थी, जो उनके पड़ोसी इसलापुर निवासियों की। इन्हें सहायता देने के लिये भी एक सस्ते अन्न की दूकान खोली गई, जिसने ५०० मन जुवार बांटी। किसानों को तकावी में १५,००० रु० बांटा जा चुका है। ज़मीन का लगान भी माफ़ कर दिया जायगा।

पुलिस कार्यवाही के तत्काल बाद, और इसके पहले कि सिविल शासन की पुलिस को जिले के भीतरी भागों में पहुंचने का समय और अवसर मिल सके, किनवत तालुका के सिन्धखेड़ प्रदेश में, और निर्मल तालुका के पिपरी प्रदेश में कुछ गड़बड़ें हो गई। इन दोनों जगहों में बहुसंख्यक सम्प्रदाय की बदला लेने की भावना के कारण कुछ मुसलमानों को विपत्ति का सामना करना पड़ा। ज़िले के अधिकारियों ने गड़बड़ें करने वालों के विरुद्ध कठोर उपायों से काम लिया और शीघ्र ही शांति स्थापित कर दी। इस गड़बड़ में जिन लोगों को हानि पहुंची थी, उनके लिये सहायता का प्रबन्ध किया गया। लूटे हुए सामान का ७० प्रतिशत अंश असली मालिकों को वापस दिला दिया गया। मुफ्त अन्न और कपड़ा तथा तकावी भी बांटे गये। ५४ मुस्लिम परिवारों के लिये पेंशनें स्वीकृत की गई।

मिलिटरी गवर्नर के शरणार्थी-सहायता-फंड के लिये इस ज़िले से १४,००० रुपया इकट्ठा किया गया है, जिसमें सिंगरेनी (बेलमपल्ली) की कोयले की खान से मिला हुआ ५,००० रुपया भी सम्मिलित है।

यातायात के साधन

आदिलाबाद ज़िले का क्षेत्रफल ७,००० वर्ग मील

से भी अधिक है, किन्तु यातायात का लगभग एकमात्र साधन सड़कें हैं। ज़िले का केन्द्र तक सब से पास के रेल्वे स्टेशन से १० मील दूर है। सब तालुकों के केन्द्र भी सरकारी बसों के द्वारा एक दूसरे से सम्बद्ध नहीं हैं। दो तालुके, किनवत और उतनूर, ज़िले के अन्य भागों से बिल्कुल कटे हुए हैं, क्योंकि यहां पहुँचने के लिये किसी तरह का व्यवस्थित प्रबन्ध नहीं है। अब किनवत और आदिलाबाद तथा उतनूर और आदिलाबाद के बीच में नियमित बसें चालू कर दी गई हैं। इस प्रदेश की जनता को इस सुविधा की बहुत दिनों से आवश्यकता थी। आदिलाबाद और पंढरकौड़ा (बरार) के बीच भी एक बस चालू की गई है। आदिलाबाद के दूकानदार अपना सामान पंढरकौड़ा से ही ख़रीद कर लाते हैं। किन्तु यह प्रबन्ध कुछ ऋतुओं में ही काम दे सकता है, क्योंकि पेनगंगा नदी पर कोई पुल नहीं है और इस नदी को सब ऋतुओं में पार नहीं किया जा सकता। फ़िलहाल यह व्यवस्था की गई है कि प्रतिवर्ष मानसून के बाद एक अस्थायी पुल बना दिया जाया करे। अगले वर्ष इस प्रकार का पुल बन जाने पर आदिलाबाद और पंढरकौड़ा के बीच यातायात की सुविधा, वर्षा के चार महीनों को छोड़ कर, पूरे साल मिल सकेगी।

मुदखेड़ और आदिलाबाद के बीच रेलवे लाइन बनाने का काम फिर प्रारम्भ किया गया है और यह काम बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है। लाइन पूरी हो जाने पर ज़िले के पश्चिमी तालुकों में, जो वर्षा के कारण चार महीनों के लिये शेष प्रदेशों से अलग हो जाते हैं, आना-जाना सुगम हो जायेगा, जिसका फल यह होगा कि इन तालुकों को आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभ पहुंचेगा, क्योंकि यहां होने वाली कपास, दालें, तिलहन और जंगलों की पैदावार बड़े बाज़ारों में सरलता से भेजी जा सकेंगी।

हरिजन-हित

इन सब कार्यों का भार होते हुए भी ज़िले के अधिकारी समाज-हितकारी कार्यों के लिये अपना कुछ न कुछ समय देते रहे हैं। जनवरी १९४९ में जब ज़िले के सिविल शासक माहुर गये तो उन्होंने वहां के सुप्रसिद्ध मन्दिर के महन्त को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वे अपने मन्दिर को हरिजनों के लिये खोल दें। फलतः २३ जनवरी को प्रातःकाल हज़ारों हरिजन भक्तों ने, स्वयं महन्तजी के नेतृत्व में, मन्दिर में प्रवेश किया और दत्तात्रेय भगवान् के दर्शन किये। इस समारोह में उच्च जाति के हिन्दुओं ने, और यहां तक कि मुसलमानों ने भी, सक्रिय भाग लिया। मन्दिर के इतिहास में पहली बार भगवान् की प्रार्थना हरिजनों और ब्राह्मणों ने एक स्वर से की।

ज़िले में, विशेष कर चिन्नूर तालुका में, हरिजनों की उन्नति का काम बड़े उत्साह के साथ किया जा रहा है। इस तालुका में हरिजनों के लिये चार स्कूल खोले जा चुके हैं—चिन्नूर में, भीमारम में, शतपल्ली में और गोल्लापल्ली में। जिनारम में हरिजनों के लिये एक स्थायी विद्यालय-भवन बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास अभी कुछ दिन पहले सिविल-शासक ने किया था। भवन बनाने का काम श्री० नरहर राव रेड्डी को सौंपा गया है, जो इस गांव के एक प्रतिष्ठित किसान और जंगल के ठेकेदार हैं।

ज़िले भर में वयस्कों के लिये शिक्षा-केन्द्र खोले जा रहे हैं। चिन्नूर में चार, निर्मल में एक, और किनवत में एक शिक्षा-केन्द्र खोले भी जा चुके हैं। इन केन्द्रों से बहुत से लोग लाभ उठा रहे हैं।

लक्सतीपेट की हरिजन बस्ती, जो हाल में आग लग जाने से नष्ट हो गई थी, क़स्बे के एक अन्य भाग में आदर्श बस्ती के रूप में फिर से बसाई जा रही है। इसमें आग से बचने के लिये पूरा प्रबन्ध किया गया है। झोंपड़ियां बनाने के लिये हरिजनों को सब तरह की सुविधायें दी जा रही हैं। बस्ती के तैय्यार होने में दो महीने से अधिक नहीं लगेंगे।

जिले के आदिवासियों की ओर भी आवश्यक गान दिया जा रहा है। पिछली जनवरी में केसलापुर गोंडों का वार्षिक मेला हुआ था। इस मेले में जो कानें लगाई गई थीं, उन से नाममात्र का महसूल लिया गा था। महसूल की आय उच्च शिक्षा पाने वाले गोंड विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने में खर्च की गई। यह निश्चय किया गया है कि अगले वर्ष से मेले की दूकानों पर लगाये हुए महसूल की दर क्रमशः बढ़ाई जायगी, और इस प्रकार अधिक आमदनी होने पर छात्रवृत्तियों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी।

—०—०—

अतराफ़े-बल्दा
और
बाग़ात
(अब ज़िला हैदराबाद)

प्रारम्भ में सिविल शासक-दल ने केवल बाग़ात-ज़िले का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था, क्योंकि अतराफ़े-बल्दा, जिसे अब एक नया ज़िला बना दिया गया है, उन दिनों अधिकांश में सर्फ़े-ख़ास (निज़ाम की निजी जागीर) का एक भाग था। अतराफ़े-बल्दा का प्रबन्ध १६ .फ़रवरी १६४९ को सिविल शासक के हाथ में आया।

सिविल शासक और उनके सहकारियों ने गांव-गांव में दौरे किये, और किसानों से मिल-जुल कर उनके कष्टों और असुविधाओं का पता लगाया, तथा जहां तक सम्भव हुआ, उनकी सहायता की। गाँव के लोगों का डर दूर करने और साहस बढ़ाने के लिये पुलिस-पार्टियां भेजी गईं, और कई पुलिस-स्टेशनों को, जो पुलिस-मैनों के भाग जाने से .ख़ाली पड़े हुए थे,

फिर से व्यवस्थित कर दिया गया। जो स्कूल बन्द हो गये थे, उन्हें फिर से चालू किया गया। स्थान-स्थान पर आम सभायें की गई और गांव वालों से कहा गया कि वे गांव छोड़ कर भागे हुए लोगों से अपने-अपने घर लौट आने का आग्रह करें, क्योंकि अब परिस्थिति सुधर रही थी और रक्षा का आवश्यक प्रबन्ध किया जा चुका था। नवम्बर, १९४८ के अन्त तक वे सब परिवार, जो आत्म-रक्षा के लिये भाग गये थे, अपने-अपने गांवों को लौट आये, और हिन्दू तथा मुसलिम पहले की तरह मिल-जुल कर शांति का जीवन बिताने लगे।

लगभग १५ दिसम्बर तक दोनों ज़िले "कम्यूनिस्टों" के उपद्रवों से मुक्त हो गये। किन्तु इन्हीं दिनों में, नलगुण्डा ज़िले की सीमा पर स्थित कुछ गांवों से इक्के-दुक्के उपद्रवों के समाचार आने लगे। नलगुण्डा में "कम्यूनिस्टों" के दमन के लिये जो कार्यवाही की जा रही थी, उसके कारण यह लोग नलगुंडा ज़िले को छोड़ कर धीरे-धीरे अतराफ़े-बल्दा और बाग़ात में आ गये, और इनके उपद्रव बढ़ने लगे। अतराफ़े-बल्दा के शरक़ी (पूर्वी) और शुमाली (दक्षिणी) तालुक़ों में, तथा बाग़ात के इब्राहीमपटन तालुक़े में उपद्रवों का वेग अधिक बढ़ा। पुलिस ने इस परिस्थिति का प्रतिकार करने के लिये यथाशक्ति प्रयत्न किया और गुंडों के छिपने की जगहों पर छापे मार कर उनमें से १५० को पकड़ लिया। नये पुलिस-स्टेशन खोले जा रहे हैं, और विशेष स्थानों पर पुलिस-पार्टियां तथा सैनिक-पार्टियां नियुक्त कर दी गई हैं।

अन्न

ख़रीफ़ की फ़सल नष्ट हो जाने से, जुवार की कमी के कारण अन्न की स्थिति बिगड़ गई। जनवरी, १९४९ में बाग़ात ज़िले में अन्न-कर की वसूली के लिये बहुत-कुछ प्रयत्न किया गया, और उसके फल-स्वरूप ८,३३० मन धान जमा हुए। अतराफ़े-बल्दा में अन्न-कर की वसूली पर पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया गया था, इसलिये यहां अन्न-संग्रह के लिये विशेष प्रयत्न करना आवश्यक है। आशा की जाती है कि इन प्रयत्नों में सफलता मिलेगी। यह भी आशा है कि अप्रैल-मई तक कटने वाली तबी की फ़सल इस बार काफ़ी अच्छी होगी। किन्तु यदि यथावश्यक परिमाण में जुवार न मिली, तो अन्न की स्थिति में विशेष सुधार नहीं हो सकेगा। कुछ गांवों में ठीक दाम पर सामान बेचने वाली दूकानें खोली गई हैं। नमक, दियासलाई, मिट्टी का तेल, कपड़ा इत्यादि वस्तुओं की पहले बहुत कमी थी; अब इनके मिलने में विशेष कठिनता नहीं होती।

बाग़ात के ज़िले में ज़मीन के लगान की वसूली अच्छी हुई। सिविल अधिकारियों ने वसूली के प्रबन्ध के लिये उपयुक्त स्थानों पर कई केन्द्र खोले, और इस दिशा में यथाशक्ति प्रयत्न किया। अतराफ़े-बल्दा और सर्फ़े-ख़ास में लगान-वसूली के काम पर किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। यह प्रदेश अब दीवानी में आ गये हैं। किन्तु पिछले अधिकारियों की लापरवाही के कारण इसका ठीक-ठीक पता लगाना भी कठिन है कि किस पर कितना लगान चाहिये, कितना वसूल हुआ है, और कितना शेष है। फिर भी, जनवरी १९४९ में शरक़ी तालुक़ा से ३०,००० रु० वसूल किया गया।

—o—o—

बिदर

बिदर उन ज़िलों में से एक है, जिन्हें रज़ाकारों के अत्याचारों के कारण सबसे अधिक विपत्तियां उठानी पड़ी थीं। इस ज़िले में .कानून और व्यवस्था का फिर से जमाना एक बड़ी समस्या थी। रज़ाकारों के अत्याचार और लूट-मार की छाप प्रत्येक गांव पर थी, और शासन का काम बिल्कुल बन्द पड़ा था। हिन्दू और मुसलिम, दोनों में विश्वास की भावना उत्पन्न करना, तथा रज़ाकारों द्वारा सताये हुए हिन्दुओं की बदला लेने की प्रवृत्ति को रोकना आवश्यक था।

सिविल शासक-दल ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिये एक व्यवस्थित योजना बनाई। आम लोगों के पास जो हथियार थे, वे ले लिये गये, और समाज को हानि पहुंचाने वाले लोगों का दमन किया गया। जो पुलिस-स्टेशन बन्द पड़े थे, उन पर

भारतीय पुलिस-मैनों की नियुक्ति करके उन्हें फिर से चालू किया गया। धीरे-धीरे कानून, व्यवस्था और विश्वास की जड़ फिर से जम गई।

अन्न

हैदराबाद सहकार-व्यवसाय-संघ (Co-operative Commercial Corporation) के गोदामों की देख-रेख करने वाला कोई नहीं था। साथ ही, इन गोदामों में से अन्न निकालना अत्यन्त आवश्यक था। अन्न समितियां बनाई गईं और उन्हें अन्न बांटने का काम सौंपा गया। बाद में इन समितियों को बढ़ाया गया और अन्न-विभाजन व्यवस्थित रूप से होने लगा।

रज़ाकारों के उपद्रव और असामयिक वर्षा के कारण ज़िले में अन्न की स्थिति बहुत चिन्ता-जनक थी। सैकड़ों की संख्या में आश्रय-हीन, असहाय व्यक्ति चले आ रहे थे, और उन्हें भोजन देना आवश्यक था। लगभग ५०० पल्ला (१५०० मन) अन्न मुफ्त बांटा गया। ज़िले के अधिकारियों के आग्रह पर गवर्नमेंट ने यहां भेजे जाने वाले अन्न का परिमाण १,४५० पल्ला से पहले २,२०० पल्ला और फिर ४,२५० पल्ला कर दिया। इससे स्थिति कुछ सभली। अब गवर्नमेंट इस ज़िले को ८,००० पल्ला अन्न देने लगी है। बिदर नगर तथा आस-पास के १६ गांवों में राशनिंग की व्यवस्था की जा रही है।

ज़िले के सब गांवों को मिट्टी का तेल दिया जाता है, पहले कई गांवों को यह तेल बिलकुल नहीं मिलता था। गवर्नमेंट की आज्ञा के अनुसार सब लोगों के लिये कपड़े का भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

—•—○—

गुलबर्गा

गुलबर्गा भी एक "रज़ाकार-ज़िला" था। अब तक के अत्याचारियों से बदला लेने पर तुले हुए हिन्दुओं को रोकने की समस्या, बिदर की तरह, यहां भी अधिकारियों के सामने थी। किन्तु अधिकारियों ने क़ानून के विरुद्ध काम करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा, चाहे वह हिन्दू हो, या मुसलिम। दोनों सम्प्रदायों के गुंडे गवर्नमेंट की इस नीति को शीघ्र ही समझ गये, और उन्हें निश्चय हो गया कि अब 'वीरता' दिखाने की अपेक्षा समझदारी से काम लेना ही अधिक उचित है—बल्कि इसके अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं है—, और उन्होंने अपनी कुचेष्टायें छोड़ दीं। इसका परिणाम यह हुआ है कि पिछले चार महीनों में न तो उच्छृंखलतापूर्ण क़ानून-भङ्ग हुआ है, और न लूटमार। कचहरियों और पुलिस-स्टेशनों का कार्य यथावत् चल रहा है।

पुलिस कार्यवाही के बाद लौटने वाले शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास की समस्या के विषय में सिविल अधिकारी बराबर सतर्क रहे। शरणार्थियों में अधिकतर किसान थे, उन्हें खेती के काम के लिये तक़ावी दी गई। किसानों तथा अन्य लोगों में अब तक ४,५०,०००, रु० तक़ावी के रूप में बाँटा जा चुका है। हाल में ही, तक़ावी के लिये २,००,००० रु० और स्वीकृत किया गया है।

शरणार्थियों की सहायता के लिये सिविल शासक को २०,००० रु० की रक़म सौंपी गई थी। इसमें से १३,२०५ रु० निराश्रितों को अन्न-वस्त्र देने में व्यय किया गया है। कुछ ऐसे शरणार्थियों को, जिन्हें गड़बड़ के दिनों में घर-द्वार छोड़ देना पड़ा था, आर्थिक सहायता भी दी गई। १५,००० रु० का कपड़ा और कम्बल तालुकों तथा गांवों में मुफ्त बांटे गये, और ५० अनाथ विद्यार्थियों को दस रुपया प्रति-मास छात्र-वृत्ति दी गई। २४१ विधवाओं और अन्य निराश्रितों को वजीफे दिये गये। पुनर्वास-योजना के अनुसार घरेलू उद्योगों की जो व्यवस्था की गई थी, उससे १६५ विधवाओं ने लाभ उठाया। घरेलू उद्योग निम्नलिखित हैं—कताई, निवाड़ बुनना, सूत बटना, और कपड़ों का काट तथा सिलाई।

शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास के सब काम एक ग़ैर-सरकारी समिति के परामर्श से किये जाते हैं, जिसमें कुछ सदस्य गुलबर्गा नगर से लिये गये हैं, और इनके अतिरिक्त कम से कम एक-एक सदस्य प्रत्येक तालुका से लिया गया है। अब तक बहुत-कुछ काम किया जा चुका है, किन्तु अभी निश्चिन्तता से बैठ कर आराम करने का समय नहीं आया है। बीजापुर और शोलापुर से लगे हुए प्रदेशों, तथा ज़िले के उत्तरी पहाड़ी भागों पर अब भी ध्यान देना आवश्यक है।

ज़िले के अधिकारियों ने पिछले चार महीनों का उपयोग शासन-प्रबन्ध को दृढ और व्यवस्थित करने में किया है। लोगों में एक नई भावना और नया उत्साह जागृत किया गया है, और उन्हें अधिकारियों के और भी निकट-सम्पर्क में लाने के लिये प्रत्येक अवसर से लाभ उठाया जाता है।

—o—o—

महबूबनगर

यद्यपि महबूबनगर ज़िले में कोई विकट समस्यायें सामने नहीं आई, और अपेक्षाकृत शान्ति ही बनी रही, फिर भी यहां क़ानून और व्यवस्था की रक्षा करना बच्चों का खेल नहीं था। सिविल शासक और उनके सहकारियों ने बड़ी तत्परता के साथ ज़िले भर का दौरा किया। वे जहां कहीं गये, उनका हार्दिक स्वागत किया गया। लोगों से अपील की गई कि जिस किसी के पास जो कोई हथियार हों, वे उन्हें अधिकारियों के पास जमा कर दें; और सभी सम्प्रदायों के लोगों ने अधिकारियों की बात मान कर हथियार जमा कर दिये। समाज को हानि पहुंचाने वाले जिन व्यक्तियों ने मारकाट या लूट-खसोट मचाना प्रारम्भ किया था, उन्हें तुरन्त पकड़ लिया गया। दो सप्ताह के अन्दर ही पूर्ण शान्ति स्थापित हो गई, और अधिकारियों ने जनता के कष्टों

और असुविधाओं के बारे में पूछताछ करने का काम हाथ में लिया। अब तक जनता को इस बारे में मुंह खोलने तक का अवसर नहीं दिया गया था।

साम्प्रदायिक सद्भावना भी फिर से स्थापित हो गई। कावेरम्पेठ गांव का आंजनेयस्वामी का मन्दिर, जिसे इसी गांव के गुंडों ने दूषित कर दिया था, फिर पुजारियों को सौंप दिया गया। ज़िले में किसी मसजिद को भ्रष्ट नहीं किया गया था। सब त्योहार शांति-पूर्वक मनाये जाने लगे। गड़बड़ के दिनों में बहुत से लोग ज़िले को छोड़ कर चले गये थे, वे सब लौट आये और अपना-अपना काम-धंधा यथोपूर्व करने लगे। पुलिस कार्यवाही के पहले या बाद में, इस ज़िले में लूट-खसोट नहीं मचने पाई।

सिविल शासक-दल के यहां स्थिर हो जाने के कुछ ही दिनों बाद, ५ नवम्बर १९४८ को, मिलिटरी गवर्नर इस ज़िले में आये। सब जगह उनका हार्दिक स्वागत किया गया। नारायणपेठ की जनता ने उन्हें एक चांदी का डिब्बा और एक तलवार भेंट की। इसी बीच में अन्न की स्थिति तेज़ी से बिगड़ने लगी थी, और उसे संभालना आवश्यक था। कंट्रोल उठा लिये जाने से अधिकांश अन्न बाज़ार से गायब हो चुका था। इसलिये कंट्रोल और अन्न-कर फिर से लगाया गया। वर्षा की कमी के कारण ख़रीफ़ और आबी फ़सलें अच्छी नहीं हुई। रबी की फ़सल भी निराशा-जनक ही हुई। इन सब कठिनताओं के होते हुए भी १,६०,६५३ मन अन्न इकट्ठा किया गया। इसमें से ४५,०१७ मन अन्न हैदराबाद को भेज दिया गया। मिट्टी के तेल और कपड़े के विभाजन की उचित व्यवस्था की गई, जिससे दूर-दूर के गांवों में भी लोगों को यह चीज़ें मिल सकें।

उचित दामों पर सामान बेचने वाली ३८ दूकानें, और सस्ते अन्न की १२ दूकानें खोली जा चुकी हैं। फ़ैक्टरियों के प्रबन्धकों से कहा गया है कि वे श्रमिकों के लिये आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध करें। ज़िले और तालुकों की अन्न-समितियों तथा वस्त्र-विभाजन-समितियों में जनता के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया है।

एक बार नलगुंडा ज़िले के कुछ "कम्यूनिस्ट" गुंडों ने महबूबनगर के अमराबाद और कलवाकुर्ती तालुकों में आ जाने का प्रयत्न किया, किन्तु सेना और स्पेशल सशस्त्र पुलिस ने गुंडों के इस प्रयत्न को सफल नहीं होने दिया। गांव की जनता के मन में ऐसी भावना उत्पन्न की जा रही है कि वह स्वयं ही इन गुंडों का तीव्र विरोध करे।

दलित जातियों की हित-रक्षा पर भी यथोचित ध्यान दिया जा रहा है। अपने कष्टों और असुविधाओं के विषय में यह लोग जो शिकायतें अधिकारियों के पास पहुंचाते हैं, उनके बारे में पूरी छानबीन की जाती है, और उन्हें दूर करने का यथासम्भव प्रयत्न किया जाता है।

—o—o—

मेडक

अन्य ज़िलों की तरह मेडक में भी सिविल अधिकारियों के सामने पहला काम यही था कि क़ानून, व्यवस्था और शान्ति को फिर से स्थापित किया जाय। यह काम दो सप्ताह में पूरा हो गया। मिलिटरी गवर्नर ने अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में ज़िले का दौरा किया और विभिन्न स्थानों पर आश्वासन-पूर्ण भाषण दिये। इसका फल यह हुआ कि क़ानून का पालन करने वाले, हिन्दू और मुसलिम दोनों सम्प्रदायों के नागरिकों में विश्वास की भावना को प्रोत्साहन मिला, और साथ ही उन उपद्रवी लोगों की सब आशायें धूल में मिल गईं, जो इस समय की नाजुक परिस्थिति से लाभ उठाने की ताक में थे। सब गांवों में जीवन का क्रम यथापूर्व चलने लगा, और खेती-बारी का काम, जो गड़बड़ के दिनों में बन्द सा हो गया था, फिर उत्साह के साथ किया

जाने लगा। अशान्ति के दिनों में काम की जो हानि हुई थी, उसे पूरा करने के लिये किसानों ने जोतने-बोने के लिये चांदनी रातों तक का उपयोग किया।

लूटी हुई सम्पत्ति, एक के बाद दूसरे गांव से बरामद की गई और असली मालिकों को लौटाई गई। इसके कारण विशेष कर मुसलिमों के हृदय से भय और अविश्वास दूर हुआ, और वे अपने-अपने घरों में फिर से बसने लगे। बरामद करके लोगों को लौटाई हुई सम्पत्ति लगभग दो लाख रुपये की थी।

ज़िले में "कम्यूनिस्ट" गुंडे थोड़ा-बहुत उपद्रव कर रहे हैं, किन्तु इसका उचित प्रतिकार किया जा रहा है। जगह-जगह पर सेना तथा पुलिस का पहरा है, और विशेष स्थानों पर स्पेशल सशस्त्र पुलिस नियुक्त कर दी गई है। इसके अतिरिक्त ज़िले के उच्च अधिकारी उपद्रव के प्रदेशों में बराबर दौरा कर रहे हैं। ज़िले के सिविल शासक और पुलिस सुपरिटेंडेंट भी प्रतिमास इन प्रदेशों का दौरा करते हैं। सुरक्षा-नियमों के अनुसार २१० "कम्यूनिस्टों" को हिरासत में रक्खा गया है।

पीड़ितों के लिये निम्न-लिखित सहायता स्वीकृत की गई है:– तक़ावी में १,३०० रु., २७ व्यक्तियों को दो वर्ष तक मासिक पेंशन देने के लिये प्रतिमास ४३८ रु०, और विशेष आर्थिक सहायता के लिये १५० रु०।

भूमि-सम्बन्धी विवादों का निर्णय शान्ति-पूर्वक किया गया। कुछ हिन्दुओं की ज़मीनें पिछली गवर्नमेंट के दिनों में मुसलिमों को दे दी गई थीं। पुलिस कार्य-वाही के दिनों में मुसलिमों के भाग जाने पर हिन्दुओं ने ज़मीनें अपने अधिकार में कर लीं। इस तरह के सब मामलों की तुरन्त जांच की गई, और न्यायोचित होने पर, मुसलिमों की ज़मीनें उन्हें उसी समय दिला दी गईं। इस प्रकार के अनेक शान्ति-पूर्वक निर्णय पतनचेरू, तेल्लापुर, कोदथनूर, सदाशिवपेठ और निज़ामपुर गांवों में किये गये। जमींदारों और खेतिहर मज़दूरों के बीच मज़दूरी बढ़ाने के सम्बन्ध में झगड़े हो रहे थे। जमींदारों से आग्रह करके मज़दूरी बढ़वा दी गई, और इस प्रकार यह झगड़े भी निबट गये।

अन्न का भाव दिन पर दिन चढ़ता जा रहा था, और जिन लोगों की अपनी ज़मीनें नहीं थीं, उन्हें खाने-पीने का सामान मिलने में बहुत कठिनता हो रही थी। इसलिये ज़िले के सभी बड़े-बड़े क़स्बों में और कमी वाले प्रदेशों में सस्ते भाव पर अन्न बेचने वाली दूकानें खोली गईं, और परिवारों के हिसाब से राशनिंग की व्यवस्था कर दी गई। अब तक गांव वालों को मिट्टी का तेल बिल्कुल नहीं मिलता था – जो तेल ज़िले में आता था, उसे शहर और क़स्बों के लोग ले लेते थे। इसलिये क़स्बों में मिट्टी के तेल का राशनिंग करके बचत की गई, और इस प्रकार से बचाया हुआ तेल गांव वालों को दिया गया। येल्लारेड्डी, सांगारेड्डी और सिद्दीपेठ में इसका भी प्रबन्ध किया गया है कि किसानों तथा अन्य काम करने वालों को खेती के औज़ार आदि सहकार-समितियों के द्वारा मिल जाया करें। समय पर वर्षा न होने से, और असमय पर वर्षा होने से पूरे ज़िले की आबी और ख़रीफ़ की फ़सलों को बहुत बड़ी हानि पहुंची। फिर भी जितने अन्न-कर की मांग की गई थी, उससे २० प्रतिशत अधिक अन्न आबी की फ़सल से, और मांग का ६० प्रतिशत अन्न ख़रीफ़ की फ़सल से वसूल हुआ। इसके अतिरिक्त, गवर्नमेंट जितना धान इस ज़िले से ख़रीदना चाहती थी, उसका भी २५ प्रतिशत अंश सरलता से मिल गया।

ज़िले में सिंचाई की चार योजनायें हैं। कुल मिला कर ७२,८६० एकड़ भूमि ऐसी है, जिस की सिंचाई की जा सकती है। इसमें से २५,४४७ एकड़ भूमि का प्रबन्ध किया जा चुका है। सिंचाई के प्रदेश को अभी ५०,००० एकड़ तक बढ़ाया जा सकता है।

हरिजनों की आवश्यकताओं के विषय में पूरा पता लगाने का विशेष प्रयत्न किया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच-पडताल की जा चुकी है, और आर्थिक सुविधा मिलते ही हरिजनों की उन्नति और समृद्धि के लिये उचित व्यवस्था की जायगी।

नलगुंडा

पिछले महीनों में हैदराबाद के किसी ज़िले के बारे में इतने समाचार प्रकाशित नहीं हुए, जितने इस "कम्यूनिस्ट" ज़िले नलगुंडा के बारे में। इस ज़िले की भूमि को "कम्यूनिस्ट" गुंडों ने निरपराध लोगों के रक्त से रंग दिया है, किन्तु अब सर्वनाश उनके सामने खड़ा है।

नलगुंडा, रियासत के सबसे पिछड़े हुए और उपेक्षित ज़िलों में से है। ज़िले के केन्द्र पर न तो रेल है, और न तार का सम्बन्ध। नवाबशाही के दिनों में जागीरदार ग़रीब किसानों से मुफ्त मज़दूरी भी लेते थे, और नज़राने भी। इस प्रकार के अत्याचारों से पीड़ित और दलित प्रदेश, "कम्यूनिस्ट" गुंडापन के लिये बड़ी उपजाऊ भूमि सिद्ध हुए। बाद में जब रज़ाकार आये और इन दीन-हीन लोगों को सताने लगे, तो "कम्यूनिस्टों" को इसका और भी अच्छा अवसर

मिला कि वे अपने-आप को 'निर्बलों का सहायक' सिद्ध कर सकें। इस अवसर से लाभ उठा कर उन्होंने जनता पर अपना प्रभाव जमा लिया, और कई गांवों में अपने अड्डे बना कर "बराबर की गवर्नमेंट" चलाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने लोगों से टैक्स वसूल किये, ज़मीनों का बंटवारा किया, और "न्याय" का प्रबन्ध किया।

सिविल शासक और उनका दल २० सितम्बर, १६४८ को सूरियापेठ पहुंचे। और उन्होंने सब-एरिया (Sub-Area) कमांडर के परामर्श से ज़िले का शासन अपने हाथ में लिया। सूरियापेठ में सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, और सब काम बन्द पड़े थे। जीवन की आवश्यक वस्तुयें मिलती ही नहीं थीं, और जो कुछ मिलता भी था, उसका दाम पहले की अपेक्षा ४०० से ६०० प्रतिशत तक बढ़ा हुआ था। सिविल शासक ने प्राइवेट व्यापारियों को प्रोत्साहित किया कि वे जनता की आवश्यकता की सब वस्तुए विजयवाडा से मंगायें। इसके लिये उन्हें सब तरह की सुविधा भी दी गई। एक सप्ताह के भीतर ही बाज़ार सामान से भरा हुआ दीखने लगा, और मूल्यों में भी स्थिरता आ गई।

यातायात का प्रबन्ध न होने से, शरणार्थियों को वापस लाने और फिर से बसाने में बहुत बड़ी अड़चनें थीं। गवर्नमट की ओर से यातायात की जो व्यवस्था थी, वह अब लुप्त हो चुकी थी। इसलिये बहुत सी लारियों और बसों का प्रबन्ध किया गया। विजयवाडा-सूरियापेट और सूरियापेठ-खम्मामेठ सड़कें, जो कई जगह टूट गई थीं, अस्थायी रूप से ठीक करा दी गईं। सूरियापेट के सरकारी दफ्तर टूटी-फूटी इमारतों में पड़े हुए थे। इनमें से जो कुछ सामान निकाला जा सकता था, निकलवा लिया गया और इस प्रकार बहुत सा फ़र्नीचर तथा कागजात नष्ट होने से बचा लिये गये। दफ्तरों का काम एक ही सप्ताह में फिर से चलने लगा।

सिविल शासक ने सब-एरिया कमांडर के साथ नलगुंडा, देवरकोंडा और मिरियलगूडा का दौरा किया। सभी जगह गांव वालों ने उनका स्वागत किया। नलगुंडा में कुछ सरकारी दफ्तर लूट लिये गये थे, और उनका बहुत कुछ सामान नष्ट हो गया था। हुज़ूर नगर तालुका का दफ्तर जला दिया गया था। "कम्यूनिस्टों" द्वारा गांवों पर आक्रमण किये जाने और लोगों के मार डाले जाने की भयावह सूचनायें आ रही थीं। भोनगिर और जनगांव पूरी तरह से "कम्यूनिस्ट" गुंडों के अधिकार में थे, क्योंकि इस प्रदेश में अभी तक सेना नहीं पहुँची थी। उपद्रव के सब प्रदेशों में तुरन्त सैनिकों के भेजने का प्रबन्ध किया गया।

सिविल शासक ने परिस्थिति का निरीक्षण करने के बाद अपने अधिकारियों को तालुकों में नियुक्त कर दिया, और स्वयं २६ सितम्बर को ज़िले के केन्द्र में पहुंच गये। रियासत के अधिकारियों और प्रमुख ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों की एक कान्फ्रेंस की गई, जिसमें शासन-सम्बन्धी तात्कालिक समस्याओं पर विचार किया गया। अन्न इकट्ठा करने का तुरंत प्रबन्ध किया गया, और दफ्तरों को चालू किया गया।

"कम्यूनिस्ट"

प्रारम्भ में "कम्यूनिस्ट" बड़े शक्तिशाली थे। वे स्टेट-कमिटी के मेम्बर, रविनारायण रेड्डी, बद्दम एल्ला रेड्डी, मक़दूम मुहीउद्दीन, और राजाबहादुर गौड के नेतृत्व में काम करते थे। इन नेताओं ने पूरी रियासत का संघटन करके उसे प्रान्तों तथा केन्द्रों में विभाजित किया था; ज़िलों, तालुकों और गांवों में अपने व्यवस्थापक नियुक्त किये थे; सेना-दल, गुरिल्ला-दल और बाल-दल बनाये थे; और प्रोपेगैंडा करने के लिये स्त्रियों का एक विशेष दल बनाया था। गांव के लोग इन गुंडों से बहुत डरते थे, और उनकी गति-विधि अथवा छिपने के स्थानों के विषय में सूचना देने का साहस नहीं करते

थे। "कम्यूनिस्ट" गुंडे प्राय: सेना और पुलिस पर गोलियां चलाते थे, बसों को रोक लेते थे, और यात्रियों को लूट लेते थे, तथा उन्हें घोर यन्त्रणायें देते थे।

किन्तु यह दशा प्रारम्भ में थी। तब से अब तक बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। जनता के इन शत्रुओं के चारों ओर डाला हुआ फंदा कसता जा रहा है। सेना और पुलिस के सम्मिलित प्रयत्नों से १,४०० उपद्रवी पकड़े जा चुके हैं, जिनमें निम्नलिखित कु-प्रसिद्ध नेता भी हैं:—

बड्डम एल्ला रेड्डी
अरूटला रामचन्द्र रेड्डी
के० रामचन्द्र रेड्डी
के० राघव रेड्डी
दुड्डियाल सत्ति रेड्डी
नूकल चत्रपति रेड्डी
कोट नारायण
मुरहरि राव
एर्राबोतु रामी रेड्डी
सौरी रेड्डी
रामकृष्ण रेड्डी
मंगा रेड्डी
जानैय्या
चिलकुरि अंजय्या
मुसुक्का शिवा रेड्डी
बुर्रि रामी रेड्डी
पुनचेल्कु लिंगा रेड्डी
नीला विश्वनाथम्
बक्कैय्या
कल्लूरि तिरुपति
जीवरत्नम् रामुलु
जोन्नलगड्डा वेंकट रेड्डी
जे० रंगा रेड्डी
गुर्रम मल्ला रेड्डी
पन्नाल पापि रेड्डी
रामी रेड्डी
लक्ष्मणसिंह
कर्री लिंगा रेड्डी
रीगड्ड नरसिंहा
कोट पापि रेड्डी
कोट कृष्णा रेड्डी
बड्डम रामी रेड्डी
डी० मलचेरु
एन्नम् वीरैय्या
गालि वीरैय्या
मुसुकु सत्ति रेड्डी
पी० रामी रेड्डी
के० जगन्मोहन रेड्डी
नल्ला नरसिंहुलु
गोल्ला रामुलू
वाडला बालैया
गरलापति रामी रेड्डी
गरलापति रघुपति रेड्डी
वुर्गु अंजैय्या
पी० रंगा रेड्डी

कोटा नारायण ने, पुलिस द्वारा घेर लिये जानेपर सहायक सिविल शासक के सामने आत्म-समर्पण कर दिया, और लिखित बयान दे दिया कि वह "कम्यूनिस्ट" आन्दोलन को कुत्सित और निन्दनीय मानता है और उससे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करता है। अलवल नर-सिंहा रेड्डी ने, पुलिस द्वारा घेर लिये जाने पर, अपने-आप को गोली मार ली।

निम्नलिखित "कम्यूनिस्ट" नेता पुलिस और सेना से लड़ते हुए मारे गये :—

रौतु नरसैय्या
गोपाल रेड्डी
वीरैय्या

जागीरेड्डिगुडम् का नरसैय्या
रामचन्द्रैय्या
पंगाल लक्ष्मैय्या
जोहन
कोंडाल रेड्डी
सालि वकट नरसिंहा
सीताराम रेड्डी
जेंतर
गंगसानि तिरुमल रेड्डी

निम्नलिखित नेता अभी तक फ़रार हैं:—

भीमा रेड्डी नरसिंहा रेड्डी
चेलिक्कनि तिरुमलराव
बी. येलमंडा
कट्टिकोट नागेश्वरराव
अन्नारेड्डी वेंकट रेड्डी
दायम् राजा रेड्डी
दोड्डा नरसंय्या
लंकल वेंकट रेड्डी
पलुगोटि सीतारामराव
देवुलपल्ली राघवेंद्रराव
बोगम वेंकुरामुलु
कोट वेंकट रेड्डी
अनिबंडा ओंकारम्
मुरलीधरराव
वडलकडि नरहरि
कोट रामी रेड्डी
येर्रंडला नरसैय्या
बक्कैय्या
येर्रा सत्यम्
चिंतलपूडि रामुलू
येल्गुल लिंगा रेड्डी
पल्ली रामचन्द्र रेड्डी
मारम् नारायण रेड्डी
वेंकट नरसिंह रेड्डी

पद्म रेड्डी
कृष्णमूर्ति
कोदंड राम रेड्डी
दुंपला मल्ला रेड्डी
कडवेंडी पापि रेड्डी

ज़िले में अब तक ५० से ऊपर पुलिस की
और स्टेशन खोले जा चुके हैं। प्रत्येक महत्त्वपू
पर सैनिकों की टुकड़ियां नियुक्त की गई हैं। से
पुलिस के प्रयत्नों से ३०,००० रु० का सोन
ज़ेवर और रुपया बरामद किया गया। सैकड़ों
बरामद किये गये, और मालिकों को लौटा दि
जिन पशुओं के मालिकों का पता नहीं चल
नीलाम कर दिया गया, क्योंकि उनके खिलाने
की समस्या बड़ी कठिन थी। इन पशुओं के
२५,००० रु० मिले जो, सरकारी ख़ज़ाने
कर दिये गये। २५,००० रु० की लागत के सो
के ज़ेवर असली मालिकों को लौटाये गये।

कुछ छोटे-छोटे गांवों को छोड़ कर, जह
का उपद्रव जारी है, शेष सब गांवों में अब शां
सुरक्षा की व्यवस्था की जा चुकी है। इसी
जनता के मन में भी "कम्यूनिस्टों" के प्रति
की भावना जागृत हो चुकी है। गांव वाले प्रत्य
चुके हैं कि यह गुंडे कैसे-कैसे अत्याचार कर स
और किस प्रकार पुलिस से सामना होने पर अप
आश्रितों को, जिन्हें वे अब तक बहकाते आ
अपने भाग्य के सहारे छोड़ कर भाग जाते हैं।
का गया हुआ साहस फिर लौट आया है, और
गुंडों को पकड़ने में पुलिस की सहायता कर र
अब गांव के लोग स्वतन्त्रता के साथ घूम-फिर
हैं, और अन्न आदि बाज़ार में बेचने के लिये
सकते हैं। भूमि-कर और अन्न-कर वसूल हो
हैं।

सामान्य प्रगति

भोनगिर, जनगांव, सूरियापेठ, देवरकोंडा मिरियलगूडा, हुजूरनगर और चेरियाल में ग्राम-समितियां तथा नलगुंडा में नगर-समिति बनी हुई थी, किन्तु यह सब निष्क्रिय सी थीं। सिविल दल ने इन्हें व्यवस्थित करके चालू किया। पिछले हिसाब का लगभग २५.००० रु० नागरिकों से वसूल किया गया। नगरों और ग्रामों में सड़कों की मरम्मत का काम किया जा रहा है। सड़कों के किनारे-किनारे वृक्ष लगाये जाने का भी आदेश दिया जा चुका है।

हुजूरनगर का सरकारी औषधालय बुरी तरह तोड़-फोड़ दिया गया था, और उसकी दवाइयां तथा अन्य सामान लूट लिया गया था। इस औषधालय को फिर से चालू किया गया। नलगुंडा के औषधालय तथा अस्पताल की व्यवस्था में भी सुधार किया गया। नलगुंडा, सूरियापेठ और हुजूरनगर के मुसिफों की कचहरियां तथा नलगुंडे के कलेक्टर की कचहरी लूट ली गई थीं, और उनके कागज़ात गायब कर दिये गये थे। इन सब कचहरियों की व्यवस्था संभाल कर इन्हें चालू कर दिया गया है।

तालुकों के केन्द्रों तक में जनता के मनोरंजन के साधनों का अभाव था। सूरियापेठ, मिरियलगूडा, नलगुंडा, भोनगिर, जनगांव, और देवरकोंडा में सिनेमा खोलने के लिये लाइसेंस दिये गये, और इन सब स्थानों में सिनेमा चल रहे हैं। सब सिनेमाओं में समाचारों की फ़िल्में तथा शिक्षा-प्रद फ़िल्में दिखाई जाती हैं।

गान्धी-स्मृति-सप्ताह के अवसर पर अनेक ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें हिन्दू मुसलिम एकता, हरिजनों के उद्धार और निरक्षरता के निराकरण के विषय में भाषण दिये गये। कई स्थानों पर निर्धनों को अन्न-वस्त्र भी बांटे गये। अधिकारियों के सुझाव के अनुसार नलगुंडा, सूरियापेठ, भोनगिर और जनगांव के 'वर्तक-संघों' ने बड़ी-बड़ी रकमें पब्लिक पार्क बनाने, वाचनालय खोलने और पब्लिक रेडियो-सेट लगाने के लिये दी हैं। अबतक १८ रेडियो सेट लगाये जा चुके हैं।

तक़ावी में ५ लाख रुपया बांटा जा चुका है, तथा और ३ लाख की स्वीकृति माँगी गई है। ३३० निराश्रितों के लिये कुल ८,५०० रु० की पेंशनें स्वीकृत की गई हैं, और ५७० व्यक्तियों को विशेष सहायता के रूप में ६,७०० रु० दिया गया है। ६०० निर्धनों को मुफ्त कपड़ा बांटा गया है, और मकान बनाने का बहुत सा सामान भी ग़रीबों को मुफ्त दिया जा रहा है। ६० अनाथ विद्यार्थियों को छात्र वृत्तियां भी दी गई हैं।

शरणार्थी-फंड के लिये ४०,५७० रु० इकट्ठा किया जा चुका है।

ज़िले में अशान्ति का वातावरण रहते हुए तथा फ़सलों के अच्छी न होने पर भी १८,००० पल्ला अन्न इकट्ठा किया जा चुका है। बड़े-बड़े क़स्बों में सस्ती अन्न की दूकानें चल रही हैं। लगान में १३ लाख रु० वसूल हो चुका है।

ज़िले के समस्त हाई स्कूल और मिडिल स्कूल खुले हुए हैं। २५३ प्राइमरी स्कूलों में से १०० स्कूल फिर से खुल गये हैं, और चल रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों के बाद सब स्कूल काम करने लगेंगे।

मार्च तक ज़िले की परिस्थिति इतनी संभल चुकी थी कि अधिकारियों ने एक स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्योग की प्रदर्शिनी का आयोजन किया। प्रदर्शिनी का उद्-

घाटन मिलिटरी गवर्नर ने किया। प्रदर्शिनी के दो प्रधान उद्देश्य थे – "कम्यूनिस्टों" के उपद्रव से मुक्ति पर हर्षोत्सव मनाना, तथा जनता को उचित ढंग से जीवन-यापन की शिक्षा देना। प्रदर्शिनी में ज़िले के लोग सम्मिलित हुए, और उसका आयोजन सफल हुआ।

—•—•—

नांदेड

दूसरे ज़िलों की तरह नांदेड में भी सिविल अधिकारियों का पहला काम उपद्रवियों का दमन करना था। इसकी व्यवस्था के लिये सेना-दलों को कई टुकड़ियों में बांट दिया गया, और ज़िले के विभिन्न स्थानों पर नियुक्त कर दिया गया। २२ सितम्बर को ही नांदेड नगर की परिस्थिति ठीक कर ली गई थी। अब तक उस्मान-शाही मिलें, जो ज़िले का औद्योगिक केन्द्र हैं, बंद पड़ी थीं, और उनमें काम करने वाले मज़दूर बेकार थे। सिविल दल के प्रयत्नों से यह मिलें २३ सितम्बर को तीसरे पहर से फिर चालू हो गईं। स्थानीय बाज़ारों में अन्न का अभाव था, इसलिये ज़िले के भीतरी गांवों से अन्न मंगा कर बाज़ारों का काम चलाने का प्रबन्ध किया गया। दो-तीन दिन के भीतर ही शहर के लोगों को अन्न ख़रीदने की सुविधा हो गई।

अक्टूबर के मध्य तक ज़िले के भीतरी भागों में भी शान्ति और व्यवस्था स्थापित हो गई, और अक्टूबर के अन्त तक किसी प्रकार के उपद्रव का चिह्न तक नहीं रहा। नवम्बर के अन्त तक परिस्थिति इतनी सुधर गई, कि ज़िले में से सेना को हटा लिया गया।

ज़िले की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये यह आवश्यक था, कि व्यापार का काम फिर से चलने लगे। किन्तु इसमें सबसे बड़ी बाधा पैसे की थी। स्टेट बैंक ने १७ सितम्बर से काम करना बन्द कर दिया था, और ज़िले के पिछले अधिकारियों की आज्ञा से बैंक की रियासती करेंसी जला कर नष्ट कर दी गई थी। करेंसी हैदराबाद से मंगाने का तुरन्त प्रबन्ध किया गया, और २७ सितम्बर से बैंक फिर खुल गया।

शुल्क (Customs) विभाग का कोई अधिकारी नांदेड में नहीं था, इसलिये इस विभाग का काम फिर से चालू करने के लिये एक नायब सिविल शासक को नियुक्त किया गया। नायब सिविल शासक ने शुल्क-विभाग के केवल एक क्लर्क की सहायता से, जो ज़िले में मिल गया था, सारा काम संभाला। सिविल अधिकारियों के यह प्रयत्न पूर्णतया सफल हुए। व्यापार का काम फिर से चलने लगा, और अक्टूबर के अन्त तक नये शुल्क-विभाग को चार लाख रुपये की आय हुई।

एक अन्य समस्या यातायात की थी, इस पर भी ध्यान दिया गया। सितम्बर के अन्त तक रेलें यथापूर्व चलने लगीं, और अक्टूबर के पहले सप्ताह तक डाक का काम भी व्यवस्थित रूप से चलने लगा। इसी अवधि में सड़कों द्वारा यातायात की व्यवस्था भी ठीक हो गई।

गवर्नमेंट के सबसे महत्त्वपूर्ण विभाग, अर्थात् *मालगुज़ारी* और *शासन को, फिर से व्यवस्थित किया* गया। तहसीलों का नया संघटन किया गया, और खरीफ़ की फ़सल नष्ट हो जाने से बिगड़ी हुई अन्न की स्थिति की ओर ध्यान दिया गया। गांव के अधिकारी—पटेल और पटवारी—फिर से अपने-अपने काम पर लगाये गये। जिन गांवों में पटेल और पटवारी नहीं थे, वहां नये लोगों को नियुक्त किया गया। लगान के सम्बन्ध में नियमानुसार फ़सलों की जांच की गई, और गांवों के सब कागज़ात यथा-समय तैयार किये गये। जनवरी में दातव्य लगान पूरा-पूरा वसूल हो गया। अन्न-कर की व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया गया। जो लोग फ़सलें काट चुके थे, और जिन्हें नये नियमों के अनुसार अन्न-कर देना था, उनकी सूची तैयार की गई, दातव्य अन्न-कर का हिसाब लगाया गया और अन्न-संग्रह का काम प्रारम्भ किया गया।

पीड़ितों को तक़ावी में ८,५०,००० रु० बांटा गया। गाँव गाँव में नक़दी ले जाकर बांटने का काम सरल नहीं था। किसानों को दी हुई इस सहायता का फल यह होगा कि अगली फ़सल में खेती के योग्य प्रदेश का ८० प्रतिशत भाग उपयोग में आ जायगा।

अन्य लोगों को भी बहुत-कुछ सहायता दी गई। १५० विधवाओं के लिए पेंशनें स्वीकृत की गईं। ६६,००० रु० के मूल्य की इमारती लकड़ी बांटी गई। जो लोग क़र्ज़ के रूप में आर्थिक सहायता लेकर उसे अदा करने में असमर्थ थे, उन्हें २५,००० रु० दान के रूप में बांटा गया। निर्धनों को यह आज्ञा दे दी गई कि वे अपनी झोंपड़ियां बनाने के लिये जंगलों से ताड़ और खजूर के पत्ते ले सकते हैं। २०,००० रु० का कपड़ा मुफ्त बांटा गया।

शरणार्थी-फ़ंड के लिये इस ज़िले की जनता अब तक ७५,००० रु० जमा कर चुकी है।

खरीफ़ और रबी दोनों फ़सलों को सितम्बर से दिसम्बर तक लगातार, और फिर, फ़रवरी में, भारी वर्षा

होने के कारण बहुत क्षति पहुंची थी। इन फसलों की उपज का अनुमान करने का प्रबन्ध किया गया। अन्न-सम्बन्धी कंट्रोल के नियमों का कठोरता से पालन कराया गया। यथोचित अन्न-विभाजन के लिये ज़िले भर में केन्द्र स्थापित किये गये।

सूत, कपड़े, मिट्टी के तेल और पेट्रोल की भी व्यवस्था इसी प्रकार की गई। ज़िले में ३३६ प्राइमरी स्कूल हैं। अध्यापकों के चले जाने से यह स्कूल बन्द कर दिये गये थे। अध्यापकों को फिर से भेज कर स्कूल चालू किये गये, और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ी। अक्टूबर के प्रारम्भ में नांदेड़ का हाई स्कूल भी फिर से काम करने लगा।

सेना ने विभिन्न स्थानों में दो लाख रुपये की लूटी हुई सम्पत्ति बरामद करके असली मालिकों को लौटा दी थी। बाद में पुलिस ने लगभग चार लाख की लूटी हुई जङ्गम सम्पत्ति और ढूंढ निकाली। असली मालिकों को लौटाई हुई स्थावर सम्पत्ति के मूल्य का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया गया है, किन्तु यह दस लाख से ऊपर ही होगा।

१४ सितम्बर को मिलिटरी गवर्नर नांदेड़ में आये। सभी जगह जनता के प्रत्येक वर्ग ने उनका हार्दिक स्वागत किया। नांदेड़ की विशाल सभा में उन्होंने घोषणा की कि शान्ति-प्रिय जनता की रक्षा की जायगी, और शान्ति-भंग करने वालों को दण्ड दिया जायगा, जैसा रज़ाकारों के सम्बन्ध में किया गया है। इस घोषणा पर जनता ने हर्ष प्रकट किया। प्रधान सिविल शासक ने भी नांदेड़ का दौरा किया। उन्होंने रियासत के अधिकारियों को, गवर्नमेंट बदल जाने के परिणाम, और अधिकारियों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व भली भांति समझाये, जिससे इन अधिकारियों के मन से सब तरह की आशंकायें दूर हो गई।

प्रधान सिविल शासक ने एक सार्वजनिक सभा में भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जनता किस प्रकार नई गवर्नमेंट की, और साथ ही साथ अपनी भी, सहायता कर सकती है।

निज़ामाबाद

निज़ामाबाद में सिविल अधिकारी २९ सितम्बर को पहुँचे। उन्होंने ज़िले के विभिन्न स्थानों में पहुंच कर मुसलिम जनता को आश्वासन दिया कि बदला लेने वालों से उसकी सब तरह से रक्षा की जायगी, और हिन्दू जनता को सावधान किया कि शांति-भङ्ग करने वालों को दण्ड दिया जायगा। उपद्रवियों के विरुद्ध कठोरता से काम लिया गया, जिसका फल यह हुआ कि मुसलिमों की आशंका दूर हो गई।

प्रतिष्ठित नागरिकों की सहायता से शांति-स्थापना का यथाशक्ति प्रयत्न किया गया। कानून और व्यवस्था को फिर से स्थापित करने में अधिकारियों को सहायता देने के लिये गांवों में शांति-समितियां बनाई गई, जिनके सदस्यों में सब सम्प्रदायों के लोग थे। ज़िले की परिस्थिति ठीक करने में डेढ़ महीने का समय लगा।

१५ नवम्बर को मिलिटरी गवर्नर ने ज़िले का दौरा किया। सभी जगह उनका स्वागत हुआ। उन्होंने निज़ामाबाद, शकरनगर, पितलम और निज़ामपेठ में सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिये। जनता ने शांति और सुरक्षा की व्यवस्था के लिये मिलिटरी गवर्नर को धन्यवाद दिया।

परिस्थिति संभल जाने के बाद अधिकारी अन्य कामों में जुटे। शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास के उपाय निश्चित किये गये। इस काम में एक ज़िला-समिति से सहायता ली गई, जिसमें सरकारी और ग़ैर-सरकारी दोनों तरह के सदस्य थे। ८२ व्यक्तियों को मकानों को बनाने और मरम्मत करने के लिये १५,४५० रुपया, तक़ावी के रूप में, क़र्ज़ दिया गया। इसी प्रकार गांवों के व्यापारियों को भी १,२०० रुपया तक़ावी में क़र्ज़ दिया गया। ६३ अनाथों की तत्काल सहायता के लिये २,६२५ रु० स्वीकृत किया गया। १५ विधवाओं के लिये १० से २० रु० प्रतिमास की पेन्शनें स्वीकृत की गईं।

ज़िले के शरणार्थी-सहायता-फ़गड में ३४,६३० रु० जमा हो चुके हैं।

दलित जातियों की ओर भी यथोचित ध्यान दिया गया। उनके लिये मकान बनाने की जगह सुरक्षित कर दी गई, और ज़मीनें दी गईं। उनके बच्चों की शिक्षा के लिये आवश्यक सहायता दी गई। उनकी सुविधा के लिये चावल की दूकानें खोली गईं।

अन्न-कर के द्वारा ज़िले में २,८५,०१८ मन अन्न इकट्ठा किया जा चुका है। जहां आवश्यक समझा गया, वहां अन्न-विभाजन की व्यवस्था की गई। मिट्टी के तेल और पेट्रोल का नियमित प्रबन्ध किया गया, और देहात में मिट्टी का तेल पहुँचाने की व्यवस्था की गई। कपड़े के मूल्य पर कंट्रोल लगा दिया गया।

ज़िले के पिछड़े हुए प्रदेशों की उन्नति के सर्वोत्तम उपायों पर विचार करने के लिये एक समिति बना दी गई है। इसका प्रबन्ध किया जा रहा है कि किसानों को यथोचित सुविधायें देकर, सिंचाई वाले प्रदेशों का और अधिक भाग खेती के उपयोग में लाया जाय। इस सम्बन्ध में बांसवाड़ा तालुका की जांच-पड़ताल की जा चुकी है, और अब बोधन तालुका की जांच का काम हाथ में लिया गया है।

—०—०—

उस्मानाबाद

सिविल शासक-दल का पहला अधिकारी जब १७ सितम्बर को उस्मानाबाद में पहुँचा, तो उसने देखा कि सरकारी खज़ाना और अन्न का गोदाम लूट लिये गये हैं, और शहर में आशंका और त्रास का साम्राज्य है। अधिकारी ने पूरे शहर का चक्कर लगाया, और गवर्नमेंट की सम्पत्ति पर अधिकार करके उसे पुलिस की रक्षा में रख दिया।

१८ सितम्बर को अन्य सिविल अधिकारी भी आ गये और उन्होंने व्यवस्था संभालने का काम प्रारम्भ किया। बसें चालू कर दी गईं, और डाकघर फिर से खोल दिये गये। सरकारी खज़ाने को सेना की संरक्षकता से निकाल कर, उसका काम फिर जारी कर दिया गया, जिससे जनता के मन में विश्वास की भावना उत्पन्न हो। जनता की तात्कालिक आवश्यकताओं की

पूर्ति के लिये टीन की चद्दरें, शकर और मिट्टी का तेल बम्बई से मंगाये गये और बांटे गये।

शरणार्थियों की सहायता के सम्बन्ध में २०० विधवाओं और छोटे बच्चों के लिये पेंशनें, और १०० विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई। किसानों को तक़ावी देने के लिये २,७८,३२५ रु० और अन्यों के लिये २७,०५० रु० स्वीकृत किया गया। तात्कालिक सहायता में ४,५७५ रु० व्यय किया गया।

निम्नलिखित गांव रज़ाकारों द्वारा नष्ट कर दिये गये थे :— तुलजापुर तालुका में नंदगांव और केशेगांव, उस्मानाबाद तालुका में चिलवाडी और बरवन्ती, और कल्लम तालुका में गौर और देव-धनूरा। गवर्नमेंट से आग्रह किया गया है कि इन गांवों को 'अकाल-पीड़ित प्रदेश' घोषित कर दिया जाय, और इन्हें आवश्यक सहायता देने का प्रबन्ध किया जाय।

इन गांवों में निर्धनों और निराश्रितों को मुफ्त अन्न दिया गया। फ़रवरी के अन्त तक १,०१४ पल्ला अन्न दिया जा चुका था, जिसमें सफ़ेद, लाल और पीली जुवार, चावल, तुवर की दाल, गेहूं, चना और धान थे। यह अन्न ३०,९०० रु० के मूल्य का था। गाँव वालों को मुफ्त अन्न तब तक बराबर दिया जायगा, जब तक उन्हें कोई जीविका न मिल जाय।

—०—०—

रायचूर

रायचूर में "रज़ाकारों की आबादी" बहुत थी, इसलिये यहां विपत्ति भी उसी अनुपात से आई। किन्तु १८ सितम्बर को सिविल अधिकारियों के आने के बाद थोड़े ही समय में ज़िले के अधिकांश प्रदेशों में शान्ति स्थापित हो गई। इसके लिये निम्नलिखित उपाय किये गये थे :- कर्फ्यू, सभाओं और जुलूसों पर रोक, पुलिस की चौकियों और स्टेशनों की फिर से स्थापना, लोगों से हथियार और गोला-बारूद ले लेना, शान्ति-समितियाँ, और उपद्रवियों की गिरफ्तारी। पुलिस और सेना ने लूटी हुई सम्पत्ति का पता लगाया, और २० दिन के भीतर लगभग सारी सम्पत्ति बरामद करके रायचूर केन्द्र में जमा कर दी गई। इसका अधिकांश असली मालिकों को लौटाया जा चुका है।

ज़िले की जनता ने सैनिकों के साथ बहुत अच्छा

व्यवहार किया । अनेक स्थानों पर लोगों ने सैनिकों को पार्टियां दीं, और सेना के अफ़सरों को थैलियां भेंट कीं । भेंट का रुपया मृत सैनिकों के परिवारों की सहायतार्थ दे दिया गया ।

अपहृत स्त्रियों को उनके परिवारों में पहुंचा दिया गया । ५७ निराश्रितों के लिये पेंशनें स्वीकृत की गईं । और ३,००० रु० के कपड़े तथा खाना पकाने के बर्तन मुफ्त बांटे गये । मुनीराबाद में, जहां अधिकांश मकान जला दिये गए थे, कपड़ा, टीन की चद्दरें, इमारती लकड़ी, और ताड़ की पत्तियां मुफ्त बांटी गईं । इस गांव को विशेष सहायता दी गई, और अब यहां एक नया गांव बन रहा है, जो तुंगभद्रा के बांध की समीपता के कारण अपना विशेष महत्त्व रखता है ।

मिलिटरी गवर्नमेंट के शरणार्थी-सहायता-फंड का काम इस ज़िले में बहुत अच्छा हुआ । इसके लिये अब तक १,४०,००० रु० जमा हो चुका है ।

रायचूर शहर का ट्रेनिंग स्कूल, तीन हाई स्कूल (जिनमें से एक लड़कियों के लिये है), और बहुत से प्राइमरी स्कूल, जो पिछले दिनों में बन्द हो गये थे, फिर से खोल दिये गये, और छः सप्ताह के बाद ही यथापूर्व चलने लगे । महसूल की चौकियां भी फिर से काम करने लगीं । सब अधिकारियों को आदेश दे दिया गया कि दलित जातियों की आवश्यकतायें सबसे पहले पूरी की जायें । अधिकारियों से कहा गया कि वे इन लोगों की 'चेरियों' में, जितनी बार हो सके, जायें और इनके लिये मकानों की जगह के विषय में विचार करें । रायचूर शहर में हरिजन-बस्ती बहुत बुरी दशा में थी । यहां की सड़कों को साफ़ कराया गया, पब्लिक नल लगाने का प्रबन्ध किया गया और प्रकाश की व्यवस्था की गई । हरिजनवाड़े के एक भाग में रेडियो-सेट् लगाया जा रहा है ।

ज़िले में अन्न की स्थिति बहुत बुरी थी । रा
और अन्न-विभाजन का प्रबन्ध न शहर में था, न
में । रायचूर शहर में राशन की आठ दूकानें
गईं, और देहात में भी बहुत सी दूकानें खोली
एक और बाहर से अन्न मंगाने का प्रबन्ध किया
और दूसरी ओर किसानों से अन्न इकट्ठा करने
यथाशक्ति प्रयत्न किया गया । खरीफ़ की फ़सल
अच्छी न होने पर भी, ८०,००० मन जुवार
कर ली गई, जो निश्चित परिमाण का ७५ प्रति
है । मिट्टी का तेल बाहर से मंगाने और जि
प्रत्येक भाग में बांटने की व्यवस्था की गई – यद्यपि
अधिक मात्रा में नहीं दिया जा सकता था ।

ज़िले में स्थानीय शासन का लगभग अभाव
रायचूर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या नगर-समिति की
एक वर्ष से नहीं हुई थीं । इन स्थानीय समितियो
पुनरुज्जीवित करने का विशेष प्रयत्न किया गया ।

क़स्बों की सफ़ाई का प्रबन्ध बिलकुल बि
हुआ था । इस में आवश्यक सुधार किया गया ।
तालुकों में चेचक का भयानक आक्रमण हुआ । रोग
फैलने न देने के लिये सामूहिक रूप से टीके ल
की व्यवस्था की गई । १,००,००० से भी अ
व्यक्तियों के टीके लगाये गये ।

गांव वालों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्
दिया गया । बहुत से गांवों में पीने के पानी के
पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, और कुछ गांवों के लोगों
घड़ा भर पानी लाने के लिये छः मील दूर जाना प
है । इन्हें पानी पहुंचाने के लिये पानी की लारियों
प्रबन्ध किया गया । किसानों को बीज भी दिये ग

ज़िले में अब पूर्ण शान्ति है, और प्रायः स
गांवों की स्थिति ठीक हो चुकी है ।



वरंगल की वृषभ-मूर्तियां।

वरंगल

नलगुंडा की तरह वरंगल भी "कम्यूनिस्ट" गुंडों का अड्डा बना हुआ है। १६ सितम्बर, १९४८ को सिविल अधिकारियों के आने से पहले, वरंगल की जनता के सामने यह प्रश्न था कि वह रज़ाकार और "कम्यूनिस्ट" इन दोनों गुंडादलों में से किस दल को पसंद करे। इन दोनों में से "कम्यूनिस्ट" दल जिन प्रगति-शील योजनाओं का प्रदर्शन करता आ रहा था, उनसे जनता अधिक प्रभावित हुई, और इसलिये उसने रज़ाकारों की अपेक्षा "कम्यूनिस्टों" को ही पसंद किया।

अधिकारियों ने व्यवस्था ठीक करने का काम तुरंत ही प्रारम्भ कर दिया। इस दिशा में उनके प्रयत्न इतने सफल हुए कि, यद्यपि रज़ाकार ज़िले की जनता पर तरह-तरह के अत्याचार कर चुके थे, फिर भी प्रतिहिंसा के फल-स्वरूप न किसी पर आक्रमण हुआ,

न कोई मारा गया। गवर्नमेंट की साम्प्रदायिकता-रहित नीति के अनुसार, जिसकी घोषणा प्रारम्भ में ही कर दी गई थी, अधिकारियों ने अपनी शक्ति भर इसका प्रयत्न किया कि सब सम्प्रदायों के साथ एक समान, निष्पक्षपात और न्याय-युक्त व्यवहार हो, मुसलिमों की रक्षा की जाय, और विभिन्न वर्गों में पारस्परिक सद्-भावना उत्पन्न हो। ग़ैर-मुसलिमों को प्रोत्साहित किया गया कि वे मुसलिमों की सहायता के लिये चन्दा इकट्ठा करें। इस प्रकार, दस दिनों के भीतर ही परि-स्थिति संभल गई।

प्रजा के साथ अब तक जो व्यवहार किया गया था, उसके कारण वह सभी अधिकारियों से डरती थी। इस पुराने डर को दूर करने के लिये सिविल दल ने प्रजा के साथ निकट-सम्पर्क स्थापित किया, और उसे इसकी पूरी सुविधा दी कि वह अपने कष्टों की बात बिना रोक-टोक के अधिकारियों तक पहुंचा सके।

नलगुंडा की तरह वरंगल में भी अमीरों और ग़रीबों के बीच इतनी बड़ी खाई थी, कि इस विषमता के आधार पर आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिये जनता के एक वर्ग का खड़ा न हो जाना आश्चर्य की बात होती। भारतीय पुलिस और सेना के आने पर, "कम्यूनिस्टों" के बड़े-बड़े नेता जंगलों और पहाड़ों में, जिनकी इस ज़िले में कमी नहीं है, जाकर छिप गये। किन्तु कुछ दिनों बाद वे फिर बाहर निकल आये और पहले की तरह लूट-मार, आग लगाने और हत्या के काम करने लगे।

सेना और पुलिस ने समाज के इन शत्रुओं को दल-बल सहित पकड़ लेने की अविलम्ब व्यवस्था की। बहुत से नेता और उनके अनुयायी गिरफ्तार कर लिये गये। कुछ "कम्यूनिस्ट" गुंडों ने कांग्रेसियों के वेष में छिप कर रहने का उपाय ढूंढ निकाला, जिसके कारण उन्हें पकड़ना कठिन हो गया। किन्तु अनेक बाधाओं के रहते हुए भी, सिविल अधिकारी, पुलिस और सेना के सम्मिलित प्रयत्नों से "कम्यूनिस्ट" उपद्रव को बहुत कुछ दबाया जा चुका है, और ज़िले के अधिकांश प्रदेशों में गांवों की शासन-व्यवस्था संभाली जा चुकी है। कुछ गुंडे अभी तक जंगलों में छिपे हुए अपनी चोटें सहला रहे हैं, और कभी न कभी फिर बाहर निकलेंगे। किन्तु सेना और पुलिस उनके लिये तैयार बैठी है, और उन्हें सदा के लिये माफ़ कर देने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही है।

"कम्यूनिस्ट" उपद्रव के कारण ज़िले के सामान्य शासन-प्रबन्ध में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ने दी गई। विधान-सभा के चुनाव के लिये मत-दाताओं की सूचियां तैयार की जा चुकी हैं। लगान में २३ लाख रु० और आबकारी में १७ लाख रु० वसूल हो चुका है। .फसलें अच्छी न होने पर भी, तथा परिस्थिति ठीक न होते हुए भी ३,००,००० मन धान और १३,५०० मन जुवार इकट्ठी की जा चुकी है, और राशन वाले तथा बिना राशन वाले प्रदेशों में उचित ढंग से बांटी जा रही है।

शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास का काम भी व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। २,४८१ परिवारों को, प्रति-परिवार १०० रु० के हिसाब से, मकान बनाने का सामान दिया गया है। १,७७,१६० रु० की इमारती लकड़ी बांटी गई है। २०२ अनाथ परिवारों को २० रु० प्रतिमास के हिसाब से दो वर्ष के लिये पेंशनें स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, विशेष सहायता के रूप में २,२१० रु० बांटा गया। किसान शरणार्थियों को ४,७६,७३० रु० ऋण में दिया गया।

शरणार्थी-सहायता-फ़ंड में ४०,१७२ रु० जमा किया जा चुका है।

वरंगल ज़िला उद्योग तथा खानों का प्रदेश है, और इसलिये यहां कभी-कभी मज़दूरों की समस्या भी

हैदराबाद का

उठ खड़ी होती है। इस समस्या का समाधान सहानुभूति-पूर्ण नीति के साथ किया जाता है। किसी प्रकार की कटुता उत्पन्न किये बिना, मज़दूरों के हितों की रक्षा की गई है और उनके वेतन आदि की उचित शर्तें स्वीकृत कराई गई हैं।

संक्षेप में, जिन प्रजा-जनों को पीढ़ियों से पद-दलित अवस्था में रक्खा गया था, उनमें अब आत्म-सम्मान की भावना जागृत करके उन्हें रियासत और देश के वास्तविक नागरिकों का पद और अधिकार प्राप्त करने में सहायता दी जा रही है।

—•—•—

औरंगाबाद

औरंगाबाद एक ऐतिहासिक नगर है और, हैदराबाद को छोड़ कर, रियासत के सब नगरों से बड़ा है। इसे १४ सितम्बर, १९४८ को रज़ाकारों से मुक्त किया गया। यहां पहुंचने के बाद सिविल दल के सामने सबसे पहला काम यह था कि लोगों को निःशस्त्र कर दिया जाय और, बिजली-घर वॉटर-वर्क्स तथा रेडियो-स्टेशन आदि महत्त्व-पूर्ण स्थानों की रक्षा की जाय। जनता से शस्त्र इकट्ठे करने का काम बराबर होता रहा, और अब भी हो रहा है। पहले दो सप्ताहों में इकट्ठे किये हुए शस्त्र इतने थे कि उनसे २० गाड़ियां भरी जा सकती थीं। शस्त्रों की खोज में जो सबसे बड़ी चीज़ मिली, वह एक बन्दूकों की फैक्टरी थी। यह फैक्टरी शाही महल में स्थित थी।

सिविल दल का दूसरा आवश्यक काम सरकारी

महसूलों और मालगुज़ारी आदि को वसूल करना और उन्हें सुरक्षित रखना था। इसकी विशेष सावधानी रक्खी गई कि स्टेट बैंक और सरकारी खज़ाने में जो शेष रुपया जमा है, उसमें किसी तरह की गड़बड़ न होने पाये। इस ज़िले में आबकारी की दूकानों से गवर्नमेंट को १७ लाख रु० से भी अधिक की आय होती है। सिविल दल ने औरंगाबाद आने के चौदह दिन के भीतर ही इन दूकानों को नीलाम करके सरकारी रुपया वसूल कर लिया। खरीफ़ की मालगुज़ारी वसूल करना तथा गांवों के भूमि-सम्बन्धी विवरणों को ठीक रखना भी इतना ही आवश्यक था। प्रत्येक तहसील के अधिकारियों को आदेश दिया गया कि इन विवरणों की बराबर जांच की जाय, और समय-समय पर उसकी रिपोर्ट भेजी जाय।

अक्टूबर में सिविल दल व्यवस्थित रूप से काम करने लगा। तब उसके सामने खरीफ़ का अन्न-कर वसूल करने की समस्या उपस्थित हुई। इस काम में प्रारम्भ में अनेक कठिनतायें थीं, जिनमें सबसे बड़ी कठिनता यह थी कि चुंगीघरों की व्यवस्था बिगड़ जाने से बहुत सा अन्न छिपे-छिपे बाहर भेजा जा रहा था। असामयिक वर्षा के कारण भी अन्न की स्थिति संभालने में बाधा पड़ी। अन्न-कर को वसूल करते समय चुंगीघरों और पुलिस-स्टेशनों को फिर से स्थापित करने के काम पर विशेष ध्यान दिया गया। चुंगी के साधारण अधिकारियों को दिसम्बर, १९४८ के अंत तक पुलिस की सहायता लेनी पड़ी।

१९४९ के प्रारम्भ तक पूरे ज़िले की परिस्थिति ठीक हो गई। इन्हीं दिनों में रबी की फ़सल भी बोई जा चुकी थी। अब अधिकारियों ने गांवों से भागे हुए लोगों को अपने-अपने घर वापस भेजने और उन्हें वहां फिर से बसाने के काम पर ध्यान दिया। पैठण तहसील में पांच गांवों की और वैजापुर तहसील में तीन गांवों की मालगुज़ारी माफ़ कर दी गई। इन गांवों के लोग रज़ाकारों के डर से पड़ोस के प्रान्त में भाग गये थे। ज़िले के उत्तर-पूर्वी भाग में पुनर्वास की समस्या विशेष कठिन थी, क्योंकि यहां के लोगों में प्रतिहिंसा की भावना बहुत प्रबल थी।

मार्च १९४९ तक शरणार्थियों को निम्नलिखित सहायता दी गई :—

६७२ किसानों को तक़ावी के लिये ८७,६८५ रु०:

१७ विधवाओं को आर्थिक सहायता के लिये ८१० रु०:

तीन विधवाओं को २० रु० प्रतिमास पेंशन।

शरणार्थी-सहायता-फ़ंड में १,००,००० से अधिक रुपया जमा हो चुका है।

ज़िले में कई राजनैतिक बन्दी ऐसे थे, जिन्हें केवल "हिन्दुस्तान ज़िन्दाबाद" का नारा लगाने, या भारतीय झंडा फहराने के कारण जेल में डाल दिया गया था। इन्हें छोड़ दिया गया। किन्तु इसकी विशेष सावधानी रक्खी गई कि जो व्यक्ति अनैतिकता के अपराधी थे, उन्हें यह रियायत न मिले।

इसके थोड़े ही दिनों बाद जालना और औरंगाबाद की जेलें, सेना और पुलिस द्वारा पकड़े हुए तथा बम्बई प्रान्त की जेलों से लाये हुए रज़ाकारों से भर गईं। इनकी संख्या २,४८५ थी। सिविल शासक ने पुलिस सुपरिंटेंडेंट की सहायता से, इनमें से प्रत्येक से पूछताछ की, और २,४७४ को, जमानत पर या बिना जमानत के, छोड़ दिया। केवल ११ व्यक्तियों पर साम्प्रदायिकता-सम्बन्धी अपराधों का मुक़दमा चलाया जा रहा है।

जिले की वर्तमान परिस्थिति सर्वथा शान्ति-पूर्ण है, और लोग बिना किसी विघ्न-बाधा के अपने-अपने काम-धंधों में लगे हुए हैं। अन्न-विभाजन की यथोचित व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें मज़दूर-पेशा लोगों को विशेष लाभ हुआ है।

एलोरा और अजंता की ऐतिहासिक गुफायें यात्रियों को यथापूर्व आकर्षित करती रहती हैं। इन्हें देखने के लिये बाहर से आने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं— चीन के राजदूत तथा श्रीमती लो, बेलजियम के राजदूत तथा राजकुमारी, बम्बई के गवर्नर तथा रानी महाराजसिंह, डॉक्टर अम्बेडकर तथा श्रीमती अम्बेडकर, रियासत-विभाग के राजनैतिक परामर्शदाता तथा श्रीमती मेनन।

बीड़

अन्य ज़िलों की तरह बीड़ में भी क़ानून और व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, और सब वर्गों की जनता शान्ति तथा विश्वास के साथ रह रही है। जिन संस्थाओं को अब ग़ैर-क़ानूनी घोषित कर दिया गया है, उनके भूतपूर्व सदस्यों के साथ दया-पूर्ण व्यवहार किया गया है – केवल उन्हें छोड़ कर, जिन पर कोई बड़ा अपराध लगाया गया है।

लूटे हुए माल का अधिकांश मालिकों को लौटा दिया गया है। जिस माल के मालिकों का पता नहीं चल सका, वह आवश्यक कार्यवाही के लिये न्यायालयों में भेज दिया गया है। अनेक कठिनतायें होते हुए भी अन्न आदि की व्यवस्था सन्तोष-जनक रही है। जहां-जहां आवश्यकता थी, वहां ठीक भाव पर अन्न बेचने वाली दूकानें खोल दी गई हैं, और निर्धनों को मुफ्त अन्न बांटा गया है।

किसानों से उचित आग्रह के द्वारा, तथा व्यवस्थित प्रबन्ध के द्वारा, रबी की .फसल का अन्न-कर आशातीत परिमाण में वसूल किया जा चुका है ।

गवर्नमेंट की आज्ञानुसार शरणार्थियों के पुनर्वास का प्रबन्ध बहुत शीघ्रता से किया गया । सहायता के लिये जितने प्रार्थना-पत्र आये, उन सब पर विचार किया गया और आवश्यकता के अनुसार मुफ्त अन्न तथा अन्य सामान अथवा ऋण दिया गया । जिन परिवारों के जीविका कमाने वाले गड़बड़ के दिनों में मारे गये थे, उन्हें पेंशनें दी गईं । अनाथ लड़कों को छात्र-वृत्तियां दी गईं । पुनर्वास का काम ठीक ढंग से चल रहा है ।

जनवरी तक मत-दाताओं की सूचियां तैयार करके गवर्नमेंट के पास भेज दी गईं ।

करीमनगर

करीमनगर जिले में अपेक्षाकृत शांति बनी रही। किन्तु यहां भी तेलंगाना प्रदेश में रज़ाकारों तथा समाज को हानि पहुंचाने वाले अन्य वर्गों ने काफ़ी उपद्रव मचाया। पुलिस कार्यवाही के दिनों में और उसके बाद, ज़िले के कुछ प्रदेशों में, विशेष कर परकल और हुज़ूराबाद तालुकों में, तथा नलगुडा और वरंगल ज़िलों से मिले हुए करीमनगर तालुका के दक्षिणी भाग में, काफ़ी गड़बड़ रही। इस भाग में गुंडों ने हत्यायें कीं, डाकबंगलों के फ़र्नीचर और मकान जला डाले, तथा मुक्तेदारों के दो बड़े-बड़े भवन, जिनमें से प्रत्येक ५०,००० रु० से अधिक की लागत का था, नष्ट कर दिये। महादेवपुर में हैदराबाद सहकार-व्यवसाय-संघ (Co-operative Commercial Corporation) के गोदामों का अन्न लूट लिया गया। अनेक

बड़े-बड़े देशमुख और पट्टेदार ज़िले को छोड़ कर चले गये थे और मद्रास प्रान्त के विभिन्न शहरों में रह रहे थे। उनकी ज़मीनों पर असामियों ने अधिकार कर लिया था, और यह असामी उन्हें लगान देने को भी तैयार नहीं थे। सीमा के प्रदेशों में गुंडों के आक्रमण और लूट-मार के कारण लोग त्रस्त थे। इन लाल लुटेरों ने बड़े-बड़े ज़मीदारों के पशु लूट लिये और उन्हें अपने अनुयायियों में बांट दिया।

यह दशा थी, जब सिविल दल ने २८ सितम्बर १९४८ को ज़िले का शासन अपने हाथ में लिया। सिविल दल के अधिकारियों ने पूरे ज़िले का दौरा किया और गांव वालों से सम्पर्क स्थापित किया। अधिकारियों ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने पास किसी प्रकार के शस्त्र न रक्खें। लोगों ने उनकी बात मान कर प्रसन्नता-पूर्वक सब शस्त्र अधिकारियों के पास जमा कर दिये। दो सप्ताह के भीतर ही शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई।

अधिकारियों ने ज़िले और तालुकों के .खज़ानों की नक़दी और नोटों की जांच की और उन्हें हिसाब के अनुसार पूरा पाया। हैदराबाद सहकार-व्यवसाय-संघ के गोदामों की बिलकुल ही देखभाल नहीं की गई थी, और न बहुत दिनों से उनके अन्न का हिसाब-किताब देखा गया था। अधिकारियों ने इस अन्न के हिसाब की तुरन्त जांच की और गोदामों की रक्षा के लिये पुलिस नियुक्त कर दी। गोदामों में बहुत सा .खराब अन्न भी था, इसे अलग कर दिया गया। महादेवपुर के गोदाम से लूटा हुआ अन्न बरामद कर लिया गया।

करीमनगर ज़िले में धान बहुतायत से पैदा होता है। अन्न-कर के द्वारा तथा एकाधिकार-क्रय-आदेश (Monopoly Purchase Order) के अनुसार बहुत बड़े परिमाण में अन्न का संग्रह किया गया। इसमें से बहुत सा अन्न, जो ज़िले की आवश्यकता से अधिक था, हैदराबाद भेज दिया गया। वर्षा के अनुकूल न होने पर भी ३,४८,४५६ मन धान और १४,७६४ मन जुवार इस ज़िले से मिली।

शासन संभालने के एक मास के भीतर ही ज़िले के सब विभाग और तहसीलें पूर्ण रीति से अधिकारियों के नियन्त्रण में आ गये। उन्होंने मालगुज़ारी, आबकारी और तक़ावी के दातव्य वसूल किये तथा भूमि-सम्बन्धी झगड़े निबटाये। इनमें से एक झगड़ा वह भी था, जो भीमारम् और धर्मारम्, इन दोनों 'मुक्त' गांवों की प्रजा और मुक्तेदार के बीच चल रहा था। नायब सिविल शासक ने इन दोनों में समझौता करा कर झगड़ा निबटा दिया।

पुलिस का काम भी अच्छा रहा। पुलिस के पास ४३ हत्याओं के मामलों की रिपोर्टें आई थीं, जिनमें से पुलिस ने ३० का पता लगा लिया। डकैती की १११ रिपोर्टें आई, जिनमें से ६३ का पता लगाया गया। डाकुओं के चार दल गिरफ्तार किये गये।

सेना की एक पलटन पहले करीमनगर में और बाद में हुज़ूराबाद में रक्खी गई। कोहेडा, समुद्राला, रामारम् और अक्कन्नापेठ के प्रदेशों में, जहां गुंडे उपद्रव कर रहे थे, स्पेशल सशस्त्र पुलिस के केन्द्र स्थापित किये गये। सेना और पुलिस ने इन गांवों पर बार-बार धावा किया, और मुरलीधर, मुकुन्द रेड्डी, लिंगा रेड्डी, वानम् वेंकटैय्या, दारम् वेंकटैय्या, कोनपल्ली कोंडैय्या इत्यादि कुप्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार किया। इन नेताओं के पास से कुछ लूटी हुई सम्पत्ति तथा शस्त्र भी बरामद हुए। सिविल शासक और पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने इन उपद्रव के प्रदेशों का बार-बार दौरा किया और गांव वालों के मन में सुरक्षा तथा विश्वास की भावना जागृत की। इन प्रयत्नों का फल यह हुआ कि ज़िले में अशान्ति और उपद्रव बहुत-कुछ कम हो गये – भले ही वे निर्मूल न हुए हों। ४४,००० रु० की लूटी हुई सम्पत्ति

बरामद की गई और असली मालिकों को लौटाई गई ।

सिविल दल जब इस ज़िले में आया था, तब यहां के पुलिस-स्टेशन काम नहीं कर रहे थे । कई सब-इंस्पेक्टर तथा पुलिसमैन अपनी-अपनी ड्यूटी छोड़ कर भाग गये थे । सिविल अधिकारियों ने इन पुलिस-स्टेशनों पर अपने आदमी नियुक्त किये, और उनकी सारी व्यवस्था ठीक कर दी । अधिकारियों के प्रयत्न से रियासती पुलिस का नष्ट-भ्रष्ट उत्साह और साहस फिर लौट आया है ।

२६,१५,२६८ रु० मालगुज़ारी में वसूल किया गया । आबकारी के ३८ लाख रुपये में से २६ लाख वसूल किया गया । पुराने तक़ावी-कर्ज़ों की वसूली का काम भी बहुत-कुछ आगे बढ़ा ।

सिविल अधिकारियों ने स्थानीय समितियों को भी नये ढंग से संघटित किया । करीमनगर की नगर-समिति, ज़िला-समिति तथा क़स्बा-समितियां काम नहीं कर रही थीं । स्थानीय कर का बहुत सा रुपया वसूल ही नहीं किया गया था । सिविल शासक ने नगर-समिति और ज़िला-समिति को फिर से चालू किया, और उनकी बैठकें बुलाईं, जिनमें कई बातों पर विचार और निर्णय किया गया । इसी प्रकार नायब सिविल शासकों तथा सहकारी सिविल शासकों ने भी क़स्बा-समितियों के काम पर तथा शेष कर वसूल करने पर ध्यान दिया, और वह समितियां भी यथोचित रूप से काम करने लगीं । अन्न-समितियां भी निष्क्रिय थीं, इन्हें भी नये सिर से संघटित किया गया ।

सिविल अधिकारियों ने जन-स्वास्थ्य-रक्षा के काम पर विशेष ध्यान दिया । सिरसीला तालुका के कई गांवों में प्लेग फैली हुई थी । सिरसिला के सहकारी सिविल शासक ने इन गांवों में जा कर रोग का प्रतिकार करने की व्यवस्था की और स्वास्थ्य-रक्षा-विभाग के कर्मचारियों को सहायता दी ।

वेमुलवाडा, कोंडागोंडा और धर्मपुरी में यात्राओं के मेले हुए । गड़बड़ के दिनों में यह यात्रायें बन्द हो गई थीं । अधिकारियों ने इन यात्राओं की समुचित व्यवस्था की ।

करीमनगर ज़िले में न रेल है, न तार, न जल-प्रबन्ध और न बिजली । अब करीमनगर शहर में एक भारतीय डाकघर खोल दिया गया है । सिविल शासक ने जल-प्रबन्ध की योजना बना कर गवर्नमेंट के पास भेजी है, जिस पर विचार किया जा रहा है । गांव वालों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये. हुज़ूराबाद तालुका के १२ गांवों में एक ग्राम-पुनर्निर्माण-योजना का कार्य बड़ी तत्परता के साथ प्रारम्भ कर दिया गया है, और शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है ।

मिट्टी का तेल बांटने की उचित व्यवस्था कर दी गई है । ज़िले के केन्द्र में जितना तेल बाहर से आता है, उसे आवश्यकता के अनुसार तालुकों में बांट दिया जाता है । प्रत्येक तालुका के बड़े-बड़े गांवों में विभाजन-केन्द्र खोल दिये गये हैं, जिससे सब गांव वालों को तेल मिल सके । ग़ैर-किसान जनता को अन्न बांटने का प्रबन्ध भी यथोचित रीति से किया गया है । निर्धनों के लिये सस्ते अन्न की दूकानें, तथा उचित मूल्य पर अन्य सामान बेचने वाली दूकानें खोल दी गई हैं ।

दलित जातियों की हित-रक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया गया है । जोतने बोने के लिये जो ज़मीनें दी जा सकती थीं, वे सबसे पहले उन्हीं को दी गईं, और यदि उनमें से कोई बिना अधिकार के किसी ज़मीन को जोतने-बोने लगा था, तो उसके साथ रियायत से काम

लिया गया। मुसलिमों तथा अन्य अल्प-संख्यक वर्गों के हितों की रक्षा की गई।

गड़बड़ के दिनों में जो मुक्तेदार और देशमुख आदि ज़िले को छोड़ कर चले गये थे वे अपने घरों को लौट आये हैं। ज़िले में किसी त साम्प्रदायिक उपद्रव नहीं है, और न किसी प्र अशान्ति है।

परभनी

मध्य-प्रान्त के जिस सिविल दल को परभनी का शासन संभालने के लिये नियुक्त किया गया था, उसका आधार-स्थान अकोला जिले (बरार) में बासिम पर था। २० सितम्बर, १९४८ को सिविल दल बासिम से चल कर हिंगोली और कन्हेरगांव (परभनी) में पहुंच गया। इस दल में दीवानी, पुलिस और मेडिकल विभागों के कर्मचारी तथा होम गार्ड्स (Home Guards) थे। कन्हेरगांव और हिंगोली पर लड़ाई हुई थी, और इसलिये यहां की सब व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी। सिविल दल ने यहां की दशा ठीक करने का प्रबन्ध किया, और उसके बाद २२ सितम्बर को परभनी के लिये प्रस्थान किया। भारतीय सैनिक इसके पहले ही परभनी पहुंच चुके थे, और अब सिविल दल इनके साथ मिल कर काम करने लगा।

सबसे पहली आवश्यकता क़ानून और व्यवस्था की स्थापना थी, जिससे जनता के मन में नई गवर्नमेंट के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। देहात में अभी तक सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं हो पाया था। सशस्त्र रज़ाकारों के, तथा अन्य उपद्रवियों के दल देहात में इकट्ठे हो गये थे, और इसलिये वहां की जनता त्रस्त तथा भयभीत थी। अधिकारियों ने सब लोगों से हथियार ले लेने का आदेश दिया, तथा सेना और पुलिस, उपद्रवियों के एक के बाद दूसरे अड्डे की 'सफ़ाई' करने लगी। सिविल अधिकारियों ने ज़िले में दूर-दूर तक दौरे किये, और लोगों से मिल-जुल कर उनके मन में विश्वास, साहस और उत्साह उत्पन्न किया।

बहु-संख्यक सम्प्रदाय अल्प-संख्यक सम्प्रदाय से बदला न लेने लगे, इसके लिये दृढ उपायों से काम लिया गया। इस काम में लोक-प्रिय संस्थाओं से भी सहायता ली गई और शान्ति-समितियां बनाई गईं, जिनमें सब वर्गों और सम्प्रदायों के लोग रक्खे गये। अधिकारियों को इन समितियों से बहुत सहायता मिली, विशेष कर शस्त्र और गोला-बारूद बरामद करने में, लूटी हुई सम्पत्ति तथा छीनी हुई ज़मीनें लौटाने में, और अपहृत स्त्रियों को छुड़ा कर उन्हें अपने-अपने घर पहुंचाने में।

इन प्रयत्नों का फल यह हुआ कि दिसम्बर के प्रारम्भ तक ज़िले में क़ानून और व्यवस्था स्थापित हो गई, और सेना को यहां रखने की आवश्यकता नहीं रही। मुहर्रम, दशहरा और दिवाली शान्ति-पूर्वक मनाये गये।

शान्ति-स्थापना के साथ-साथ, शासन-प्रबन्ध का संभालना भी आवश्यक था, जो कि पिछले दिनों में लगभग उखड़ चुका था। चार नायब सिविल शासकों में से दो को दोनों उपविभागों का शासन सौंपा गया, एक को सामग्री-विभाग (Supplies) तथा नगर-समिति के काम पर नियुक्त किया गया, और एक को शासन की सामान्य व्यवस्था संभालने का काम दिया गया। सहकारी सिविल शासकों को तहसीलों में नियुक्त किया गया। गड़बड़ के दिनों में भागे हुए सरकारी कर्मचारियों में से अधिकांश अपने-अपने कामों पर लौट आये। जिन कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ था, उनके मामलों की पूरी जांच करके उस अन्याय का निराकरण किया गया, तथा शासन-व्यवस्था को उचित रीति से चलाने के लिये आवश्यक उपाय किये गये।

उन सब राजनैतिक क़ैदियों को, जिन्हें सज़ा दी जा चुकी थी, या जिन पर मुक़दमे चल रहे थे, या जो केवल नज़रबन्द थे, छोड़ दिया गया और ५४ मुक़दमे हटा लिये गये।

परभनी शहर में बिजली तथा पानी के निकास (Drainage) का प्रबन्ध करने की योजनायें बनाई गईं।

असामयिक वर्षा के कारण खरीफ़ की फ़सल को बहुत हानि पहुंची थी, विशेष कर हिंगोली उपविभाग में। इसके अतिरिक्त पुलिस कार्यवाही से पहले के दिनों में बहुत से किसान अपने-अपने गांव छोड़ कर भाग गये थे, प्रधानतया हिंगोली और कलमनूरी के ताल्लुकों में, और उनकी ज़मीनें खाली पड़ी थीं। खरीफ़ की फ़सल कटने से पहले पूरे ज़िले की फ़सलों का निरीक्षण किया गया। जिसके फल-स्वरूप दीवानी के ७१ गांवों में, सर्फ़ेख़ास के एक गांव में तथा जागीर के एक गांव में ९३,२५६ रु० की छूट के लिये सिफ़ारिश की गई।

परभनी ज़िले में इतना अन्न नहीं होता कि ज़िले के सातों ताल्लुकों के लिये पर्याप्त हो जाय। इसलिए कुछ अन्न बाहर से भी मंगाना पड़ता है। यहां की अन्न की मुख्य पैदावार जुवार है, और आर्थिक लाभ देने वाली मुख्य पैदावार कपास है। पिछले छः महीनों में किसानों से ४४,३४९ मन खरीफ़ जुवार, ४,४८३

मन धान और १८७ मन बाजरा, अन्न-कर के रूप में मांगे गये थे। इनमें से जुवार की मांग का ५० प्रतिशत, धान की मांग का ५० प्रतिशत तथा बाजरे की मांग का १५ प्रतिशत अन्न वसूल हो चुका है, और शेष वसूल किया जा रहा है।

केन्द्र से जो अन्न इस जिले को पहले मिलता था, वह बहुत थोड़ा था। सिविल अधिकारियों की प्रार्थना पर गवर्नमेंट ने अप्रैल १९४९ से इस अन्न का परिमाण बढ़ा कर ४२,७५० पल्ला कर दिया। यह अन्न, मोटे तौर पर जन-संख्या के हिसाब से, तहसीलों में बांट दिया जाता है, और फिर सस्ती तथा उचित मूल्य वाली दूकानों के द्वारा, पारिवारिक-राशन-कार्ड पद्धति पर जनता को बेच दिया जाता है।

मिट्टी का तेल और कपड़ा भी बाहर से मंगाया गया और यथोचित रीति से बांटा गया।

अन्न की व्यवस्था के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये जिले के केन्द्र में एक, तथा प्रत्येक तहसील में एक-एक, अन्न-समिति बनाई गई। इन समितियों के अधिकांश सदस्य गैर-सरकारी व्यक्ति अथवा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि थे। अन्न-संबन्धी सभी समस्यायें, विचार और निर्णय के लिये, इन्हीं समितियों के सामने रक्खी गई।

क़ानून और व्यवस्था के बाद सबसे बड़ी समस्या शरणार्थियों के पुनर्वास की थी।

तकावी में दो लाख रुपया और तात्कालिक मुफ्त सहायता में १०,००० रु० बांटा गया। सिविल शासक, नायब सिविल शासकों, सहकारी सिविल शासकों और तहसीलदारों ने ज़िले भर में दौरा किया, लोगों से स्वयं मिल कर पूछताछ की, और सार्वजनिक संस्थाओं तथा कार्य-कर्ताओं की सहायता से पुनर्वास-परामर्श समितियां बनाई, जिनमें पुनर्वास-सम्बन्धी सब समस्याओं पर विचार और निर्णय किया गया।

मकान बनाने के लिये टीन की चद्दरें, बांस और टट्टियां शरणार्थियों को मुफ्त बांटे गये। ६० परिवारों के लिये पेंशनें स्वीकृत की गईं, और एक छात्र-वृत्ति दी गई। यह पेंशनें और वज़ीफे १० से २० रु० प्रतिमास के हैं, और जनवरी १९४९ से दिये जा रहे हैं। कई अन्य व्यक्तियों को सहायता देने पर विचार किया जा रहा है।

शिक्षा के योग्य अनाथ बच्चों और विवाह के योग्य अनाथ लड़कियां तथा विधवाओं के विषय में पूरा पता लगाया गया। अपहृत स्त्रियों का पता लगा कर उन्हें अपने-अपने सम्बन्धियों के पास पहुंचा दिया गया। इस प्रकार की आठ अपहृत स्त्रियों में से छः स्त्रियां कलमनूरी तहसील की थीं।

कलमनूरी तहसील के शिवाला गांव में, उजाड़े हुए खेतों को शरणार्थी-पुनर्वास-विभाग के मेम्बर की उपस्थिति में ट्रैक्टर द्वारा जोता गया। इस प्रकार की ज़मीनों को, जहां तक हो सके, ट्रैक्टरों द्वारा ही जोतने का निश्चय किया गया है।

मिलिटरी गवर्नर के शरणार्थी-सहायता-फंड में अब तक ७५,१५५ रु. जमा हो चुका है। इसमें वह १०,००१ रु० भी सम्मिलित है, जो प्रधान सिविल शासक के एक दौरे के अवसर पर, उन्हें परभनी के नागरिकों द्वारा भेंट किये हुए चांदी के ताले-चाबी को, उनकी इच्छा के अनुसार, नीलाम करने पर मिला था।

दलित जातियों के शरणार्थियों को पुनर्वास के सम्बन्ध में विशेष सहायता दी गई।

मिलिटरी गवर्नर ने थोड़े से समय में पूरे ज़िले का दौरा किया। वे सात स्थानों पर रुके। उन्होंने महात्मा-गांधी-पार्क का शिला-न्यास किया। यह पार्क बाद में प्रधान सिविल शासक द्वारा उद्घाटित किया गया।

सिविल अधिकारियों के साथ जो चिकित्सक दल आया था, उसमें एक सिविल सर्जन, तीन असिस्टेंट सर्जन और कई सफ़ाई के (Sanitary) इंस्पेक्टर, तथा रोगियों की परिचर्या के लिये नियुक्त कर्मचारी थे। यह दल जनवरी १९४९ के अन्त में अपने प्रान्त को लौट गया। होम गार्ड्स (Home Guards) का दल इससे भी पहले, अक्टूबर १९४८ के अन्त में, वापस भेजा जा चुका था।

—•—•—

परिशिष्ट

(क)

हैदराबाद के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री की घोषणायें

हम यह चाहते हैं कि, जहां तक सम्भव हो, रियासत (हैदराबाद) की जनता ही (अपने विषय में) निर्णय करे। हमारी नीति यह है कि प्रत्येक विवादास्पद विषय का निर्णय जनता स्वयं करे। हमने सभी रियासतों के सम्बन्ध में, जिनमें हैदराबाद भी सम्मिलित है, सदा यही नीति सामने रक्खी है। —१२ मार्च, १९४८; **भारतीय-विधान-सभा में किये गये एक प्रश्न के उत्तर में।**

अन्य किसी भी रियासत की तरह, हैदराबाद के सम्बन्ध में भी, हमारी नीति यही रही है कि रियासत की जनता अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करे। हम किसी भी रियासत की जनता द्वारा किये गये निर्णय को स्वीकार करेंगे। यही नीति हमने कई महीने पहले, अगस्त में, निर्धारित की थी। यह नीति जैसे अन्य रियासतों के लिये है, ठीक उसी तरह हैदराबाद के लिये भी है, और हम इसी पर दृढ हैं। —१३ मार्च, १९४८. **विज़ागापटम् में एक सार्वजनिक सभा में।**

इत्तहादुल-मुसलमीन के द्वारा जो प्रोपगैंडा किया जा रहा है, कि भारत-संघ हैदराबाद के मुसलमानों को जड़ से साफ़ कर देने पर तुला हुआ है, वह केवल निरर्थक बकवास है। हैदराबाद में मुसलमानों के वही अधिकार रहेंगे, जो और लोगों के। और यदि हैदराबाद भारत-संघ में सम्मिलित हो गया, तो वह संघ के अन्य सदस्यों की तरह बराबर का हिस्सेदार रहेगा। —१८ **जून, १९४८; नई देहली में एक प्रेस-कान्फ्रेंस के अवसर पर।**

हम रियासत (हैदराबाद) को शस्त्रों द्वारा डरा-धमका कर भारत-संघ में सम्मिलित होने के लिये विवश करना नहीं चाहते। —२४ जून, १९४८; **लखनऊ में एक सार्वजनिक सभा में।**

हमने यह एक सामान्य सिद्धान्त निर्धारित कर दिया था कि, किसी रियासत के भारत संघ में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार का सन्देह अथवा विवाद हो, तो हम उसका निर्णय जनता को करने देंगे। यही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम हैदराबाद की समस्या को शान्ति-पूर्वक तथा पारस्परिक सहयोग के द्वारा सुलझाना चाहते हैं। लोग हैदराबाद के साथ युद्ध होने की बात कहते हैं। इस रियासत के साथ "युद्ध" होने का कोई अर्थ ही नहीं है। —२६ जुलाई, १९४८; **मद्रास में एक सार्वजनिक सभा में।**

यह कहना बिल्कुल असंगत है कि भारत सरकार हैदराबाद को एक प्रकार का अधीन देश बनाना चाहती है। हैदराबाद एक स्वायत्तशासी (Autonomous) प्रान्त बन सकता है, जो संघ के अधीन न हो कर उसका एक हिस्सेदार रहेगा। —१३ अगस्त, १९४८; **यूनाइटेड प्रेस ऑव् अमेरिका के प्रतिनिधि के साथ सम्भाषण में।**

हैदराबाद में तथा भारत के सभी राज्यों और प्रान्तों में, लोक-तन्त्र तथा उत्तरदायी गवर्नमेंट की स्थापना ही हमारा लक्ष्य रहा है।......इसके अतिरिक्त, जिन सिद्धान्तों की हम बार-बार घोषणा कर चुके हैं, उनके अनुसार हम इसके लिये सदा तैयार थे कि हैदराबाद के भविष्य का निर्णय वहां की जनता का

मत लेने के बाद किया जाय, बशर्ते कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार मत देने की पूरी स्वतन्त्रता दी गई हो।

हम अपनी सेना को इसलिये सिकन्दराबाद भेजना चाहते हैं कि हैदराबाद रियासत की तथा वहां की जनता की – चाहे वह हिन्दू हो, अथवा मुसलिम हो, अथवा अन्य किसी धर्म या सम्प्रदाय को मानने वाली हो – रक्षा का प्रबन्ध किया जा सके। — ७ सितम्बर, १६४८; **भारतीय विधान-सभा में दिये गये भाषण में।**

हमें जो अन्त में यह कार्यवाही करने (सिकन्दराबाद में सेना रखने) का निश्चय करना पड़ा, उसका मौलिक कारण राजनैतिक नहीं था – यद्यपि राजनैतिक कारण भी अपना महत्त्व रखते ही हैं। ···हमने इस प्रश्न को, जहां तक हो सका, साम्प्रदायिकता से भिन्न दृष्टिकोणसे देखा है। निज़ाम और रियासत के भविष्य का निर्णय करना पूरी तरह से रियासत की जनता के हाथ में है। मौलिक बात यह है कि हैदराबाद की जनता को अपने भविष्य के विषय में निर्णय करने का अवसर मिलना चाहिये। — १० सितम्बर, १६४८; **नई देहली में एक प्रेस कान्फ्रेंस के अवसर पर।**

जहां तक हमारा संबन्ध है, हम प्रारम्भ से ही कहते आये हैं कि हैदराबाद का विधान, या उस विधान का हैदराबादके भीतर कार्यरूप में परिणत करना, वह जो कुछ भी हो, हैदराबाद की जनता-द्वारा निश्चित किया जाना चाहिये। —१०. सितम्बर. १६४८; **नई देहली में एक प्रेस कान्फ्रेंस के अवसर पर।**

भारत ने तभी यह कार्यवाही की, जब यह स्पष्ट हो गया कि हैदराबाद रियासत में किसी तरह की कानून और व्यवस्था नहीं रही है। —१५ सितम्बर, १६४८; **बम्बई में एक सार्वजनिक सभा में।**

हम स्पष्ट कह चुके हैं कि हैदराबाद के भविष्य का निर्णय जनता की इच्छा के अनुसार किया जायगा। हम अपनी इस घोषणा पर सदा दृढ़ रहेंगे।

मैं फिर कहूंगा कि हम हैदराबाद को अपने से किसी प्रकार भी भिन्न अथवा पराया नहीं समझते, न हमने पहले कभी ऐसा समझा। हैदराबाद के लोग, वे चाहे हिन्दू हों या मुसलिम, हमारे अपने ही भाई-बंद हैं, और भारत की परम्परागत विशाल सम्पत्ति में उनका भी भाग है। —१८ सितम्बर, १६४८; **नई देहली से रेडियो पर दिये गये भाषण में।**

यदि भारत काश्मीर के उद्धार के लिये न दौड़ता, या हैदराबाद की उस जनता को सहायता देने के लिये न जाता, जिसे एक अन्यायपूर्ण कुचक्र के द्वारा पीसा जा रहा था, तो मुझे भारत की कायरता पर लज्जा आती। — २ अक्तूबर, १६४८; **नई देहली से रेडियो पर दिये गये एक भाषण में।**

हैदराबाद का विभाजन भले ही तर्क द्वारा उचित सिद्ध किया जा सकता हो, किन्तु लोगों का इस विचार को प्रोत्साहन देना अथवा इसका अनुमोदन करना नितान्त अनुचित है। —१३ नवम्बर, १६४८; **नई देहली में प्रेस-प्रतिनिधियों के प्रति दिये गये भाषण में।**

—•—•—

(ख)

माननीय निज़ाम के आदेश से, ८ अक्टूबर, १९४८ इ० को निकाला हुआ फ़रमान

मेरा ध्यान इस बात पर दिलाया गया है, और मैंने विदेश के अखबारों में भी पढ़ा है, कि इस आशय के वक्तव्य दिये गये हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, दबाव या विवशता के कारण कर रहा हूं, और मुझे अपनी इच्छा से किसी काम में प्रवृत्त होने की आज्ञा नहीं है,—संक्षेप में, मैं किसी भी विषय में स्वतन्त्र नहीं हूं।

यह बिल्कुल गलत है। बल्कि वास्तविकता तो यह है कि भारत-संघ तथा मिलिटरी गवर्नमेंट के साथ मेरा सम्बन्ध अत्यन्त मित्रता-पूर्ण है, और मुझ पर किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं डाला जा रहा है; वस्तुतः, रियासत के अध्यक्ष की उच्च पदवी के अनुरूप आदर और सम्मान मुझे पूरी तरह से दिया जाता है।

—०—०—

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय
L.B.S. National Academy of Administration, Library
मसूरी
MUSSOORIE
यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक वापिस करनी है ।
This book is to be returned on the date last stamped

दिनांक Date	उधारकर्त्ता की संख्या Borrower's No.	दिनांक Date	उधारकर्त्ता की संख्या Borrower's No.

GL H 954.8404
HYD

H
954.8404
आन्ध्र

अवाप्ति सं० 20663
ACC. No..............

पुस्तक सं.
Book No............

वर्ग सं.
Class No..............

लेखक
Author...आन्ध्र प्रदेश सरकार ... सूचना विभाग

शीर्षक ... प्रतिष्ठान...

954.8404 20663
आन्ध्र

LIBRARY
LAL BAHADUR SHASTRI
National Academy of Administration
MUSSOORIE

*Accession No.*______________

1. Books are issued for 15 days only but may have to be recalled earlier if urgently required.
2. An over-due charge of 25 Paise per day per volume will be charged.
3. Books may be renewed on request, at the discretion of the Librarian.
4. Periodicals, Rare and Reference books may not be issued and may be consulted only in the Library.
5. Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced or its double price shall be paid by the borrower.

Help to keep this book fresh, clean & moving